खण्ड-126, अंक-2
बुधवार, 4 भाद्रपद, शक संवत् 1875
(26 अगस्त, 1953 ई0)

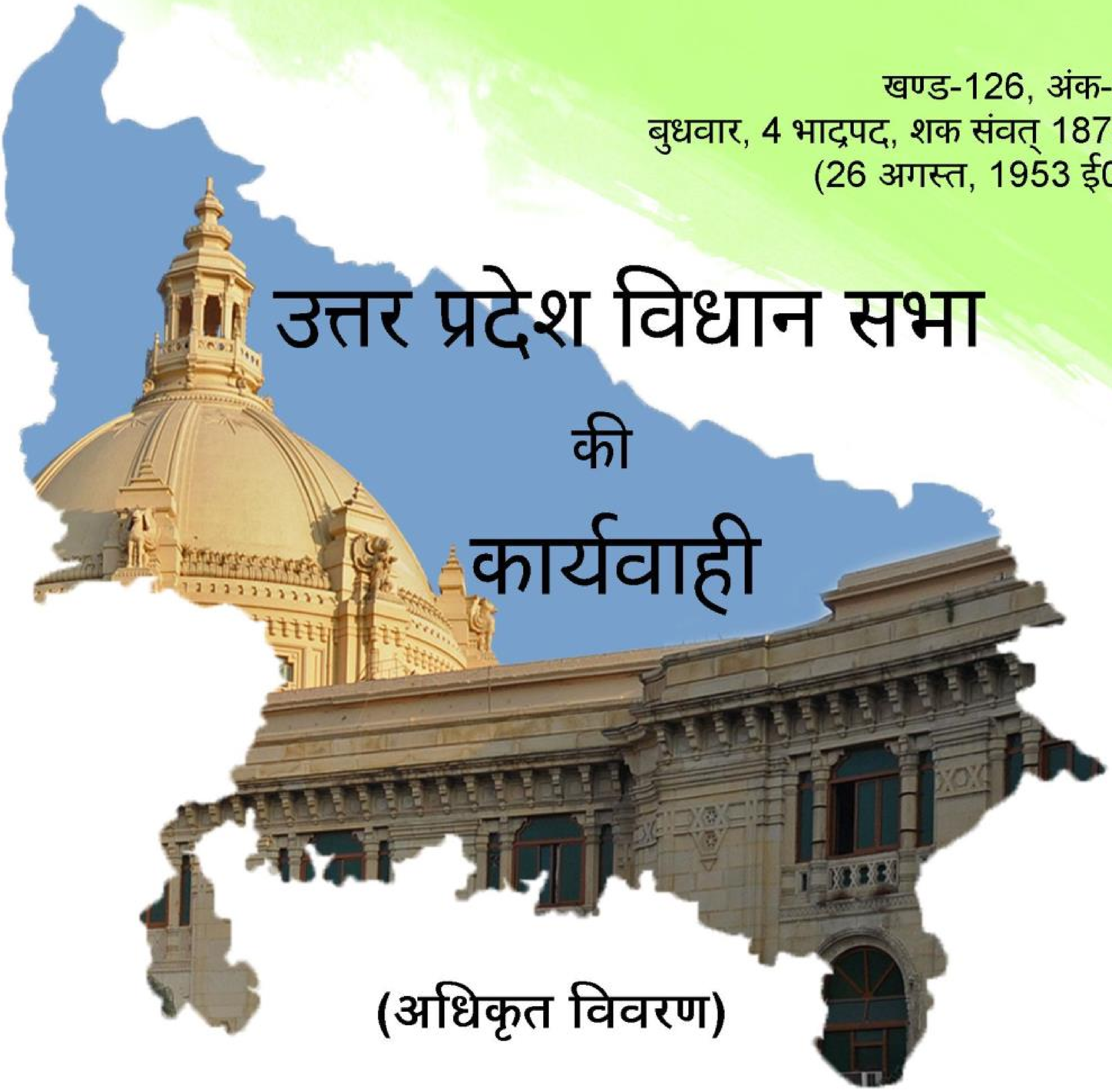

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 126 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय पृष्ठ-संख्या

२७ अगस्त, १९५३, को ११ बजे के बजाय १० बजे से बैठक करने का प्रस्ताव (स्वीकृत) १५०--१५१

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ (प्रस्ताव पर कि विधेयक एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय तथा संशोधन पर कि इसे जनमत प्राप्त करने के हेतु प्रसारित किया जाय, विवाद जारी) ... १५१-१५३

श्री दल भृंगार दुबे पर आक्रमण के संबंध में श्री रामनारायण त्रिपाठी द्वारा १० अगस्त, १९५३, को पूछे गये प्रश्नों के विषय पर वाद-विवाद १५३-१५९

नत्थी १६०

विधान सभा उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २६ अगस्त, १९५३

[विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।]

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५२)

अक्षयवर सिंह, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली ख़ां, श्री
आशा लता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण चन्द्र मोहिले, उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरी राम, श्री

घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगनाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगुलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री,
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री

बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बेचन राम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (रामपुर)
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मून्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली ख़ां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री

आर्य प्रतिनिधि सभा

रामराज शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मण राव क़दम, श्री
लक्ष्मीदेवी , श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लोलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पांडेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम डाक्टर, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरूजूराम, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री

सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री
होतीलालदास, श्री

—:०:—

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

ग्राम करौनी, जिला देवरिया के श्री माधो साही की हत्या

*१—**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले के करौनी गांव, थाना कोतवाली, के एक प्रसिद्ध कांग्रेस कार्य-कर्त्ता की हत्या की गयी ? यदि हां, तो वह कौन है और क्या यह सही है कि उन्होंने अपनी हत्या के पूर्व अनेकों रिपोर्टें स्थानीय अधिकारियों के पास दी थीं ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां। उनका नाम श्री माधो साही था। उन्होंने कुछ रिपोर्टें अधिकारियों के पास की थीं।

*२—**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त स्वर्गीय कांग्रेस कार्यकर्त्ता तथा उनके परिवार वालों ने अपनी जान माल की रक्षा के निमित्त स्थानीय अधिकारियों को तथा सिंचाई मंत्री को प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो वह क्या था और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—स्वर्गीय माधो साही ने इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र दिये थे। उन्होंने यह आशंका प्रकट की थी कि उनकी जान खतरे में है, अतः उनकी रक्षा का प्रबंध किया जाय। कुछ दिनों के लिये पुलिस रक्षार्थ तैनात कर दी गयी थी।

*३—**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त कार्यकर्त्ता की हत्या के पूर्व उपर्युक्त गांव में किसी राजनैतिक दल ने उनके विरुद्ध एक ड्रामा किया था ? यदि हां, तो ड्रामा का कथानक क्या था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। उनमें श्री माधो साही एक ज़ालिम ज़मींदार के रूप में दिखलाये गये थे। ज़मींदार की हत्या की गयी पर हत्या करने वाले को कोई दंड नहीं मिला। अन्त में ज़मींदार की लड़की से उसका विवाह हो गया।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह रिपोर्ट जो हुई, वह कितने दिन पहले की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—रिपोर्ट से मतलब शायद पुलिस रिपोर्ट से है, वह ५–७ दिन पहले की गई थी।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हत्या किस प्रकार से की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था ।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि उनकी रक्षा के लिये कितने सिपाही या सब-इंसपेक्टर्स कितने दिन तक रखे गये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कितने सिपाही आदि वहां पर रखे गये, यह तो नहीं बता सकता लेकिन ३ दिन के लिये पुलिस की तैनाती हुई ।

श्री सीताराम शुक्ल—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किस राजनैतिक दल की संरक्षता में यह नाटक खेला गया था और हत्यारे गिरफ्तार हुये हैं या नहीं हुए ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—नाटक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से खेला गया था, उसमें २० आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं । हत्यारे हैं या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता । इसका फैसला तो अदालत ही कर सकती है ।

श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किसान का लड़का कौन बना था और जमींदार की लड़की कौन बना था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक मेरी सूचना है किसान के लड़के जो हमारे नये एम० एल० ए०, श्री राजेश्वर लाल हैं, वे बने थे, जमींदार की लड़की की बाबत नहीं कह सकता शायद कोई हरिजन बद्री नाम के थे, वे लड़की बने थे ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश ने उनकी उस दरख्वास्त पर क्या ऐक्शन लिया जो उन्होंने आर्म्स के लिये दी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे आर्म्स की दरख्वास्त की सूचना तो नहीं है लेकिन रक्षा के लिये जो उन्होंने दरख्वास्त दी थी उसकी सूचना मेरे पास है ।

श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह हत्या जो हुई वह एक राजनैतिक षड़यंत्र के कारण हुई, अगर हां, तो यह किस पार्टी का षड़यंत्र था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस हत्या से किसी राजनैतिक पार्टी का संबंध है यह मैं नहीं कह सकता, इसका फैसला तो अदालत ही दे सकती है ।

श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस केवल तीन दिन तक ही क्यों तैनात रही ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसलिये कि चुनाव की खुशी मनाने के लिये उस गांव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने दो दिन तक नाटक खेलने का निश्चय किया था और माधो साही ने पुलिस में रिपोर्ट की थी कि उससे शांति भंग होने की अंदेशा है, इसलिये तीन दिन तक उनकी रक्षा का प्रबंध किया गया था ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय श्री माधो साही की हत्या हुई उस समय उनके साथ और कौन लोग थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, मैं यह ठीक नहीं बतला सकता हूं ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—हत्या के अपराध में जो २० आदमी गिरफ्तार हुये हैं, क्या वे पी० एस० पी० के मेम्बर हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सभी शायद नहीं हैं, यह मैं कह सकता हूं लेकिन तीन-चार आदमी उसमें हैं जो पी० एस० पी० के मेम्बर हैं।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो कांफ्रेंस हुई थी उसके लिये कुछ विरोध हुआ था और हड़ताल हुई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, विरोध तो स्वभावतः हुआ था।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—फिर जब विरोध हुआ था तो वहां पर ऐसी कांफ्रेंस करने की इजाजत क्यों दी गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अधिकारियों का ऐसा खयाल था कि जो लोग कांफ्रेंस करने वाले हैं वे काफी गम्भीरता के साथ काम करेंगे ताकि उस जमाने में शांति भंग न हो।

श्री गेंदा सिंह—क्या यह सही है कि श्री माधो शाही की जिस रात को हत्या हुई उस रात को पुलिस का पहरा काफी था और २० आदमी उनके साथ बन्दूक ले कर सोये हुये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुछ आदमी सोये हुये थे यह बात सही है लेकिन पुलिस का पहरा उस वक्त नहीं था।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो यह कांफ्रेंस श्री माधो साही की हत्या के पहले उनके गांव में हुई उसमें क्या कुछ ऐसे भी भाषण हुए जिसमें इस प्रकार की भावना को उत्तेजना दी गयी थी कि श्री माधो साही जैसे लोगों को मिटा देना चाहिये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, कई भाषण ऐसे हुए। एक नाटक भी खेला गया जिसका जिक्र किया गया है और वहां पी० एस० पी० के स्वयंसेवक इस प्रकार के नारे लगाते फिरते थे कि सन् ४२ में साधो, सन् ५३ में माधो। सन् ४२ में साधो नाम के कोई सज्जन मारे गये थे।

श्री गेंदा सिंह—जिस दिन कांफ्रेंस हुई, उस कांफ्रेंस के बाद कोई पहरे का इंतजाम श्री माधो शाही की जान बचाने के लिये पुलिस ने किया या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक सूचना मिली है, उसके एक या दो दिन बाद कोई खास जरूरत नहीं समझी गयी इसलिये पहरा हटा लिया गया था।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी को इस प्रकार का कोई रेप्रेंजेंटेशन दिया गया है कि श्री माधोशाही की हत्या पी० एस० पी० की आड़ में कांग्रेस वालों की ग्रूपबाजी से हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस क़िस्म का कोई रेप्रेंजेंटेशन मेरे पास किसी ने नहीं दिया है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—क्या सरकार कृपा कर के यह बतलायेगी कि श्री माधो शाही की हत्या जिस समय हुई उसकी कोई फर्स्ट इनफारमेशन रिपोर्ट भी हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिस समय हत्या हुई, रात में तो नहीं हुई लेकिन उसके बाद जरूर फर्स्ट इनफारमेंशन रिपोर्ट हुई।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि माननीय सिंचाई मंत्री जी जब देवरिया की तरफ गये थे तो श्री माधो शाही ने उनके पास एक दरख्वास्त रिवाल्वर के लाइसेंस के लिये दी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, उसका उत्तर पहले प्रश्न के उत्तर में दिया जा चुका है।

श्री राजनारायण---क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्स्ट इनफारमेंशन रिपोर्ट में किन-किन लोगों का नाम लिखा गया है ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह मुकदमे से ताल्लुक रखने वाली चीज है। इसका फर्स्ट इनफारमेंशन रिपोर्ट से यहां कोई मतलब नहीं है।

श्री राजनारायण---क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री माधो शाही कांग्रेस पार्टी के मेम्बर भी बनाये गये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मेरी सूचना यह है कि वे कांग्रेस के एक बहुत बड़े प्रमुख कार्यकर्ता थे।

श्री शिव प्रसाद (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से किस नेता ने इस आशय का भाषण दिया था कि माधोशाही का बदला हम लेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं लेकिन बहुत तफसील के साथ मैं इसको नहीं कह सकता।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की इमारत को एअरकंडीशन करने की योजना

*४---श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---क्या यह सही है कि हाई कोर्ट, इलाहाबाद की इमारत को एअरकन्डीशन करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---जी हां, हाई कोर्ट का नया ब्लाक जो जेर तामीर है उसको एअरकन्डीशन करने का सवाल सरकार के विचाराधीन है।

*५---श्री नवलकिशोर---यदि हां, तो क्या सरकार उन विशेष परिस्थितियों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी जिस कारण ऐसा निर्णय करना पड़ा है ?

श्री सैयद अली जहीर---चूंकि अन्देशा है कि गर्मियों में यह नये ब्लाक अधिक गर्म हो जायेंगे और जिसकी वजह से हाई कोर्ट का काम अच्छे तौर से न हो सकेगा, इसलिये यह सुझाव रखा गया है लेकिन अभी इसके बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।

श्री नवलकिशोर---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस नये ब्लाक को एअरकंडीशन करने में कितना खर्चा पड़ेगा ?

श्री सैयद अली जहीर---कुल ब्लाक का मय एअरकंडिशनिंग के तकरीबन कुल साढ़े छः लाख रुपये का तखमीना है।

श्री नवलकिशोर---क्या सरकार बतलायेगी कि इस नये ब्लाक के बनाने में जो मेटीरियल इस्तेमाल किया गया है वह उस मेटीरियल से भिन्न है जो पहली बिल्डिंग में इस्तेमाल किया गया था ?

श्री सैयद अली जहीर---मेरे खयाल में नयी इमारत में पत्थर ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है जब कि पुरानी इमारत में इंटें ज्यादा इस्तेमाल की गयी थीं इसलिये इसमें ज्यादा गर्मी होने का अन्देशा है।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार बतलायेगी कि कुछ कमरों को एअरकंडीशन करने की योजना है या सारी हाईकोर्ट की बिल्डंग को ?

श्री सैयद अली ज़हीर—मेरे खयाल में कुछ थोड़े कमरे हैं जो एअरकन्डीशन किये जायेंगे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस हिस्से को एअरकंडीशन किया जा रहा है वह कौन-सा है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तफसील इस वक्त मेरे पास नहीं है यदि आप जानना चाहेंगे तो बतला दूंगा।

कोसी नदी व राम गंगा में बाढ़ आने से जिला रामपुर के किसानों को हानि

*६—श्री कल्याण राय (जिला रामपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि कोसी नदी व रामगंगा में बाढ़ आने के कारण जिला रामपुर की तहसील मिलक हुजूर व शाहाबाद में किसानों को हानि पहुंची है ? यदि हां, तो कितनी ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—जिला रामपुर में कोसी और रामगंगा का पानी अभी तक किसी दिन भी खतरे के निशान तक नहीं पहुंचा और जब कभी बाढ़ आई पानी बहुत जल्द उतर गया। तहसील मिलक हुजूर व शाहाबाद के नशेब के इलाकों में केवल मक्का और ज्वार को थोड़ी बहुत हानि पहुंची है परन्तु गन्ना और धान को कोई हानि नहीं हुई है।

श्री कल्याण राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि रामगंगा और कोसी नदियों में बाढ़ आने के कारण जो हानि हुई है उसमें कुछ सहायता करने का विचार करती है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अगर आठ आने या इससे अधिक हानि हुई तो मालगुजारी में कमी की जा सकती है लेकिन इतना नुकसान हुआ नहीं है।

श्री कल्याण राय—क्या माननीय माल मंत्री जी बतलायेंगे कि फसल १ रुपये में ८ आने से अधिक या कम नुकसान हुआ इसकी जांच किससे और कैसे करायी जाती है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इसकी जांच जिले के माल विभाग के द्वारा होती है।

रामपुर जिले में लगान की दर

*७—श्री कल्याण राय—क्या सरकार को ज्ञात है कि रामपुर जिले में लगान की दर १८ रु० या २० रु० बीघा तक है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके कम करने का विचार रखती है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जिला रामपुर के लगानों का औसत परता १८ रु० से २० रु० बीघा तक नहीं है।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

सिकन्दराराऊ चुंगी के चेयरमैन के विरुद्ध शिकायतें

*१—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिकन्दराराऊ चुंगी के चेयरमैन के विरुद्ध जो शिकायतें जनता एवं चुंगी सदस्यों की तरफ से आई थीं उन पर क्या कार्यवाही की गई और क्या निर्णय किया गया ?

नोट—तारांकित प्रश्न १ से ३ तक श्री श्रीचन्द ने पूछे।

कारावास उप-मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—शिकायतों की जांच स्थानीय अधिकारियों द्वारा करवाई गई जिस के बाद चेयरमैन और बोर्ड को कड़ी चेतावनी दी गई कि वे अपने काम करने के ढंग को सुधारें और आगामी ३—४ महीनों में बोर्ड के प्रबंध में सुधार करें। चेयरमैन को विशेष रूप से यह कह दिया गया है कि यदि वह ठीक तरह से काम नहीं करेंगे तो सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ।

* २—**श्री नेकराम शर्मा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ नगरपालिका को supersede करने के क्या कारण थे? क्या सरकार उन कारणों की एक प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—इस संबंध में माननीय सदस्य २० सितम्बर, १९५२, के सरकारी गजट के आठवें भाग में प्रकाशित प्रस्ताव संख्या ९५७३ (२) /११-ए—६४९-४८, दिनांक १७ सितम्बर, १९५२, को देखने की कृपा करें। उसकी एक प्रतिलिपि इस उत्तर के साथ नत्थी है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १६० पर)

*३—**श्री नेकराम शर्मा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ नगरपालिका के supersede होने के पश्चात् सरकार ने नगरपालिका के संचालन के लिये कौन कौन सी नई नियुक्तियां की हैं ? क्या सरकार उनके पदों के नाम और conditions of service बताने की कृपा करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—सरकार ने अलीगढ़ के जिलाधीश को बोर्ड का प्रबंधक तथा उनकी देखरेख में श्री राधा कृष्ण तिवारी को उसका अफसर इन-चार्ज नियुक्त किया है। जिलाधीश, अलीगढ़, प्रबंधक का कार्य अपने साधारण कार्य के अतिरिक्त कर रहे हैं और श्री तिवारी ८००) मासिक निश्चित वेतन पर जिसमें महंगाई शामिल है, अस्थायी रूप से अफसर इन-चार्ज का कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त श्री तिवारी को ७५) मासिक सवारी भत्ता तथा बोर्ड के कार्य से बाहर जाने पर अन्य कर्मचारियों की भांति नियमानुसार यात्रा और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। श्री तिवारी की नौकरी किसी समय बिना नोटिस के समाप्त की जा सकती है और इसके लिये सरकार अथवा बोर्ड को कोई मुआविजा नहीं देना होगा ।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चेयरमैन के विरुद्ध क्या-क्या शिकायतें थीं ?

श्री मुजफ्फर हसन—चेयरमैन के विरुद्ध यह शिकायतें थीं कि वहाँ की सड़कें खराब और गन्दी हैं, वह वहां के वेहिकिल को जाती इस्तेमाल में लाये और दूसरे अधिकारियों के काम में लाये और इसके अलावा उन्होंने एक्जीक्यूटिव आफिसर का सब काम खुद अपने हाथ में ले लिया है और उनका बर्ताव अपने मातहतों के साथ सख्त होता है। इसके अलावा और किसी बेईमानी की शिकायत नहीं है।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि चेयरमैन महोदय ने जो रुपया सिकन्दराराऊ म्युनिसिपैलिटी के बाहर खर्च किया है उस को चेयरमैन महोदय से वसूल किया जायगा या नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन—ऐसी तो कोई शिकायत नहीं है।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने कि कृपा करेंगे कि चेयरमैन साहब अब भी उस स्टेशन वैगन को अधिकारियों के लिये इस्तेमाल करते हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---इसका जवाब तो दिया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष---अब भी वह पूछते हैं।

श्री मुजफ्फर हसन---ऐसी कोई इत्तिला नहीं है।

श्री श्रीचन्द---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या तिवारी जी इससे पहले किसी सरकारी नौकरी पर थे?

श्री मुजफ्फर हसन---जी हां।

श्री श्रीचन्द---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह सरकारी नौकरी में किस स्थान पर और कब से थे?

श्री मुजफ्फर हसन---स्थान तो उनका डिप्टी स्टील ऐंड आयरन कंट्रोलर था। कब से थे इसके लिये मेरे पास कोई इत्तिला नहीं है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार को यह मालूम है कि जब वह डिप्टी आयरन ऐंड स्टील कंट्रोलर थे तब उनके खिलाफ काफी शिकायतें थीं?

श्री मुजफ्फर हसन---इसकी कोई इत्तला नहीं है।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तिवारी जी की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हुई थी या किस तरह से हुई थी?

श्री मुजफ्फर हसन---इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री श्रीचन्द---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तिवारी जी की इल्मी लियाकतें क्या-क्या हैं?

श्री मुजफ्फर हसन---इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इनको डिप्टी आयरन ऐंड स्टील कंट्रोलर की हैसियत से कितने रुपये तनख्वाह मिलती थी?

श्री मुजफ्फर हसन---यह इस विभाग से मुताल्लिक नहीं है। मैं बता नहीं सकता।

श्री श्रीचन्द---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि तिवारी जी टाटा कम्पनी में कभी सर्विस में थे?

श्री मुजफ्फर हसन---हो सकता है।

बांसडीह-मनियर सड़क के लिये अनुदान देने का विचार

*४---श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले के बांसडीह-मनियर सड़क को सरकार के द्वारा District Board, Ballia के प्रार्थना पर, अनुदान देने का विचार है?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)---जी नहीं। इस समय कोई ऐसा विचार नहीं है।

*५---श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह---यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मोहनलाल गौतम---आर्थिक कठिनाइयों के कारण।

*६---श्री राम नारायण त्रिपाठी---[२सितम्बर, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

पर्वतीय जिलों में स्तिथ मेडिकल विभाग के क्लर्कों को हिल एलाउन्स की स्वीकृति

*७—श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पर्वतीय जिलों में स्थित मेडिकल विभाग (आयुर्वेद) के क्लर्कों के हिल एलाउन्स का प्रश्न कई साल से उसके विचाराधीन है ?

*८—यदि हां, तो कब तक इस प्रश्न पर निर्णय हो जाने की आशा है ?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—इनको हिल एलाउन्स देने की आज्ञा जारी हो गई है।

एकाउण्टेण्ट जनरल द्वारा हिन्दी में चेक न लेने का आदेश

*९—श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को मालूम है कि एकाउण्टेण्ट जनरल, उत्तर प्रदेश ने जिला बोर्डों को आदेश दिया है कि १ जून, सन् ५३ से हिन्दी में चेक नहीं लिये जायेंगे। यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां, केन्द्रीय सरकार ने, जिनके अधीन एकाउण्टेण्ट जनरल, उत्तर प्रदेश है, अभी अपने कार्यालयों में हिन्दी में कार्य करने की आज्ञा नहीं दी है।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि गत तीन वर्षों से बराबर चेक हिन्दी में जाते थे और एकाउन्टेन्ट जनरल उसको स्वीकार करते थे ?

श्री मुजफ्फर हसन—हो सकता है।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या मंत्री महोदय, केन्द्रीय सरकार से इसके लिये अनुरोध करने का विचार करते हैं कि वह एकाउण्टेण्ट जनरल को आदेश दे कि वे जो चेक हिन्दी में जाते हैं उनको स्वीकार करें ?

श्री मुजफ्फर हसन—इस पर विचार किया जायेगा।

*१०—१२—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—[९ सितम्बर, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*१३—१५—श्री गेंदा सिंह—[शिक्षा मंत्री से संबंधित ११ सितम्बर, १९५३ के लिये सं० २७—२९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

लखनऊ विश्वविद्यालय आयुर्वेद कालेज में विद्यार्थियों की भर्ती

*१६—श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—क्या यह सही है कि सरकार ने लखनऊ विश्वविद्यालय आयुर्वेद कालेज को स्थगित कर दिया है और इस वर्ष विद्यार्थियों की भर्ती नहीं हुई ?

श्री बनारसी दास—आयुर्वेद कालेज कुछ अंश में चल रहा है। परन्तु इस साल नई भर्ती नहीं हुई है।

*१७—श्री मदन गोपाल वैद्य—क्या सरकार यह अनुभव करती है कि डाक्टरों के असहयोग के कारण लखनऊ विश्वविद्यालय में आयुर्वेद कालेज नहीं चल सकता ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं।

श्री मदन गोपाल वैद्य—इस साल किन कारणों और परिस्थितियों से नई भर्ती नहीं हुई ?

श्री बनारसी दास—क्योंकि इस साल लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रबंधकारिणी समिति ने यह फैसला किया था कि वहां पर आयुर्वेद विभाग नहीं चल सकता, इसलिये यह व्यवस्था करना आवश्यक हो गया कि आयुर्वेद कालेज को चलाने की अलग से व्यवस्था की जाय और अब तक वह व्यवस्था नहीं की जा सकी है।

श्री मदन गोपाल वैद्य—क्या सरकार अगले साल इस कालेज को चलाने का विचार रखती है ?

श्री बनारसी दास—जी हां ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि एक्जिक्यूटिव कौंसिल से लखनऊ यूनिवर्सिटी ने किन कारणों को आपके सामने पेश किया है जब कि वह यह कहते हैं कि आयुर्वेद पद्धति यहां पर नहीं चल सकती ?

श्री बनारसी दास—प्रबंधकारिणी समिति का मत यह है कि भारतीय मेडिकल कौंसिल इस डिगरी को मानकर मान्यता प्रदान करने के लिये तैयार नहीं है। इस कारण इस कार्य को वह अपने यहां नहीं चलाना चाहते ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या कारण हैं जिनकी वजह से भारतीय मेडिकल कौंसिल इन डिगरीज को मान्यता देने के लिये तैयार नहीं है ?

श्री बनारसी दास—इंडियन मेडिकल कौंसिल के कुछ अपने नियम हैं जिनके अनुसार वह अपना कोर्स रखते हैं। इसलिये अभी तक कहीं पर भी इंडियन मेडिकल कौंसिल ने, जो हमारी भारतीय पद्धति हैं उनको मान्यता प्रदान नहीं की है।

श्री मदन गोपाल वैद्य—अगले साल से सरकार जो कालेज चलाने जा रही है क्या इंडियन मेडिकल कौंसिल उसको मान्यता देने जा रही है ?

श्री बनारसी दास—उसका इंडियन मेडिकल कौंसिल से कोई संबंध नहीं है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इंडियन मेडिकल कौंसिल के नियमों के अनुसार जो उसका सेलेबस है उसके अनुसार आयुर्वेद की शिक्षा का प्रबंध अपने यहां कर सके ?

श्री बनारसी दास—यह कोई अनिवार्य नहीं है। यह इंडियम मेडिकल कौंसिल एक ओटानामस बाडी है उसके अपने नियम हैं उनके अनुसार ही वह अपना क्रम निश्चित करती है और उसी के अनुसार ही बी० एम० बी० एस० का कोर्स चलेगा।

प्रदेश में रबी की फसल की पैदावार

*१८—**श्री राम नरेश शुक्ल** (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—क्या खाद्य मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि प्रदेश में इस वर्ष रबी की फसल की पैदावार गत वर्ष से अच्छी हुई है ?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बल्देव सिंह आर्य)—जी हां।

*१९—**श्री राम नरेश शुक्ल**—यदि हां, तो क्या सरकार गल्ले के नियंत्रण और वितरण तोड़ने को सोच रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी नहीं। नियंत्रण के संबंध में केवल अन्नोत्पादन ही नहीं, बहुत सी अन्य बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है।

नोट—तारांकित प्रश्न १८ व १९ श्री बाबूनन्दन ने पूछे।

श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि फसल किन-किन कारणों से गत वर्ष अच्छी हुई है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—माननीय सदस्य को यह अच्छी तरह मालूम है कि प्रादेशिक सरकार ने सिंचाई की व्यवस्था की है और जनता ने कई स्थानों में नयी गूलें निकाली हैं, कुएं खोदे हैं, समय पर वर्षा भी अच्छी हुई। इसलिये रबी की फसल इस वर्ष अच्छी हुई है।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वितरण को हटने पर गल्ले के दाम की कमी की आशा है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—अभी तो नियंत्रण हटाने का सवाल नहीं उठता। सरकार तो धीरे-धीरे नियंत्रणों को ढीला कर रही है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पारसाल कितनी फसल हुई थी और इस साल कितनी फसल हुई है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—गत वर्ष से इस वर्ष की रबी की फसल अच्छी हुई है। चने की फसल जैसे कृषि विभाग ने सूचना दी २२.७ प्रतिशत पिछले वर्ष से अधिक हुई है और गेहूं की फसल १०.५ प्रतिशत अधिक हुई है। जौ के बारे में हमें कोई सूचना नहीं है। इस तरह से गत वर्ष से इस वर्ष की फसल अच्छी हुई है।

बस्ती जिले में नमक का भाव

*२०—**श्री झारखंडे राय**—क्या सरकार को मालूम है कि बस्ती जिले के पूरे ट्रांस राप्ती क्षेत्र में नमक का भाव बनिस्बत गोंडा और गोरखपुर के समानान्तर क्षेत्र के अधिक है ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—बस्ती जिले के ट्रांस राप्ती क्षेत्रों के नमक का भाव गोंडा और गोरखपुर के समानान्तर क्षेत्र से अधिक नहीं है।

दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

*२१—**श्री झारखंडे राय**—क्या सरकार तीनों क्षेत्रों के अलग-अलग दाम बतायेगी ?

श्री बनारसी दास—तीनों क्षेत्रों के अलग-अलग दाम इस प्रकार हैं :—

गोंडा—जिस रेलवे स्टेशन पर नमक आता है उसके ५ मील के भीतर १ आ० ५ पा० प्रति सेर।
५ मील से ऊपर १ आ० ६ पा० प्रति सेर।

बस्ती—५ मील के अन्दर १ आ० प्रति सेर।
५ मील के ऊपर और २० मील से कम १ आ० ३ पा० प्रति सेर।
२० मील के ऊपर १ आ० ६ पा० प्रति सेर।

गोरखपुर—५ मील के भीतर १ आ० ३ पा० प्रति सेर।
५ मील के ऊपर और १५ मील के भीतर १ आ० ५ पा० प्रति सेर।
१५ मील के ऊपर १ आ० ६ पा० प्रति सेर।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस प्रकार से उनके पास कोई शिकायत आयी है कि बस्ती-गोरखपुर और गोंडा में उसके आसपास के क्षेत्र से अधिक दाम लिये जाते हैं ?

श्री बनारसी दास—इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आयी। यह शिकायत आयी थी कि होल सेल के दाम में कुछ अन्तर है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि गोंडा, बस्ती और गोरखपुर जिलों के स्टेशन से ५ मील के अन्दर दामों में जो फर्क है वह क्यों है ?

श्री बनारसी दास—उसका मुख्य कारण यह है कि गवर्नमेंट ने अपना एक जी० ओ० निकाला था जिसके अनुसार ट्रांसपोर्ट का खर्चा, इन्सीडेंटल खर्चा और जो लोकल खर्चे हों वह नमक की कीमत में शामिल हों। अगर कहीं पर दूरी बढ़ जाती है तो रेलवे किराया भी अधिक हो जाता है और उसके अनुसार ही चार्ज किया जाता है। इसी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसमें थोड़ा बहुत अन्तर कर देते हैं।

श्री गेंदा सिंह—क्या यह सही है कि आमतौर पर जिन जिलों का जिक्र किया गया है वहां के बाजारों में २ आना सेर नमक बिकता है ?

श्री बनारसी दास—इस प्रकार की कोई सूचना सरकार को नहीं है।

बस्ती जिले में आर० एफ० सी० द्वारा चावल की खरीद

*२२—**श्री झारखंडे राय**—क्या सरकार बतायेगी कि बस्ती जिला के अभाव क्षेत्र होने के बावजूद उस जिले से आर० एफ० सी० द्वारा चावल की खरीद होती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—बस्ती जिले या बनारस रीजन के अन्य किसी जिलों की पैदावार का चावल नहीं खरीदा गया केवल नैपाल से आये हुये चावल की खरीद की गई थी।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि नैपाल से पिछले वर्ष कुल कितना चावल आया और किस रेट पर आया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—इसकी सूचना इस समय नहीं है लेकिन अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो यह सूचना माननीय सदस्य को दी जा सकती है।

फैजाबाद में सूत तथा कपड़े की बिल्टियां छुड़ाने के लिए जिला सप्लाई अफसर के हस्ताक्षर की आवश्यकता

*२३—**श्री राम नारायण त्रिपाठी**—क्या अन्न मंत्री कृपा कर यह बतायेंगे कि फैजाबाद जिले में नियंत्रण से मुक्त (Released) सूत और कपड़ों की बिल्टियां रेलवे रसीद पर बिना जिला सप्लाई अफसर के दस्तखत के छुड़ाई नहीं जा सकतीं जब कि प्रदेश के अन्य जिलों में ऐसा नहीं होता ?

श्री बनारसी दास—सूत और कपड़े की बिल्टियों को छुड़ाने के लिये, चाहे वह सूत या कपड़ा नियंत्रण से मुक्त हो या न हो, रेलवे रसीद पर जिला सप्लाई अफसर का दस्तखत होना आवश्यक है। यह सरकार के आदेशानुसार होता है जो प्रदेश के सब जिलों में प्रचलित है।

लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा भवन निर्माण सम्बन्धी बाईलाज के उल्लंघन की जांच

*२४—**श्री राम नारायण त्रिपाठी**—क्या सरकार बतलायेगी कि अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर, १९५२ ई० में लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकारियों ने नई इमारतों के बनवाने के संबंध में म्युनिसिपल बाईलाज के उल्लंघन होने के बारे में कुछ इन्क्वारियां कराई हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। ऐसी जांच हुई हैं।

*२५—श्री राम नारायण त्रिपाठी—इन इन्क्वारियों के बाद उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुजफ्फर हसन—जिन लोगों ने नियम विरुद्ध कार्य किये उनको भवनों का निर्माण बन्द करने तथा निर्मित भवनों को गिराने की नोटिस दी गई। जिन लोगों ने उसका पालन नहीं किया उनके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमें चलाये गये।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि इस प्रकार के कितने मामलों में जांच हुई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर में जिन की जांच हुई है उसका ब्योरा इस प्रकार है—अक्तूबर में ५५, नवम्बर में ४२ और दिसम्बर में २६।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री श्रीचन्द—[९ सितम्बर, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ जिले में सत्याग्रहियों पर अत्याचार के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों पर तथा ऐसे प्रस्तावों को नियमपूर्वक प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—कल मैंने यह सदन को सूचना दी थी कि दो काम रोको प्रस्तावों के ऊपर आज मैं अपना निर्णय दूंगा। एक तो झारखंडे राय जी का है और दूसरा राम सुन्दर पांडेय जी का है। दोनों में एक तो अर्जेंसी के संबंध में और निश्चितता के विषय में, कि डेफिनिट है या नहीं, मुझे शंकायें रहीं। तो मैंने यह माननीय प्रस्तावक से कहा था कि किस विषय पर वह विशेष करके बहस चाहते हैं इस सदन का काम रोक कर और उसके संबंध में उनके पास क्या क्या जानकारी है वह मुझे दें। श्री झारखंडे राय जी ने तो कोई जानकारी दी नहीं। उनका प्रस्ताव वैसा ही गोल रह जाता है। तो वह तो मैं अनिश्चित करके खत्म कर देता हूं। उनको प्रस्ताव के विषय पर अधिक प्रकाश डालने की इजाजत नहीं देता हूं।

लेकिन रामसुन्दर पांडेय जी का जो प्रस्ताव है इसके संबंध में अब भी शंका है। उन्हें मैं इस बात का मौका देता हूं कि वह यह स्पष्ट करें कि किस विषय पर, निश्चित विषय पर, वह चाहते हैं कि सदन का काम रोक कर बहस होनी चाहिये। दूसरा प्रश्न है कि उसकी अर्जेंसी क्या है ? क्योंकि उन्होंने बहुत से कागजात मुझे दिये, महत्व के दिये लेकिन वह कई विषयों पर हैं। तो उनमें से किस विषय पर वह बहस चाहते हैं और उसकी डेफिनिटनेस यानी निश्चितता को नियमों के अनुसार वह मुझे बतायें और अर्जेंसी के विषय में भी बतायें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, आजमगढ़ जिले में ९ अगस्त से जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा गलत इन्दराज के खिलाफ और बेदखली के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है। उसके संबंध में सत्याग्रहियों पर गैर कानूनी तरीके जो सरकार की पुलिस द्वारा और भूतपूर्व जमींदारों के द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे हैं, उसके संबंध में मैंने कल कामरोको प्रस्ताव आपके सामने उपस्थित किया था। इसके बारे में हमारे पास प्रमाण तो बहुत ज्यादा है लेकिन दो चार बातें ऐसी हैं जो स्वयं उन स्थानों पर जाकर के हमने निरीक्षण किया है। हमारे पास उन सत्याग्रहियों

की दरख्वास्तें और उनके पत्र हमारे पास मौजूद हैं। अखबारों की कटिंग भी हमारे पास हैं। उसमें से दो-चार उदाहरण के लिये आपके द्वारा सदन के सामने रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---दो-चार का सवाल नहीं है। आप तो कोई निश्चित विषय बतलाइये जिस पर कि आप सदन में विचार करना चाहते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---श्रीमन्, १६,१७ अगस्त को लालनपुर ग्राम थाना मधुबन के अन्तर्गत २६ सत्याग्रहियों को पांच-पांच की कतार में रस्सी से बांधकर के थाने लाया गया। और उसमें उनके जो नेता थे लालचंद उनको हवालात में बन्द कर दिया गया। २४ घंटे के बाद जब उन्होंने पानी मांगा तो रामाधार चौबे कांस्टेबिल ने कहा कि पेशाब करके पियो। इसी प्रकार औरों को भी २६, २६ घंटे रखा गया। उनको पीने को पानी तक नहीं दिया गया, उनसे पाखाना फेंकवाया गया, उन्हें नाक के बल चलवाया गया। इस प्रकार की घटनाएं १६ तारीख को हुईं। १७ अगस्त को लालनपुर में १६ सत्याग्रहियों ने जो सत्याग्रह किया जिसका नेतृत्व एक भगवती नामक हरिजन महिला कर रही थी, श्रीमन् कहा जाता है कि भगवती नामक सत्याग्रही को पुलिस और वहां के थानेदार ने खुद उकसा करके लाठी के कुंदों से मरवाया और कहा तो यह जाता है कि पुलिस ने भी उसे कुन्दों से मारा। उसमें ६ महिलायें थीं। युवती और भगवती नाम की सत्याग्रही को बुरी तरह से पीटा गया। बलिया जिले का जो 'आज' अखबार का रिपोर्टर है...

श्री अध्यक्ष---मैं यह कहना चाहता हूं कि अखबार से इस समय कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---तो स्वयं उसने जाफर के, अपनी आंखों से इस कार्यवाही को देखा। अध्यक्ष महोदय, गौहरपुर जो मुहम्मदाबाद थाने के अन्तर्गत है वहां से जो चिट्ठी आयी है...

श्री अध्यक्ष---यह दूसरा विषय पैदा हो रहा है। आप तो एक ही विषय ले सकते हैं। बहुत सी जगह की घटनायें एकत्र नहीं कर सकते।

श्री रामसुन्दर पांडेय---तो गौहरपुर में भी श्री बिरजू नोनिया और सुखराज अहीर सत्याग्रही को बुरी तरह से मारा गया। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जहां हमारा कानूनी एवं शांत तरीके से सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था वहां सरकार और पुलिस एक गैरकानूनी तरीके से सत्याग्रहियों को मारती है और भूतपूर्व जमींदारों को उकसाकर उन्हें मरवाती है, ऐसा प्रत्यक्ष साबित होता है...

श्री अध्यक्ष---यह तो आप भाषण देने लगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय---तो मैं यह चाह रहा था आपसे कि जो यह सत्याग्रह आजमगढ़ में चल रहा है और जिसमें कि हरिजन स्त्रियां और सत्याग्रही भी सरकार द्वारा मरवायें जा रहे हैं, इससे सारे जिले में और प्रदेश के अन्य जिलों में भी अशांति फैलने की संभावना है और इसलिये मैं चाहता हूं कि जो हमारा कामरोको प्रस्ताव है वह सार्वजनिक महत्व का है और इसलिये और आवश्यक हो गया है कि हम इस पर विचार करें, क्योंकि सरकार और यह सदन जनतंत्र का हिमायती है, अहिंसा का हिमायती है और हिंसा को प्रोत्साहन देने से मेरा विश्वास है, सरकार का नुकसान होगा, और देश का नुकसान होगा। इसलिये यह प्रस्ताव जो है वह आवश्यक है और सार्वजनिक हित का है और महत्व का है। मुझे आशा है कि यह सदन अवश्य इस पर विचार करने के लिये तैयार होगा।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है आजमगढ़ में जो सत्याग्रह आज से कुछ दिन पहले चल रहा था उसके सिलसिले में न तो जमींदारों की तरफ से न तो अहलकारों की तरफ से किसी किस्म की कोई ज्यादती या ग़ैरकानूनी कार्यवाही हुई। इसकी कोई सूचना हमारे पास कहीं से भी नहीं आई। जिन अखबारों को लोग आम तौर पर यहां देखा करते हैं उन अखबारों में भी इस क़िस्म की चर्चा नहीं आयी। २२ तारीख को मेरे पास एक खत श्री उमाशंकर जी का, जो इस सदन के सदस्य हैं, आया, उसमें भी उन बातों का जिक्र था जिनकी चर्चा श्री रामसुन्दर पांडेय जी ने की। उस खत के सिलसिले में मैंने वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को टेलीफोन कराया। वह खुद २४ तारीख को उस जगह गये। उन्होंने जवाब दिया है कि वहां इस क़िस्म की शिकायत नहीं है। जिन लोगों के मारे जाने की या जिन पर ज्यादती करने की बात कही जाती है, उनमें से कोई उनके सामने दरख्वास्त ले कर नहीं आया। जब वे जांच करने के लिये वहां गये और किसी ने नहीं कहा कि हमारे साथ ज्यादती हुई। इसलिये इस काम रोको प्रस्ताव का जो आधार है वह ग़लत है, और मैं आप के द्वारा और श्री रामसुन्दर पांडेय जी को और इस सदन को यह आश्वासन देता हूं कि चूंकि यह शिकायतें निराधार हैं, इसलिये न आजमगढ़ में और न इस सूबे में अशांति होगी।

श्री अध्यक्ष---(श्री रामसुन्दर पांडेय के खड़े होने पर) अब आप उत्तर नहीं दे सकते।

श्री राम सुन्दर पांडेय---मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---सरकार की तरफ से जो स्पष्टीकरण हुआ उसके ऊपर मुझे फैसला देना है।

मैंने इस विषय को इसलिये आज खास तौर पर सदन के सामने रखा क्योंकि इस तरह के काम रोको प्रस्ताव कई मर्तबा सदन के सामने आये हैं और मैं यह चाहता हूं कि इस संबंध में जो नियम हैं उन को मैं स्पष्ट कर दूं ताकि नियम के अनुसार माननीय सदस्य काम रोको प्रस्ताव आइन्दा लाया करें। मेरे पास जो काम रोको प्रस्ताव है वह बहुत ही गोल मोल लफ्जों में है कि ज्यादती हो रही है, उसके दो एक उदाहरण भी हैं। इस संबंध में नियम यह है कि काम रोको प्रस्ताव तब ही लिया जा सकता है जब उसका एक कोई निश्चित विषय हो। पहली आवश्यकता उसमें यह है कि एक ही विषय हो, अनेक विषय उसमें शामिल नहीं किये जा सकते हैं। तो इस तरफ हमेशा ध्यान रखना चाहिये। दूसरे पब्लिक इम्पार्टेंस का होना चाहिये। यानी सार्वजनिक हित का होना चाहिये। तीसरे अर्जेंसी का सवाल आता है कि उसे तत्काल लेने की क्यों आवश्यकता है। क्योंकि जो सदन का साधारण काम चल रहा है उस को रोक कर उस पर विचार करने की आवश्यकता होती है, इसलिये जब बहुत ही जरूरी विषय होता है तब ही उस पर विचार करने के लिये इस तरह का प्रस्ताव आ सकता है। मैं यह भी संकेत कर देना चाहता हूं कि जब कोई मालूमात या जानकारी सरकार से हासिल करनी हो तो उसके लिये नियम में दूसरे रास्ते भी सुलभ कर दिये गए हैं। वे तरीक़े ये हैं कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर के या तारांकित प्रश्न करके भी और उसके बाद जो सरकार से जवाब मिले उससे समाधान न होने पर उसके लिए आध घंटे हफ्ते में दो दिन मौक़ा मिल सकता है जब उस पर बहस हो सकती है और उसका स्पष्टीकरण हो सकता है। तो सिर्फ जानकारी के लिए काम रोको प्रस्ताव लाना ठीक नहीं है। निश्चित क्या है, इस विषय में मैं स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं। यहां हमारा तरीक़ा वही है जो कि इंगलैन्ड की पार्लियामेंट का तरीक़ा है। मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस की जो किताब है उस में सफ़ा २५२ पर डेफिनिट कौन सी चीज है यानी निश्चित कौन सी चीज है उसके लिये कई उदाहरण दिये हुये हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि किसको निश्चित कहा जाय और किसको अनिश्चित कहा जाय। इस संबंध में जो वहां के अध्यक्ष ने फैसले दिये हैं उनके अनुसार जो स्पष्टीकरण होता है वह मैं आप को थोड़े से शब्दों में बता देना चाहता हूं---

"Matter must be definite. The matter raised by the motion must be a single specific matter."

स्पेसिफ़िक होना चाहिये और एक ही मैटर यानी विषय होना चाहिये। दूसरे—

"Not couched in general terms or covering a great number of cases." जेनरल टर्म्स में नहीं आना चाहिए। "बहुत अत्याचार हो रहे हैं", "बहुत ज्यादती हो रही है" इस तरह से गोल मोल बातें कह देना और इधर-उधर के दस-पांच जगह के केसेज साइट कर देना यानी वाक़यात बयान कर देना, यह काफ़ी नहीं है।

तीसरी बात और महत्व की है—

"not hered when facts are in dispute or before they are available."

यह बड़े महत्व की बात है क्योंकि 'निश्चितता' में सही वाक़यात या फैक्ट्स मालूम हो जाने चाहिये। वाक़यात के संबंध में डिस्प्यूट यानी मतभेद नहीं होना चाहिये। अगर माननीय सदस्य किसी चीज को कहते हैं कि यह चीज हुई और सरकार की तरफ़ से उसके बारे में चैलेन्ज किया गया कि नहीं हुई तो उस विषय पर कोई विचारार्थ प्रस्ताव काम रोको प्रस्ताव की शक्ल में नहीं आ सकता। ऐसी अवस्था में सरकार को तहकीकात करने का मौक़ा मिलना चाहिये और फिर तहकीकात करने के बाद भी अगर किसी माननीय सदस्य को शंका हो तो फिर से तहकीकात सरकार से कराई जाती है यह कह कर कि सरकार को सही फैक्ट्स नहीं मालूम हुये। लेकिन जब तक सदन के सामने फैक्ट्स अनडिस्प्यूटेड नहीं आते तब तक इस सदन का काम रोक कर उस विषय पर विचार नहीं हो सकता और उसके लिये मैं इजाजत नहीं दे सकता। तो डिफ़निटनेस में उक्त तीन चीजें आवश्यक होती हैं और माननीय सदस्य इन पर विचार करके ही इस तरह के काम रोको प्रस्ताव लाया करें। इसमें स्पष्ट है कि माननीय गृह मंत्री जी इससे इन्कार करते हैं और कहते हैं कि इस तरह की ज्यादतियां उस जगह नहीं हुईं। शिकायत भी श्री उमाशंकर जी ने की और उसकी जांच कराई गई। तो वे वाक़यात को डिस्प्यूट करते हैं इसलिये यह डेफ़निट नहीं रहा।

दूसरी चीज यह कि मैंने उन्हें सफ़ाई करने के लिये मौक़ा तो जरूर दे दिया लेकिन जो काम रोको प्रस्ताव मेरे सामने है वह बिल्कुल गोल शब्दों में है। मैंने जो देखने के लिये काग़जात मंगाये उनमें भी मुझे अलग-अलग जगहों की शिकायतें अनिश्चित मिलीं। माननीय गृह मंत्री जी के पास तो सिर्फ एक ही आवेदनपत्र शिकायत का भेजा गया था इसलिये सब शिकायतें भेजी गईं, यह कहना भी निर्विवाद नहीं है। ऐसी अवस्था में इस तरह से काम रोको प्रस्ताव ला कर सदन का समय बार बार लेना मैं समझता हूं कि अनुचित है और मैं आइन्दा इस क़िस्म का मौक़ा किसी माननीय सदस्य को नहीं दूंगा कि वह अपने प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण करे जब तक कि वे नियमों की पाबन्दी पूरे तौर से नहीं करेंगे। इस वक्त मैंने उन्हें स्पष्टीकरण का मौका दे दिया लेकिन फिर भी यह डेफ़निट नहीं हुआ और निश्चित भी नहीं हुआ, यही अब भी मेरा फैसला है, इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं कि यह काम रोको प्रस्ताव अनुमति प्राप्त करने के लिये सदन में पेश हो।

*आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब माननीय शिक्षा मन्त्री के प्रस्ताव पर कि आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३, को एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय तथा श्री नारायण दत्त तिवारी के संशोधन पर कि उपर्युक्त विधेयक एक महीने के भीतर जनमत प्राप्त करने के हेतु प्रसारित किया जाय, विवाद जारी रहेगा।

---

*७ अगस्त, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल मैं आपकी आज्ञा से सिनेट संगठन के महत्वपूर्ण सिद्धान्त पर प्रकाश डाल रहा था। मैंने यह निवेदन किया था कि वर्तमान सिनेट में, जो कि इस विधेयक के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, एकेडेमिक और नानएकेडेमिक मेम्बर्स के बैलेन्स को खत्म कर दिया गया है जब कि नान-एकेडेमिक मेम्बर्स की संख्या इस विधेयक के अनुसार ७४ रह जाती है और एकेडेमिक मेम्बर्स की संख्या ५१ रह जाती है। यह बात महत्वपूर्ण इसलिये भी हो जाती है कि जब हमने सिनेट की कार्यवाही से, सुप्रीम गवर्निंग बाडी सिनेट को नहीं माना है। आज तक सिनेट आगरा यूनिवर्सिटी में सुप्रीम गवर्निंग बाडी माना जाता था चाहे उसका कार्य कुछ भी रहा हो लेकिन फिर भी उसका स्टेटस था। इसके साथ ही साथ अब जब कि उस काम को हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं कि इस विधेयक के द्वारा एक ओर तो यह कोशिश की गई है कि एकेडेमिक एक्टिविटीज के मामले में सिनेट के कर्तव्य को बढ़ा दिया जाय और सिनेट को फाइनल अथारिटी माना गया है। फिर सिनेट को पावर है कि---

"Subject to the provisions of his Act the Senate shall have the power to review the acts of the Executive Council or the Academic Board."

पहले एकेडेमिक बोर्ड की पावर्स को रिव्यू करने का अख्तियार सीनेट को नहीं था। इसलिये जब हम सीनेट के अधिकारों को इस विधेयक द्वारा बढ़ा रहे हैं, तो एकेडेमिक के मेम्बर्स का बैलेंस ज्यादा या बराबर रखना चाहिए था। नान एकेडेमिक मेम्बर्स का बहुमत एकेडेमिक फैसले नहीं कर सकता। इस विधेयक से सीनेट को ४ प्रकार के अधिकार दिये गये हैं। एक तो स्टैटयूट बनाने का और उनको रिपील और अमेंड करने का और एक आम तरीके से प्रस्ताव पास करने का। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब हमने सीनेट से वाइस चांसलर के चुनाव का हक और फैकल्टीज के नामीनेशन या इस प्रकार के और हक छीन लिये हैं तब सीनेट को इतने अधिकारों की जो इस विधेयक में रखे गये हैं, क्या आवश्यकता रह जाती है? आज तक का आगरा यूनिवर्सिटी का इतिहास यह बतलाता है कि सीनेट ने आज तक जिन अख्तियारों का वहां इस्तेमाल किया वे केवल चुनाव सम्बन्धी थे। साल में १ बार उसकी सालाना मीटिंग कनवोकेशन के दिनों में हुआ करती थी। उसी दिन सवालात और चुनाव और सारा काम सीनेट का खत्म हो जाता था। कोई भी महत्वपूर्ण काम सीनेट नहीं कर पाती थी। स्पेशल मीटिंग्स का जहां तक सवाल है, आज तक या सन् ४२ तक जब तक की सूचना है, उसके बाद भी कुल मिला कर २ सीनेट की मीटिंग्स तिर्फ हुई। तो जब स्पेशल मीटिंग्स बहुत कम होती हैं और साल भर में सालाना मीटिंग कुल एक होती है, तो किस प्रकार का कार्य वह करेगी? फिर इसमें हम यह भी देखते हैं कि

"It shall be the duty of the Executive Council to carry out the resolutions passed by the Senate but where in any case it is not able to doso it shall inform the Senate of its inability."

तो दर असल जितना भी अनुभव आज तक आगरा यूनिवर्सिटी का हमको बतलाता है, सीनेट केवल एक प्रकार से चुनाव संपन्न करने वाली बाडी रही है। और चुनाव का अधिकार इस विधेयक में हम खत्म करने जा रहे हैं तो फिर सीनेट का अधिकार रह क्या जाता है? रैवेरेंड कैनन डेविस, जिन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी को बनाया था उनका भी यही ख्याल था कि जब तक हम वाइस चांसलर को सीनेट और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिये जिम्मेदार नहीं करेंगे और वाइस चांसलर को सीनेट और एक्जीक्यूटिव काउंसिल का भरोसा प्राप्त नहीं होगा तब तक विश्वविद्यालय का काम ठीक तरह से नहीं चल सकता है। उस समय उन्होंने कहा था कि---

"To thrust down the throat of an autonomous body a presiding authority is to do something which is unwise, because what is the Vice-Chancellor of

a University ? He is a mere figure-head unless he carries with him the most important bodies of the University, namely, the Senate, Syndicate or the Executive Council."

अब जिस प्रकार हमने वाइस चांसलर के चुनाव की प्रणाली बनाई है कि सीनेट का उससे कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा, तो मैं समझता हूं कि जनमत और विशाल बहुमत यह कहेगा कि सीनेट की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। कितने स्टेट्यूट आज तक आगरा यूनीवर्सिटी की सीनेट ने बनाये, माननीय मंत्री जी हमको बतलावें। डाक्टर पांडया ने ३ बार सीनेट में प्रस्ताव मूव किया कि विद्यार्थियों के नम्बर प्रिंसिपलों के पास भेजे जावें और तब एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने स्टैटचूट बनाया। पिछले ३, ४ सालों के पहले, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कितने स्टेट्यूट सीनेट ने अपने अधिकारों से बनाये? इतना काम्पलीकेटेड प्रोसीडचोर है कि वह स्टैटचूट नहीं बना पाते और साल में केवल एक बार मीटिंग होती है और जितने इसके अधिकार थे वह सब छीन लिये गये हैं और जो अधिकार दे रहे हैं वह एकेडेमिक अथारिटी के बारे में दे रहे हैं, वह गलत है। इसलिये सीनेट का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। चुनाव की पद्धति को आप हटा देते लेकिन टीचर्स के रिप्रेजेन्टेशन को कम न करते। डाक्टर प्रद्युम्न चन्द्र जोशी ने अपनी गवाही में कहा था कि आगरा यूनीवर्सिटी में चुनाव पद्धति खराब है, चुनाव प्रणाली ग़लत है। इसको बदल देना चाहिये लेकिन टीचर्स प्रतिनिधित्व को कम न किया जाय, इसलिये मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अगर सीनेट के सिद्धान्त को जनमत के सामने रखेंगे तो इसका नतीजा इसके विपरीत होगा जो आज हम इस विधेयक में रखने जा रहे हैं।

इसके साथ-साथ में एग्जीक्यूटिव कौंसिल की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस एग्जीक्यूटिव कौंसिल को यूनीवर्सिटी की चीफ अथारिटी माना गया है। यहां "चीफ अथारिटी" शब्द रखे गये हैं लेकिन है यह सिर्फ एग्जीक्यूटिव कौंसिल, जिसकी सिफारिश न तो राधाकृष्णन् कमीशन ने की थी और न सम्पूर्णानन्द कमेटी ने की थी। अगर माननीय मंत्री जी इनकी रिपोर्ट्स उठा कर देखेंगे तो विपरीत पायेंगे। राधा कृष्णन् कमीशन ने हाई कोर्ट के नुमायंदे और पब्लिक सर्विस कमीशन के नुमायन्दों की बात कही थी। हमारे माननीय मंत्री जी ने न तो हाई कोर्ट के नुमाइन्दे रक्खें और न पब्लिक सर्विस कमीशन के ही नुमायन्दे रखे बल्कि दो प्रिंसिपल्स और जोड़ दिये। एक तो सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज आगरा और दूसरा गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कालेज कानपुर के प्रिंसिपल। यह दोनों सरकारी आदेश के अनुसार ही काम करने वाले हैं। इन्हीं का डामीनेशन नई फायनेंस कमेटी में भी रहेगा। इसका नतीजा क्या होगा कि गवर्नमेंट का डामीनेशन एग्जीक्यूटिव कौंसिल में रहेगा, फाइनेंस कमेटी में भी गवर्नमेंट का डामीनेशन रहेगा और सीनेट के अधिकार आपने खत्म कर दिये हैं। यह तस्वीर माननीय मंत्री जी के विधेयक और संशोधन की होगी और उनकी आटोनोमी की जो परिभाषा है उसकी तस्वीर है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि किस तरह से वह जनमत को अपने साथ ले सकते हैं। अगर वह नहीं डरते हैं तो देखें कि जनमत उनके इस संशोधन का स्वागत करता है या नहीं। अगर स्वागत करता है तो वह आगे आयेगा और कहेगा कि ठीक है।

आज आगरा यूनीवर्सिटी के फ़ैकल्टीज़ के सात डीन हैं। पहले तो जितने डीन होते थे वह सबके सब एग्जीक्यूटिव कौंसिल के मेम्बर्स होते थे लेकिन अब सवाल यह हो गया है कि सात डीन चुनेंगे चार डीन्स को। इसके साथ ही साथ प्रिंसिपल के चुनाव का तरीका भी किस तरह से रखा गया है। इससे तो इलेक्शन और भी काम्पलीकेटेड हो गया है। पहले यह नहीं था। पहले तो यह था कि जितने डीन होते थे वे सब के सब मेम्बर हो जाते थे और इसी तरह से हर एक कालेज का प्रिंसिपल भी मेम्बर हो जाता था। लेकिन अब पोस्ट कम कर दी गई हैं और केवल तीन पोस्ट

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

रखी गई है। आगरा यूनीवर्सिटी में करीब ६५ कालेजेज हैं। अब सवाल यह है कि इन सब कालेजेज के प्रिंसिपल एक जगह इकट्ठे हों और फिर वह तीन आदमियों को चुनें। इसमें अवश्य पार्टीबाजी होगी अन्यथा किस प्रकार चुनाव होगा। इससे स्पष्ट है कि अब चुनाव में कितनी आसानी हो गई है।

हां, हमारे माननीय मंत्री जी ने रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स कांस्टीट्यूएन्सी का जरूर सुधार किया है। मैं इस बारे में अपने मंत्री जी को बधाई देता हूं। लेकिन हम केवल रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स कांस्टीटुएन्सी को ही महत्व नहीं देते क्योंकि यह तो एक एक्सटर्नल बाडी है और महत्व इंटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन का है। रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स के बारे में शिकायत जरूर थी लेकिन इंटर्नल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अधिक शिकायत थी। मैंने तो इस बारे में श्री आर० के० सिंह जी की राय को पढ़ा। मैंने यह देखा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि चांसलर के नामिनीज जो चार होंगे, आज तक आगरा यूनीवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव कौंसिल में ८ नामिनी रहे, वे ८ आदमी कार्य करते रहे, उसके बारे में श्री आर० के० सिंह जो कि आगरा के निवासी हैं और मैं समझता हूं कि आगरा यूनीवर्सिटी के हालात के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं उनका कहना यह है कि "A high power microscope shall be required to look after and to see into the notes of dissent of these nominees." यानी एक बड़े भारी पावर की खुर्दबीन की जरूरत होगी यह देखने के लिये कि ८ आदमी जो थे उन्होंने कितने नोट आफ डिसेंट वहां की वर्किंग के बारे में दिये। अब आपने चार कर दिये। खैर, यह आप कह सकते हैं कि अब आप बड़े अच्छे नामिनेशन्स करेंगे। इसके साथ ही साथ वहां पर एग्जीक्यूटिव कौंसिल के संगठन का जो और दूसरा ढंग निकाला है कि उसके प्रिंसिपल का चुनाव अब तक जिन उसूलों के अनुसार हुआ है वही प्रिंसिपल आज भी लिये जायेंगे, तो यह सोच लेना कि एग्जीक्यूटिव कौंसिल के संगठन में उन्होंने कोई सुधार कर दिया है, मैं इसको नहीं मानता। जैसा कि कल संकेत रूप में कहा था बजाय नामजदगी करने के अगर राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट के, पब्लिक के और उसके साथ ही साथ जो रिसर्च बाडीज हैं उनके नुमायन्दे लिये जाते, जैसा कि इंगलैण्ड में होता है तो नामजदगी की प्रथा भी खत्म हो जाती और हमारे विद्वान लोग जो उसमें दिलचस्पी लेते वे एग्जीक्यूटिव कौंसिल में आ सकते थे। तो आवश्यकता इस बात की है कि एग्जीक्यूटिव कौंसिल को बिल्कुल नये रूप से बनाया जाय। उसमें अध्यापकों का भी बहुमत रहे और जो डीन्स हैं वे सब के सब रहें। मुझे आशा है कि अगर जनमत में एग्जीक्यूटिव कौंसिल का मामला गया तो सारा जनमत माननीय मंत्री के एक्जीक्यूटिव कौंसिल के संगठन के सिद्धान्त को ठुकरा देगा।

इसके अलावा जो सब से बड़ी एतराज की बात मुझे निवेदन करनी है वह एकेडेमिक बोर्ड के सिलसिले में है। श्रीमन्, सैडलर कमीशन ने अपनी सिफारिशों में एकेडेमिक कौंसिल के संगठन को बहुत बड़ा महत्व दिया था। उनके विचार में किसी भी विश्वविद्यालय की एकेडेमिक आटोनोमीज के सुरक्षित करने का सब से बड़ा जो यंत्र था वह एकेडेमिक कौंसिल थी। हमारे माननीय मंत्री जी ने सैडलर कमीशन की राय तो ठुकरा कर, राधाकृष्णन् कमीशन की राय को ठुकराकर एकेडेमिक बोर्ड को एकेडेमिक बोर्ड ही रखा, कौंसिल नहीं बनाया। जब कि सम्पूर्णानन्द कमेटी की यह सब से पहली सिफारिश है। उसकी रिपोर्ट के पेज २८६ पर यह लिखा है:—

"The Academic Board was specially constituted to take charge of the work, but the Board has only advisory powers and it is confessed on all hands that the Board is futile. It meets once a year and the only serious work it does, besides passing on suggestions from the Faculties to the Executive Council,

is to appoint, to tick off the abnormalities in the examination results of the preceding year, which have been tabulated for it by the registrar."

संपूर्णानन्द जी के अलावा और कौन दूसरा अधिक ठीक राय दे सकता है ? आगे चल कर उस कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है---

"The academic work of the University, consequently, never gets a careful consideration. The people who discuss do not decide; the people who decide have little time to discuss. In fact the whole academic organization of the University has failed. The Boards of Studies are out of touch with the teaching departments of the colleges; the Faculties are a miscellaneous crowd in which the most competent teachers of the colleges may not find a hearing and in which, on the basis of democracy, everyone counts for one and nobody for more than one. The Academic Board can disappear without anyone feeling the loss."

तो इतना सख्त रिमार्क लिखा हुआ है लेकिन फिर भी उस एकेडेमिक बोर्ड को माननीय मंत्री जी ने उसी तरह से रख दिया है। सिर्फ फर्क इतना किया है कि यह कह दिया है कि पहले तो एकेडेमिक बोर्ड के विधान की व्यवस्था ऐक्ट के अन्दर हुई और अब कह दिया कि स्टेटच्यूट में बन जायगा।

माननीय मंत्री जी इस विधेयक म लिखते हैं---

"The constitution of the Academic Board and the term of office of its members shall be prescribed by the Statutes."

पहले में आपने यह रखा था कि वाइस चांसलर होंगे, डीन आफ फैकल्टीज होंगे, कनवीनर्स आफ बोर्ड्स आफ स्टडीज होंगे तथा ५ आदमी और होंगे। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब एकेडेमिक आर्गेनाइजेशन ही असफल रहा है तो फिर उन्होंने इस प्रश्न को सुलझाने के लिये क्या किया ? श्रीमन् मेरा तो इस कारण से यह मत है कि अगर इसको जनमत के लिये प्रसारित किया जाय तो जनमत इस चीज को अवश्य ही अस्वीकार कर देगा और यह राय देगा कि इक्जीक्यूटिव कौंसिल का ताल्लुक केवल एडमिनिस्ट्रेटिव और आर्थिक मामलों से होना चाहिये और जो एकेडेमिक मामलात है उनका संबंध ऐकेडेमिक कौंसिल से होना चाहिये। इस सम्बन्ध में संपूर्णानंद कमेटी की सिफारिश पढ़ना चाहता हूं। वह इस प्रकार है ---

"Our recommendation is that the five faculties and the Academic Board is replaced by an Academic Council authorized by the act to faculties as the 'Academic Authority' of the university. The council should consist of the Vice-chancellor (Ex-officio chairman) and the chairman of the Board of Studies. Co-opted members are not needed."

ठीक इसी प्रकार की राय राधाकृष्णन् कमेटी की भी है। सम्पूर्णानन्द कमेटी की राय तो यहां तक है कि जो लोग चुने जायं वे ऐकेडेमिक कौंसिल के द्वारा ही चुने जायं ताकि वे एकेडेमिक कौंसिल के विश्वासपात्र हों। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्हें उसके इस रूप में क्या दिक्कत है और आखिर इसके बारे में आज तक क्या होता रहा है। जो पुराना विधेयक था उसके अनुसार भी फैकल्टीज बनाने का अधिकार ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल को था। वह नियमों के अनुसार फैकल्टीज बना सकती थी। इस विधेयक में भी उसी अधिकार को रखा गया है। पहले विधेयक में यह स्पष्ट थी लेकिन इस विधेयक में इसको अस्पष्ट कर दिया गया है। आखिर इन फैकल्टीज का निर्माण इसलिये होता आया है कि वे एक्सपर्ट अथारिटी का नेतृत्व करें। मेरे पास उनकी संख्या भी है कि आज तक इन फैकल्टीज की क्या हालत रही है। सारी फैकल्टीज में २३५ सदस्य थे।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

Academic Board	..	..	.. 31
Board of Inspection	..	..	.. 11
Faculty of arts	..	..	.. 81
Ditto Science		..	.. 46
Ditto Commerce		..	.. 36
Ditto Law	..	..	.. 16
Ditto Agriculture		..	.. 14
		Total	235

इन फैकल्टीज़ के बारे में संपूर्णानन्द कमेटी की राय तो यह है कि वह बिलकुल बेकार है। उनमें अव्यवस्था है। मेरी यह समझ में नहीं आता कि वह किस प्रकार से कोर्सेज आफ स्टडीज को प्रेस्क्राइब करेगी और किस प्रकार से रिसर्च वर्क का प्रबन्ध करेगी? इन सब बातों के लिये माननीय मंत्री जी ने क्या उपाय सोचा है? अब मैं सदन का कम समय लेने के लिये एक महत्वपूर्ण ऐतराज और कर देना चाहता हूं और मैं यह समझता हूं कि इस विधेयक में यह सबसे बड़ा एतराज है और उसी की वजह से माननीय मंत्री जी पर कलंक लगने वाला है। वह ऐतराज यह है कि माननीय मंत्री जी ने कई जगह इस बात का जिक्र किया है कि इसको "स्टेच्यूट नियत करेंगे" जैसे डीन आफ फैकल्टी के चुनाव का ढंग क्या होगा, इसे स्टेच्यूट नियत करेगा, सेलेक्शन कमेटी का किस प्रकार से कार्य होगा, इसे स्टेच्यूट नियत करेगा, बोर्ड आफ स्टडीज का कार्य क्या होगा, इसे स्टेच्यूट नियत करेगा। यानी जगह-जगह लिखा हुआ है कि स्टेच्यूट नियत करेगा, स्टेच्यूट नियत करेगा, लेकिन वह स्टेच्यूट क्या है, यह हमें मालूम नहीं है।

श्रीमन्, आपको याद होगा कि जब यह आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट सन् २६ में आया था तो जो स्टेच्यूट या शेड्यूल बनाया गया था उसमें इस सदन में विवाद हुआ कि फैकल्टीज के अधिकार क्या क्या होने चाहिये, कैसा कंस्टीच्यूशन होगा "स्टेच्यूट इज दि फंडामेंटल थिंग आफ यूनिवर्सिटी"। माननीय मंत्री जी जो स्टेच्यूट बनाना चाहते हैं उनको चाहिये था कि पहले इस विधेयक का शेड्यूल लाते जिससे मालूम होता कि इसमें कोई गोल बात तो नहीं है लेकिन माननीय मंत्री जी बजाय इसके कि इसका शेड्यूल रखें गोल अधिकार अपने हाथ में लेना चाहते हैं। धारा १ की उपधारा (२) के अनुसार गवर्नमेंट जो स्टेट्यूट्स बनाना चाहती है वह इस तरह से है---

"This section and section 35 and 36 shall, except as herein provided, come into force atonce, and the other sections, shall come into force on such date, as the State Government may by notification in the official Gazette, appoint in this behalf:

Provided that it shall be lawful, at any time after tei Act has been first published in the official Gazette,....."

श्री अध्यक्ष---आप हिन्दी से ही पढ़िये।

श्री नारायण दत्त तिवारी---जब मैं हिन्दी से पढ़ता हूं तो कहा जाता है कि इंगलिश देखो। इसलिये मैं समझता हूं कि करेक्टनेस के लिये इंगलिश से ही पढ़ना ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष---अगर इस तरह की बात कभी कही जाय तब आप पढ़ें लेकिन जब हिन्दी में है तो आप उसी से पढ़ें।

श्री नारायण दत्त तिवारी---लेकिन फिर मैं माननीय मंत्री जी से कह देना चाहता हूं कि इंगलिश देखें, इंगलिश देखें वे न कहेंगे, जब कि मैं हिन्दी से पढ़ूं।

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सरकारी गजट में इस अधिनियम के प्रथम प्रकाशन के बाद, किसी भी समय राज्य सरकार के लिये इस अधिनियम से संशोधित आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के अनुसार, यूनीवर्सिटी अथारिटीज के सामान्यतः उपर्युक्त संगठन के लिये आवश्यक कोई भी कार्य करना जिसके अन्तर्गत स्टेटचूट्स बनाना (framing of statutes) भी है, वैध होगा, किन्तु धारा ३६ के अन्तर्गत किसी भी आज्ञा को मानते हुए, इस प्रकार संगठित कोई भी यूनिवर्सिटी अथारिटी तब तक सत्तारूढ़ (come into being) न हो सकेगी अथवा कार्य आरम्भ नहीं कर सकेगी जब तक दूसरी धारायें प्रचलित न हो जायं,

और प्रतिबन्ध यह भी है कि पूर्वगामी प्रतिबन्धात्मक वाक्य द्वारा मिले अधिकारों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा बनाये गये कोई भी स्टैट्यूट्स तब तक प्रचलित रहेंगे जब तक इस अधिनियम द्वारा संशोधित आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के अधीन की गयी कोई बात या किये गये किसी कार्य द्वारा वे अधिक्रान्त (Superseded) न हो जायं।"

यानी धारा को प्रचलित करने का भी गवर्नमेंट को अधिकार है और स्टेट्यूट्स बनाने का भी गवर्नमेंट को अधिकार है। तो बहुत से मामले ऐसे हैं जो कि अगर स्टेटचूट्स का शेडयूल यहां होता तो हमारे सामने वे सब स्पष्ट हो जाते लेकिन न तो हमारे माननीय मंत्री जी के भाषण में ही वह स्पष्ट है और न इस विधेयक में ही स्पष्ट है। वह बिल्कुल गोल है। उनका क्या सुधार होगा, कैसे होगा, क्या नियम होगा, यह हमें कुछ नहीं मालूम है। मान लीजिये कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये भी सरक्यूलेट किया जाय और कल तो एक बार मैंने यही प्रस्ताव करने को सोचा था कि यह बिल्कुल विधेयक ही वापस ले लिया जाय लेकिन बाद को मैंने सोचा कि अगर माननीय मंत्री जी के सामने ही वह चीज आ जायगी तो उसमें कुछ सुधार हो जायगा। राधाकृष्णन् कमीशन तथा सम्पूर्णानन्द कमेटी की रिपोर्ट में भी इस बात को साफ कर दिया गया है कि जो पहला स्टैटयूट हो वह शेडयूल में जरूर रखा जाय। मैं तो यह कहूंगा कि अब आर्डिनेंस की एक नयी संज्ञा दी गयी है। तो जो आर्डिनेंस निकलते हैं इन आर्डिनेंस को भी कम से कम शेडयूल में होना चाहिये था। उनका भी बहुत महत्व है। इसी तरह से एप्वायंटमेंट आफ एक्जामिनर्स, डिसिप्लीन आफ स्टुडेंट्स, कंडिशन आफ स्टुडेंट्स आदि महत्व की चीजों को भी प्रस्तावना में होना चाहिये था। सन् २६ में जब यह विधेयक आया तो उस समय रेवरेंड कैनेन डेविस जो आगरा यूनीवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर थे उन्होंने कहा था कि फैकल्टीज का ढांचा बदलना जरूरी है। उसको हाउस ने भी मंजूर किया और उसके बाद स्टैट्यूट्स लागू किया। तो क्या मैं माननीय मंत्री जी से आशा करूं कि इस विधेयक की तरफ जो कि काफी गम्भीर है वे ध्यान देने की कृपा करेंगे ?

इसके साथ ही साथ मैं कुछ बातें सेलेक्शन कमेटी के बारे में कहना चाहता हूं। इस विधेयक के द्वारा माननीय मंत्री जी ने सेलेक्शन कमेटी की प्रस्तावना की है। जो एक स्टैंडिंग कमेटी नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी स्टैंडिंग कमेटी होगी जो हर सब्जेक्ट के लिये अलग अलग वैरिएशन से काम करती होगी। और उसमें कहा गया है कि "दि डीन कंसर्न्ड, दि प्रिंसिपल कंसर्न्ड।" जिस विषय का अप्वाइन्टमेंट करना होगा वह प्रिंसिपल या डीन करेगा। श्रीमन् अब तक २६ बोर्ड आफ स्टडीज काम करते थे उसी प्रकार अब २६ सेलेक्शन कमेटीज हो जायेंगी। होना तो यह चाहिये था जैसा कि राधाकृष्णन् कमीशन ने कहा है कि सेलेक्शन कमेटी एक ऐसी स्टैंडिंग कमेटी हो जिसमें अलग अलग विषयों के लोग निमंत्रित कर लिये जायं या उस खास अप्वाइन्टमेंट के लिये विद्वान लोग बुला लिये जायं। बजाय इसके कि आप २६ स्टैंडिंग कमेटीज

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

बनायें। अगर आप श्रीमन् इस विधेयक को देखेंगे तो इसका एक ही अर्थ है "There shall be a Selection Committee for each subject to study, which shall consist of—" तो आप देखिये कितनी सेलेक्शन कमेटीज होंगी। तो इतनी ज्यादा सेलेक्शन कमेटीज के रहने के सिद्धान्त का मैं विरोध करता हूं। और इसका विशाल जनमत भी विरोध करेगा। इसके साथ ही साथ आप कितने चान्सलर आफ यूनीवर्सिटीज बुलायेंगे और कितने एक्सपर्ट उसमें नामीनेट करेंगे। टीचर्स आफ दि यूनीवर्सिटीज के छांटने की बात इसमें लिखी गयी है उसके लिये यह कहा गया है कि चांसलर के अपरूवल के बाद एक्जीक्यूटिस कौंसिल और सेलेक्शन कमेटीज दोनों मिल कर टीचर का अप्वाइन्टमेंट करेंगी। मैं समझता हूं जहां तक टीचर्स के अप्वाइन्टमेंट का सवाल है इस मामले में एक्जीक्यूटिव कौंसिल को अप्वाइन्टमेंट का अधिकार नहीं होना चाहिये। बल्कि एकेडेमिक कौंसिल को अधिकार होना चाहिये। हां, एकेडेमिक कौंसिल को यह बतला देना चाहिये कि हमारे कितना फाइनेंशल प्रावीजन है इसके साथ ही साथ जहां तक एफीलियेटेड कालिजेज के टीचर्स का सवाल है वहां पर सेलेक्शन कमेटी का अपरूवल उन्हीं मामलों में माना गया है जब कि किसी टीचर का नाम रिजेक्ट कर दिया जाय। मैं समझता हूं यह बात ग़लत है। यूनीवर्सिटी और एफीलियेटेड कालेज के टीचर्स के अप्वाइन्टमेंट के बारे में यूनीफार्मिटी होनी चाहिये। धारा २५ (३) के अनुसार मैनेजमेंट जब सूचना देता है तो इसमें जो अधिकार दिया गया है वह वायस चांसलर को दिया गया है किन्तु वायस चांसलर को अधिकार न देकर एकेडेमिक कौंसिल को या सेलेक्शन कमेटी के चेयरमैन को सूचना देनी चाहिये और वायस चांसलर उसको एकेडेमिक कौंसिल के सामने रखे और एकेडैमिक कौंसिल उसको अपरूव करे या डिसअपरूव करे। वाइस चांसलर को अपरूवल या डिसअपरूवल का अधिकार नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि दूसरे विश्व-विद्यालयों में भी इसको मान्यता दी गयी है और खासतौर से ब्रिटेन में तो यही माना जाता है। अतएव सेलेक्शन कमेटी का जो सिद्धांत है इसको भी जनमत के सामने विचार के लिये जाना चाहिये।

इसके बाद मैं कुछ थोड़ा समय आपकी आज्ञा से परीक्षा की प्रणाली की तरफ लेना चाहता हूं। मेरे विचार से एक एफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा काम इम्तहान लेना है और जब तक हम वर्तमान प्रणाली को नहीं बदलते हैं तब तक यह समझना कि हम यूनिवर्सिटी की शिक्षा प्रणाली में सुधार कर लेंगे असंभव है। आज सारे भारत में और हमारे प्रान्त में परीक्षा की प्रणाली पास और फेल की प्रणाली के अनुसार है। काबिल से काबिल विद्यार्थी अभाग्यवश अगर किसी परचे में कोई सवाल करने से रह जाता है तो वह फेल हो जाता है या उसका डिवीजन गिर जाता है। हमारी शिक्षा प्रणाली में दुर्भाग्यवश केवल एक ही कसौटी किसी के जांचने की रह गई है, किसी के पास होने या फेल पर ही वह जांच हो सकती है। और वही पुराना नौकर शाही का तरीका है कि कम्पिटीशन के लिये लोगों को तैयार करना। जीवन के कम्पिटीशन के लिये नहीं, देश की बुनियादी कठिनाइयों को दूर करने के लिये जिस कम्पिटीशन की आवश्यकता है उसके लिये नहीं, बल्कि पी० सी० एस० और आई० ए० एस० या और दूसरी परीक्षाओं के लिये विद्यार्थियों को तैयार करना यह हमारी शिक्षा प्रणाली की आजतक आधारभूत परम्परा रही है और आगरा यूनिवर्सिटी के लिये जहां तक मैंने सुना है लोगों का यह कहना है कि उसका स्टैंडर्ड बहुत लो है और वह इसलिये कि यहां लोग ज्यादा पास हो जाते हैं। कहते हैं कि आगरा यूनिवर्सिटी की डिग्री बहुत चीप है और बड़ी आसानी से मिल जाती है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात को जानते हैं। इसके अतिरिक्त मुझे एक बड़ी शिकायत इस विधेयक को देखकर यह भी होती है कि जब इतने बड़े सुधार की यूनिवर्सिटी में कोशिश की जा रही है तो परीक्षा प्रणाली को क्यों नहीं बदला जा रहा है। मैं जब राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट को देखता हूं तो उसके अपेन्डिक्स में इम्तहान के तमाम तरीके लिखे हुये हैं। इंग्लैण्ड में जिस तरह से साइकालोजिकल टेस्ट्स होते है, या वोकेशनल टेस्ट्स या प्रेक्टिकल टेस्टस होते हैं या यू० एस० ए० की यूनिवर्सिटीज में जिस तरह

के टेस्ट्स होते हैं उस तरीके पर एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है। लेकिन यहां हमारी परीक्षा का मापदंड केवल फर्स्ट, सेकण्ड और थर्ड डिवीजन है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपने इसके बदलने की कोशिश की? मैं समझता हूं कि आज देश का विशाल बहुमत, देश का विशाल राजनीतिक बहुमत चाहे वह किसी पार्टी का हो, क्योंकि यह पार्टियों का प्रश्न नहीं है, देश का विशाल बहुमत परीक्षा की प्रणाली को बदलना चाहता है। डाक्टर जियाउद्दीन अहमद जो कि इस प्रांत के नहीं इस देश के एक बहुत बड़े शिक्षा विशेषज्ञ माने जा चुके हैं उनके शब्द ये हैं कि "हमारे देश में जो परीक्षा प्रणाली है वह परीक्षा को पीछे ले जाने वाली है। कोई यूनिवर्सिटी यदि मेहनत करके ६० प्रतिशत विद्यार्थियों को पास कर देती है और केवल ४० प्रतिशत विद्यार्थी फेल होते हैं तो वह निकम्मी मानी जाती है"। यह उनके शब्द हैं। लेकिन कोई निकम्मी यूनिवर्सिटी अगर कम विद्यार्थियों को पास करती है और ज्यादा विद्यार्थियों को फेल करती है यानी २० या ३० प्रतिशत विद्यार्थी पास होते हैं और ७० प्रतिशत विद्यार्थियों को फेल करती है तो वह यूनिवर्सिटी बड़ी काबिल है। तो यहां की परीक्षा प्रणाली परसेण्टेज आफ फेल्योर्स और परसेण्टेज आफ पासिंग कैण्डीडेट्स पर निर्भर है। अब उसी के साथ साथ एक्सटर्नल एक्जामिनर्स और इंटरनल एक्जामिनर्स की व्यवस्था की गई है। विधेयक में लिखा हुआ है—

"मूल अधिनियम की धारा ३१ (१) में उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(3) There shall be at least two paper setters for each subject of study prescribed for a degree and as nearly as possible one half of the number of examiners appointed in each subject shall be persons not in the service of the University or an affiliated college."

इसमें आगे चलकर लिखा गया है—

"(4) The examiners in each subject shall be appointed by rotation from the the panel of names prepared in the manner prescribed by the Ordinances.

"(5) Every person appointed as examiner shall as a condition of appointment agree that he will not undertake examination work in excess of the limits laid down in the Ordinances."

तो हमने परीक्षा प्रणाली को नहीं बदला, गांधी जी की वर्धा योजना को नहीं माना और राधाकृष्णन् की सिफारिशों को नहीं माना और अगर परीक्षा प्रणाली को रखा तो कैसा रखा कि उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल एक्जामिनर्स का रेशियो रखा गया ५० प्रतिशत और सौ प्रतिशत। जब मैंने इस संबंध में विद्वानों की राय देखी तो पंडित गोविन्द बल्लभ पंत की राय यह है कि एक्सटर्नल एक्जामिनर्स नहीं होना चाहिये, सब इंटरनल एक्जामिनर्स होना चाहिये और डाक्टर प्रद्युम्नचन्द्र जी जोशी जो एक प्रमुख शिक्षा शास्त्री हैं उनकी राय यह है कि एक प्रतिशत या १० प्रतिशत तक तो एक्सटर्नल एक्जामिनर्स हों तो ठीक है लेकिन इसके अतिरिक्त सब इंटरनल एक्जामिनर्स होना चाहिये। लेकिन यहां सुधार के नाम पर यह कोशिश की गई है कि रोटेशन की प्रणाली के आधार पर पेपर सेटर्स और एक्जामिनर्स लिये जायं।

अब मैं श्रीमन्, क्या कहूं माननीय मंत्री ने जरूर सोच-समझकर यह कहा होगा लेकिन रोटेशन की प्रणाली के अनुसार पेपर के सेटर और एक्जामिनर बनाना कहां का तरीका है। किसी सिद्धांत के अनुसार आदमियों को लेना चाहिये कि कौन पेपर सेट करेगा और कौन एक्जामिन करेगा। रोटेशन की प्रणाली के अनुसार आर्डिनेंस में क्या रखा गया है माननीय मंत्री जी इसको मानते हैं और उसी के अनुसार लोगों को लिया जायगा। मैं तो यह समझता हूं कि कमीशन की रिपोर्ट में उन्होंने यह कहा है कि ३ आदमियों का एक पैनल होना चाहिये। जिसमें पुराने वायस चांसलर रहे हों और जो इन सब बातों को अच्छी तरह से जानते हों वही उसमें रखने चाहिये और वही उन सब बातों का फैसला करें। मैंने इस आर्डिनेंस को पढ़ने की बहुत कोशिश की लेकिन मैंने यह कहीं पर नहीं देखा कि एक्जामिनर को कौन नियुक्त करेगा और कौन एक्सटर्नल और इन्टरनल एक्जामिनर को अप्वायन्ट करेगा। यह कहीं पर भी इसमें स्पष्ट नहीं है। यह आवश्यक विषय है कि कौन इनको नियुक्त करेगा, कौन पेपर सेट करेगा, यह इसमें

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

स्पष्ट होना चाहिये। हम रोटेशन के जरिये इन्टर्नल और एक्सटर्नल का सवाल उठाकर किसी प्रकार से इम्तहान के तरीके को सुधार नहीं सकते हैं। इसके साथ साथ एक बात इसमें जरूर सराहनीय है और वह यह है कि इसमें इस बात की कोशिश की गयी है कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में इम्तहान की कापी न जाने पायें। अगर नियम में इस प्रकार की व्यवस्था रहे तो यह ठीक है और स्वागत् करने की बात है क्योंकि यह देखा गया है कि आगरा यूनिवर्सिटी में बहुत से लोगों की आज तक यह प्रणाली रही है और वहां पर एक्जामिनरशिप एक क्रय और विक्रय की वस्तु हो गयी थी क्योंकि एकाध उदाहरण ऐसे देखने में आये कि एक्जामिनरशिप वहां एक प्रकार से एक विशेष कृपा की वस्तु हो गयी लेकिन जब तक हम इम्तहान की प्रणाली नहीं बदलते और जब तक एकेडेमिक कौंसिल उनको नियुक्त नहीं करती तब तक इम्तहान की प्रणाली में सुधार नहीं हो सकता।

अब मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में इस संबंध में फाइनेंस कमेटी की कुछ बात रखना चाहता हूं। जहां तक फाइनेंस कमेटी का सवाल है मैं नहीं जानता कि यह फाइनेंस कमेटी कहां तक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी से संबंध रखती है लेकिन जहां पर फाइनेंस कमेटी में यूनिवर्सिटी से एफिलियेटेड कालेजेज को ग्रांट देने का सवाल आये उनको यूनिवर्सिटी ग्रांट को भूल नहीं जाना चाहिये। राधाकृष्णन् कमीशन ने इस संबंध में एक ग्रांट एलोकेशन कमेटी की सिफारिश की है और कहा है कि प्रान्तीय सरकार को किसी भी यूनिवर्सिटी को और किसी भी कालेज को ग्रांट देने के लिये पहले वहां की आर्थिक अवस्था को देखकर और वहां के विद्यार्थियों की संख्या को देखकर, वहां की संस्था में व्यक्तिगत लोगों द्वारा दान देने की स्थिति को देखकर फैसला करना चाहिये। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फाइनेंस कमेटी में २ नामजद व्यक्ति होंगे तो वह किस प्रकार से नामजद किये जायेंगे। दूसरी बात यह है कि आगरा यूनिवर्सिटी में कोई ट्रेजरार नहीं है। मंत्री जी इस बात को जानते हैं और आगरा यूनिवर्सिटी के एकाउण्ट की बात को वह ज्यादा जानते हैं। पिछले साल ५, ६ लाख का बजट था वह इस साल ८ लाख का हो गया होगा लेकिन अभी वहां पर कोई ट्रेजरार नहीं है। अब इस विधेयक के द्वारा वहां के एकाउण्ट को रेगुलेट करना चाहते हैं। यह एकाउण्ट की बातें हैं लेकिन वहां पर खजाञ्ची नहीं है। फाइनेंस कमेटी आप बनाने जा रहे हैं और उसमें आडिट रिपोर्ट का जिकर है तो होना यह चाहिये था कि बजाय वाइस चांसलर के चेयरमैन होने के ट्रेजरर को फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन होना चाहिये था और उसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी के भी नुमाइन्दे होने चाहिये थे और जहां तक बजट का और खर्च व आमदनी का सवाल है वह भी फाइनेंस कमेटी ही निर्धारित करेगी, तो सवाल यह है कि वह कहां से निर्धारित करेगी। या तो यूनिवर्सिटी ग्राण्ट्स कमेटी के चेयरमैन ही चेयरमैन हों या कोई दूसरे प्रतिनिधि हों तभी जाकर मैं समझता हूं कि हम फाइनेंस कमेटी को एक मजबूत, संस्था और एक सही मानों में काम करने वाली संस्था बना सकते हैं। लेकिन उस में एक खतरा है और मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को उस से सावधान कर देना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि उनको इस प्रदेश का जनमत भी उस खतरे से सावधान करेगा और उसको बड़े ही सुन्दर शब्दों में राधाकृष्णन कमीशन ने बताया है कि कहीं फाइनेंस कमेटी के नुमाइन्दे एक्जीक्यूटिव कौंसिल पर हावी न हो जायं। पेज ४३४ पर राधाकृष्णन् कमीशन ने लिखा है कि—

"There is a widespread tendency, not peculiar to India, for Finance Committees gradually to encroach on the functions of their parent body and to become the determiners of policy. This must be resisted. The Finance Committee is there to ensure, among other things, that the university does not embark on schemes which it cannot afford. It can say : 'You must choose between your scheme A and your scheme B, since you cannot afford both.' But it must not make the choice itself."

लेकिन एक्जीक्यूटिव कौंसिल के बहुमत होने की वजह से और गवर्नमेंट के नामिनीज की अनिवार्यता को देखते हुये और चूंकि तीन का कोरम होगा जिस में एक एजूकेशन मिनिस्टर का नामिनी होगा और उसके बगैर कोई फैसला न होना चाहिये। माननीय मंत्री जी को अपने

अधिकारों का बहुत खयाल है और वह समझते हैं कि अगर उनके नुमाइन्दे के मौजूद हुये बिना अगर कोई फैसला फाइनेंस कमेटी कर देगी तो बड़ा गजब हो जायगा। स्वायत्त अधिकारों की मंत्री जी के यहां यह स्थिति है। मैं मंत्री जी को फिर सावधान कर देना चाहता हूं कि वह फाइनेंस कमेटी को एजूकेशन कमेटी के हाथ की कठपुतली न बनावें और यह न करें कि जब तक उन का नुमाइन्दा न होगा तबतक फाइनेंस कमेटी का कोई निश्चय न होगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमेटी में और उस में बड़ा फर्क है। अगर वह कहें कि वह भी तो गवर्नमेंट की ही बनाई हुई है, उस में एक्सपर्टस रहते हैं और दूसरे उस में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहते हैं। अगर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी के नुमाइन्दे फाइनेंस कमेटी में होते तो कोई एतराज न होता लेकिन जब कि हम देखते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी हर जगह अपना डामिनेशन करना चाहते हैं तो हमें एतराज होता है।

इतना कहने के बाद मैं आप की आज्ञा से कुछ शब्द स्टूडेंट डिसिप्लिन के बारे में कहूंगा क्योंकि इस बिल के द्वारा माननीय मंत्री जी ने अपने हाथ में पूरी ताकत ली है कि आर्डिनेंस के द्वारा वह अपने हाथ में स्टूडेंड डिसिप्लिन के बारे में पूरे अधिकार ले सकें और कानून बना सकें। आज सारे प्रांत में यूनिवर्सिटी यूनियनों का सवाल उठा है वहां के प्रेजीडेंट वाइस-चांसलर होते हैं और आज शिकायत है कि विद्यार्थियों का स्तर गिर रहा है और इनडिसिप्लिन बढ़ रही है। मैं माननीय मंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं और मैं समझता हूं कि इस सदन के सभी सदस्य इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले सभी लोग अनुशासन की भावना का श्रेय ग्रहण करते हैं और चाहते हैं कि देश की जनता में और विशेषतः युवक समाज में और विद्यार्थियों के युवक वर्ग में अनुशासन रहे और वह अनुशासनपूर्ण जीवन और एक विद्यार्थी के रूप में एक अध्ययनशील व्यक्ति का जीवन वह सम्पूर्ण रूप से व्यतीत करें। लेकिन आखिर अनुशासन के क्या अर्थ हैं। यह यूनियनें अनुशासन को तोड़ने वाली संस्थाएं मानी जाने लगी हैं। क्योंकि मैंने देखा कि चांसलर ने वायसचांसलर की कान्फ्रेंस इस बारे में बुलायी और यह आम सिद्धांत सा मान लिया गया कि आज की जो व्यवस्था है उसमें क्या क्या सुधार करने चाहिये और क्या क्या तरीके निकालने चाहिये। उनमें एक आध तरीका तो बड़ा सुन्दर था। और अगर ऐसे ही तरीके बतलाये जाते तो मैं समझता हूं कि विद्यार्थी जगत भी उनका स्वागत करता जैसे कि नैनीताल में गवर्नर्स म्पकै हुआ। बड़े बड़े विद्वानों के भाषण हुये। इस प्रकार से कैम्पों के जरिये या विश्वविद्यालयों में विशेष प्रकार के भाषणों द्वारा विद्यार्थियों में अनुशासन प्रियता बढायी जाती तो मैं समझता लेकिन आज मैं देखता हूं कि यूनिवर्सिटी यूनियनों के विधान को बदल कर....

श्री अध्यक्ष--क्या इस संबंध में विधेयक में कुछ है?

श्री नारायणदत्त तिवारी--जी हां। मैं दिखला रहा हूं। श्रीमन्, मैं आप का ध्यान धारा २४ की तरफ ले जाना चाहता हूं--

"२४--मूल अधिनियम की धारा २७ के बाद निम्नलिखित धारा २७-ए और २७-बी के रूप में रख दिये जायं :-

"27-A. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for any matter permitted by this Act or the Statutes to he provided for by Ordiances and for any other matter, including the giving of religious instruction, which the execcutive Council considers it advisable to provide for by Ordiances.

(2) Without prejudice to the generality of the power conferred by sub-section (1) the Ordinances shall provide for the following matters, namely-"

अब इसके बाद आप कृपा करके (२) आई (देखें)-

"(1) the maintenance of discipline among students;"

श्री अध्यक्ष---इसमें कोई सुझाव नहीं है। आप सुझाव नहीं दे सकते हैं। आप आर्डिनेंस के बारे में सिद्धांत पर बहस कर सकते हैं। लेकिन आर्डिनेंस क्या होना चाहिये, किस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करनी चाहिये या अभी जो यूनिवर्सिटी में जो बातें हो रही हैं उनके संबंध में सुझाव इसमें नहीं आ सकते।

श्री नारायण दत्त तिवारी---मैं केवल उदाहरण के रूप में कह रहा था। इसमें जनमत की आवश्यकता इसलिये भी है कि यह मालूम हो सके कि जनमत क्या चाहता है कि आर्डिनेंस किस प्रकार बने। तो मैं आपकी आज्ञा से राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट के पृष्ठ....

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)---मुझे वैधानिक आपत्ति है। आर्डिनेंस बनाने का अख्तियार गवर्नमेंट को नहीं है। इसलिये आर्डिनेंस में क्या चीजें प्रोवाइड होंगी उस पर यहां बहस नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष---आप ठीक कहते हैं। मैं देखना चाहता था कि वह पढ़ क्या रहे हैं?

श्री नारायण दत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी की उस गलतफहमी.....

श्री अध्यक्ष---मैंने यह फैसला दिया है। आप कृपा करके बैठें। पहले उसको समझ लें। आर्डिनेंस बनाने का गवर्नमेंट को भी अधिकार होता तो भी मैं इजाजत नहीं देता। जिस वक्त उसूल तय हो रहे हैं उस वक्त आप अपने सुझाव पेश करें कि यह होना चाहिये था या यह नहीं होना चाहिये था, इस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन हो सकती है, डिसिप्लिन मेंटेन करने का तरीका क्या हो, इस पर आप बहस नहीं कर सकते। आप यह कह सकते हैं कि आर्डिनेंस का तरीका उचित नहीं था, प्रश्न सदन में आना चाहिये था ऐसी इस प्रकार की कोई बात आप कह सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---अगर मैं पूरा कह लेता तो मैं समझता हूं कि आप पूर्णतया मेरी विचारधारा से सहमत हो जाते।

मैं तो यह कह रहा था कि आज तक जो आर्डिनेंस रहे हैं वह क्या रहे हैं। उनका परिणाम निकाल रहा था, उनका जिक्र कर रहा था। आगे जो आर्डिनेंस होंगे उनके बारे में मैं जानता नहीं, वह गोल चीज है, लेकिन आज तक जो आर्डिनेंस थे उनका जिक्र कर रहा था।

श्री अध्यक्ष---वह चीज विधेयक में मौजूद नहीं है, वह आर्डिनेंस भी सामने नहीं है, उन पर आप बहस नहीं कर सकते।

श्री नारायण दत्त तिवारी---तो मैं इस संबंध में यानी यूनियन्स के कांस्टिट्यूशन के बारे में और स्टूडेंट्स डिसिप्लिन के बारे में राधाकृष्णन् कमीशन की जो राय है उसको सामने रखना चाहता हूं---

"It is a pity that compulsion is to be used in some universities to make the Unions sufficiently strong in membership and Finance. The essence of the Union should be that it is of the students and for the students without any interference from the authorities of the University."

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके यह चर्चा डिस्कंटीन्यु करें। इस बात पर बोलने की मैं अनुमति नहीं देता कि डिसिप्लिन रखने के बारे में आप डिटेल्स में जायं, क्योंकि विधेयक में वह बातें नहीं हैं--

श्री नारायण दत्त तिवारी---इसके बाद मैं यह समझता हूं कि जब तक स्टूडेंट गवर्नमेंट की व्यवस्था नहीं होगी, जिस प्रकार यूनाइटेड स्टेट्स में है कि विद्यार्थी अपनी व्यवस्था को खुद चलायें। सारे यूनाइटेड स्टेट्स में अगर किसी प्रकार विद्यार्थियों के सुधार की कोई बात सोची गयी है तो वह स्टूडेंट गवर्नमेंट सिस्टम के जरिये सोची गयी है और मैं यह समझता हूं कि अगर आज

प्रदेश के भारी बहुमत की राय लें तो विद्यार्थियों के रहन सहन का ढंग, होस्टल में उनकी जीवन प्रणाली को सुधारने की क्या कोशिश हुई है इसके बारे में कोई प्रयत्न आज तक नहीं हुये हैं। सैडलर कमीशन ने इस बारे में सिफारिश की थी और राधाकृष्णन कमीशन ने भी राय दी थी कि डीन आफ स्टूडेंट्स की व्यवस्था की जानी चाहिये। उनका कर्तव्य यह हो कि विद्यार्थी अपनी भावी जिन्दगी में क्या क्या करें, यह बतायें। वह अपनी जिन्दगी किस प्रकार प्लान करें अपने कैरियर की किस प्रकार योजना बनायें, इस पर उनको सहायता देने वाला डीन आफ स्टूडेंट्स हो। इस विधेयक में इस बात की बड़ी कमी है कि कोई फैकल्टी इस बारे में नहीं है कि जहां पर इस प्रकार की व्यवस्था हो कि आखिर किसी विद्यार्थी को अपने जीवन दर्शन में कि किस प्रकार वह अपने जीवन का प्लान करे इसके लिये सहायता मिल सके। इसी आइजेबेला थाबर्न कालिज में स्टूडेंड गवर्नमेंट असोसियेशन नाम की एक संस्था है। माननीय मंत्री जी ने उसका नाम सुना होगा, शायद गये भी हों, लेकिन उसकी ख्याति इतनी अधिक है वह आप जानते हैं। वहां किस प्रकार से स्टूडेंट प्राक्टर बना करके उनको अधिकार दिया गया है कि वह विद्यार्थियों के जीवन का प्लान करें और उसके अनुसार जो वहां काम हुये हैं इसकी मिसाल हमारे सामने है। इस संबंध में तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन ने एक ऐडवाइजरी बोर्ड आफ स्टूडेंट वेल्फेयर की सिफारिश की है कि ऐसा बोर्ड बनाना चाहिये जिस प्रकार कि बोर्ड आफ स्टडीज या और बोर्ड होते हैं उस प्रकार यह बोर्ड बने। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिर जिन के लिये हम सारी यूनिवर्सिटी को बना रहे हैं, जिनको माध्यम बनाकर, जिनको साधन मान कर हम साध्य तक पहुंचना चाहते हैं उनके जीवन में क्या परिवर्तन लाएं और उनकी सुविधा के लिये हम क्या कर रहे हैं? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज जितना विद्यार्थियों के ऊपर खर्च होता है लखनऊ यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट दी है उससे मालूम पड़ता है कि ३८-३९ में युक्तप्रांतीय सरकार एक यूनिवर्सिटी के ऊपर ५४६ रुपया खर्च करती थी और ४६-४७ में घट कर वह लगभग सवा चार सौ पर खर्चा आ गया और अगर आज का औसत लगाना चाहें तो वह घट करके ३०० रुपया पर आ गया है। मैं जानता हूं कि बजट संबंधी कठिनाइयां होती हैं। मैं यह भी जानता हूं कि हमें रुपये पैसे की भी बड़ी दिक्कत है। लेकिन जब हम एक ओर युनिवर्सिटियों में इतना अधिकार लेना चाहते हैं, उन पर इतना नियंत्रण करना चाहते हैं, हर प्रकार से इस बात की कोशिश करते हैं कि हम युनिवर्सिटी के दायित्व को अपने हाथ में लें और उसके विधान को बना सकें, तो क्या यह हमारा कर्त्तव्य नहीं है कि हम वहां के विद्यार्थियों के ऊपर कितना खर्च हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दें? ब्रिटेन में, अमेरिका में उच्च शिक्षा पर जितना सरकार खर्च कर रही है उसका स्तर बढ़ रहा है। कल मैंने बतलाया था कि ब्रिटेन की सरकार ने ६ गुना खर्च इस पर बढ़ा दिया है। यहां पर हायर एजुकेशन पर मुश्किल से ८ प्रतिशत खर्च किया जाता है। इस लिए मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह जरा हिसाब लगायें और अगर मैं गलत कहता हूं तो उसे सही करें और बतलायें कि अब गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है। इतनी उच्च शिक्षा की इतनी उपेक्षा क्यों हो रही है।

इसके साथ ही साथ टीचर्स की कन्डीशन्स के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी ने इसमें इस बात की व्यवस्था की है कि टीचर्स की कन्डीशन्स को तय करने के लिए पूरे अधिकार होंगे और एक आर्बिट्रेशन बोर्ड होगा जिसको यह अधिकार होगा कि उनकी लिविंग कंडीशन्स के बारे में या उनकी सर्विसेज के बारे में फैसला करे। लेकिन कहीं पर भी टीचर्स के अप्वाइन्टमेंट्स की सुरक्षा का प्रश्न, या उनके अप्वाइन्टमेंट्स के ढंग कौन तय करेगा, इसके क्या नियम होंगे, यह इसमें दिखायी नहीं पड़ता। यह बिलकुल अधूरा रह गया है। उनके प्राविडेंट फन्ड तक का जिक्र है लेकिन उनकी पे क्या होगी, इसका कोई जिक्र नहीं है। अगर आज आगरा यूनिवर्सिटी के अध्यापकों की स्थिति को देखा जाय, उससे अफिलिएटेड कालेजेज के जो अलग अलग अध्यापक हैं, उनकी हालत देखी जाय तो क्या उनको पे मिलती है, क्या उनकी दशा है, उस पर माननीय मन्त्री जी अगर गौर करें तो उनको मालूम होगा कि इस

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

बात की कितनी बड़ी आवश्यकता है कि टीचर्स की लिविंग कन्डीशन्स को देखें, उसके अनुपात को देखें, कितनी तनख्वाह उनको मिलती है और उस अनुपात के अनुसार उसको भी ठीक किया जाय। लेकिन इस विधेयक में कहीं भी इसका कोई जिक्र नहीं है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जहां बोर्ड आफ आर्बिट्रेशन को ऐक्ट में रख दिया है वहां इसी प्रकार जो अफिलिएटेड कालेजेज के टीचर्स हैं उनकी कण्डीशन को सुधारने की भी कोशिश करें। तो मैं यह चाहता हूं और मैं यह समझता हूं कि अगर जनमत के लिए यह विधेयक प्रसारित हुआ तो आगरा यूनिवर्सिटी के अध्यापकों का विशाल समुदाय ही नहीं, बल्कि इस प्रान्त का प्रत्येक सभ्य नागरिक मेरी इस दलील का समर्थन करेगा और अन्त में मैं समझता हूं कि मैंने काफी समय इस सदन का आपकी आज्ञा से लिया। मैं कहना तो और भी चाहता था और कह भी सकता था लेकिन माननीय मन्त्री जी अब काफी नाराज हो चुके हैं, उनको और ज्यादा नाराज करना नहीं चाहता। मैं मानता हूं कि इस विधेयक के जरिये कुछ सुधार करने की चेष्टा की गयी है लेकिन अन्ततः इस विधेयक के जरिये जितने सुधार होने चाहिए थे उतने सुधार न होकर ज्यादा हानि होने की संभावना है। गवर्नमेंट के हाथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट के हाथ में युनिवर्सिटी की अपनी जो बागडोर है, वह आने की आशा है। सिनेट के अधिकारों को एक मृगमरीचिका के अधिकार बनाकर उसे केवल दिखावे की संस्था बनाने का इसमें प्रस्ताव है। वाइस चांसलर के बारे में अधिकार अपने हाथ में रखे गये हैं, फाइनेंस कमेटी को एक गवर्नमेंट कमेटी बनाने की बात इसमें दिखायी देती है। वाइसचांसलर के अप्वाइन्टमेंट में इस प्रकार के सिद्धान्त को अपनाया गया है जिसमें सभी कमीशनों की राय को ठुकराया गया है। एक्जीक्यूटिव कौंसिल को जिस प्रकार से बनाया गया है, उसमें सरकारी आदमियों को २० प्रतिशत से ३३ प्रतिशत कर दिया गया है और विद्यार्थियों और अध्यापकों के प्रतिनिधियों की अवहेलना की गयी है, और इसीलिए मैं समझता हूं कि इस विधेयक के सिद्धान्तों को मानना प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों या यूनिवर्सिटी आटोनामी के सिद्धान्तों की अवहेलना करना है और साथ ही साथ आगरा युनिवर्सिटी के सिद्धान्तों को, जिन्हें हम मान चुके हैं उनसे भी पीछे हटना है। और मामलों में जहां हम आगे बढ़ते हैं वहां पीछे भी हटते हैं। सेकेन्डरी एजुकेशन की रूपरेखा स्पष्ट नहीं है। उसको भी इसमें रख दिया गया है। विद्यार्थियों के अनुशासन की बात रखी गयी है परन्तु उनके रहन-सहन के सम्बन्ध में, कुछ नहीं रखा गया है। हम परीक्षा क ढंग को नहीं बदलते, अफिलिएटिंग युनिवर्सिटी के कैरेक्टर को नहीं बदलते, तो आखिर हम करते क्या हैं। इसीलिए मैं महामहोपाध्याय श्री काने साहब के शब्दों में माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे फिर उस पर विचार करें। आप जानते हैं कि महामहोपाध्याय काने साहब इस देश के प्रसिद्ध विद्वानों में से थे और बम्बई युनिवर्सिटी के वाइसचांसलर जितना वे रहे उतना कोई नहीं रहा।

श्री अध्यक्ष—यहां काफी आप से बुजुर्ग लोग बैठे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—उन्हीं के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—उपस्थित कीजिये लेकिन काने साहब के बारे में न कहिये, उन्हें सब जानते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—लेकिन उनकी बात कहता हूं—

"Every draft of any Bill affecting the University in any way should be first sent to the University for opinion and its opinion should always be taken before any Bill is placed before the Legislative Council. The University should also be called upon by Government to wait in deputation if it is a whole Bill or a portion of the Bill."

तो यह मैंने केवल एक राय रखी। कहीं यह न समझा जाय कि यह नारायणदत्त की बात है, इसमें कोई वजन नहीं है, मैंने इस देश के एक महान विद्वान की राय सदन के सामने रखी।

इसलिए मुझे आशा है कि इस सदन के सभी सदस्य मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे और माननीय मन्त्री जी अपने सेलेक्ट कमेटी वाले प्रस्ताव को वापस ले करके मेरे प्रस्ताव पर विचार करेंगे। आज विश्वविद्यालयों के सुधार की समस्या सार्वदेशिक और सार्वकालिक समस्या है। आज के विद्यार्थियों को, आज के स्नातक को, जिस प्रकार देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योग्य बनाना आवश्यक है उसको देखते हुए यह भी आवश्यक है कि जनमत इस बारे में सचेत हो। जनमत को सचेत करना और जनमत को अन्धा न बनने देना भी इस सदन का कर्त्तव्य है। यह कह कर सारी व्यवस्था को अपने ऊपर ले लेना कि हम जन प्रतिनिधि हैं, जनमत को जानने वाले केवल हम ही हैं, यह सदन के लिए सरल कार्य नहीं होगा। हमें विश्वविद्यालयों की शिक्षा में सत्यं, शिवं, सुन्दरम् के आदर्श से प्रेरित होना है, बापू की बुनियादी शिक्षा को प्रसारित करना है। ऐसी दशा में क्या यह असत्य, अशुभ और असुन्दर नहीं होगा कि हम अपने ही तक इसको सीमित रखें और सरकारी दायरों के अन्दर ही सीमित रखें और आगे इसमें कोई संशोधन की गुंजाइश न रखें। मुझे विश्वास है कि जनमत के लिए जाने के बाद, सेलेक्ट कमेटी में जाने के बाद और इस सदन से पास होने के बाद जब यह विधेयक निकलेगा तो उससे विश्वविद्यालयों का सुधार होगा और एक नया अध्याय हमारे यूनिवर्सिटी के जीवन में शुरू होगा। नालन्द, पाटलीपुत्र, वैशाली आदि के पुराने विश्वविद्यालयों से लेकर कैम्ब्रिज, आक्सफोर्ड और आज के हमारे अपने विश्वविद्यालयों तक युगों का इतिहास भरा पड़ा है। हमको उनके अनुभव से शिक्षा लेनी है और अपने देश की व्यावहारिक परिस्थितियों को देखना है और उनको देखने के बाद हम को इस बात की चेष्टा करनी है कि हमारे आज के स्नातक विज्ञान में, कला-कौशल में, दर्शन आदि में एक नये भारत का निर्माण कर सकें ताकि हमारा समृद्धिशाली देश सारे संसार का शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व कर सके और एक नयी चेतना को विश्व में फैलावे।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, आगरा यूनिवर्सिटी अमेण्डमेण्ट बिल के ऊपर जो माननीय शिक्षा मन्त्री ने प्रस्ताव पेश किया है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय मैं उसका समर्थन करता हूं और माननीय तिवारी जी ने जो इसमें संशोधन पेश किया है कि इसको पब्लिक ओपिनियन के लिए भेजा जाय मैं उसका विरोध करता हूं।

माननीय तिवारी जी ने अपनी तीन घन्टे की स्पीच में बहुत से ऐसे ईशूज, श्रीमन्, इस भवन के सामने इन्ट्रोडयूस कर दिये हैं कि यदि उनका जवाब उतने ही डिटेल में दिया जाये तो शायद उससे ड्योढ़ा समय लग जायेगा। तो वैसी धृष्टता तो मैं करने वाला नहीं हूं, लेकिन श्रीमन्, इतना अवश्य है कि कुछ ईशूज जो उन्होंने उठाये वह भले ही जो मौजूदा बिल है उसके स्कोप में न आते हों, लेकिन वह अपनी जगह उचित तथा महत्वपूर्ण हैं। कुछ ऐसी समस्याएं हैं, कुछ ऐसी प्राब्लेम्स हैं जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को कन्सीडर करना आवश्यक है। सब से प्रथम जिस बिल पर मुझको विरोध है वह यह है कि तिवारी जी ने स्वयं यह माना कि जहां तक आब्जेक्टिव का सम्बन्ध है उनको कोई भी आपत्ति नहीं है, यानी जो इस बिल के आब्जेक्टिव हैं, उनको स्वयं वे मानते हैं। उन्होंने यह माना है कि आगरा यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसी खामियां मौजूद हैं जिनके सुधार की अत्यन्त और शीघ्र आवश्यकता है और इस सिलसिले में तो उन्होंने यहां तक शिकायत की कि इस बिल को पहले ही आना चाहिए था और इसको लाने में गवर्नमेंट ने देर की। तो इसमें मुझको आपत्ति यह है कि जब उनको आब्जेक्टिव से कोई मतभेद नहीं है तो उसूलन मैं समझता हूं कि इसको जनमत के सामने ले जाने का प्रश्न नहीं उठता है। अगर आब्जेक्टिव में कोई मतभेद होता तब तो प्रश्न उठ सकता था कि इसको जनमत के सामने भेजा जाय। जब आब्जेक्टिव में मतभेद नहीं है और सिर्फ डिटेल्स की बात है तो डिटेल्स के लिए इसको जनमत के सामने ले जाने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। दूसरी चीज यह है कि श्रीमन्, डेमोक्रेसी के प्रति और जनमत के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि आगरा यूनिवर्सिटी बिल की जो ड्राफ्टिंग है यह एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। इसके अन्दर जनमत का प्रश्न इसलिए नहीं आता क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश

[श्री नवल किशोर]

का जनमत जो है, उसके अन्दर आज भी ७० फीसदी आदमी अनपढ़ हैं बावजूद इसके भी उनको राइट आफ वोट है, और प्रजातान्त्रिक राज्य में उनको इसका पूरा अधिकार है, लेकिन वह जनमत किस प्रकार से ऐसे एक विशेष स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के ऊपर मत प्रदान कर सकेगा। हां, एक चीज हो सकती है कि जो एक्सपर्ट्स हैं और जो एजुकेशनिस्ट हैं उनकी ओपीनियन का प्रश्न उठ सकता है सो सैडलर कमीशन, पंजाब यूनिवर्सिटी इन्क्वायरी कमेटी, सम्पूर्णानन्द कमेटी और मूथम कमेटी तथा राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्टों में भिन्न-भिन्न देशों के चोटी के विशेषज्ञों की राय दी गयी है और उसका सार आज हमारे सामने है। इसके अलावा इस बिल को इन्ट्रोडयूस किये हुए इस हाउस में तीन सप्ताह से अधिक हो गये हैं और इस बीच में यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स तथा दूसरे एजुकेशनिस्ट्स ने उसे देखा होगा। यदि उनको कोई आपत्ति होती तो वे कम से कम अखबारों में टीका-टिप्पणी अवश्य करते। अब यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जायगा तो वहां भी, मैं समझता हूं, कि वे अब भी मेम्बरों के द्वारा अपने सुझावों को पेश करा सकते हैं।

इसके बाद मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक जरा सी दिक्कत जो इस बिल के सम्बन्ध में पैदा हुई, मुझको भी हुई, और मैं समझता हूं और भी साथियों को हुई होगी, वह यह है कि हमारे प्रान्त और देश के सामने जो शिक्षा सम्बन्धी भिन्न-भिन्न समस्याएं हैं कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन हमारी नेशनल नीड और नेशनल एशपरेशन्स के लिए फिट नहीं होती। इसके साथ ही साथ यह भी सब मानते हैं कि स्टैन्डर्ड आफ टीचिंग और स्टैन्डर्ड आफ एक्जामिनेशन गिरता जाता है। स्टैन्डर्ड गिर रहा है, और स्थिति शोचनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं। यह भी प्रश्न है कि विद्यार्थियों की संख्या बहुत बढ़ती जाती है और ऐडमिशन्स में दिक्कतें होती हैं। इससे सम्बन्धित यह भी समस्या है कि जहां यह आशा थी कि विश्वविद्यालय से पास होने के बाद विद्यार्थी के अन्दर आत्मविश्वास होगा और वह अपना मार्ग निर्धारित कर सकेगा और साथ ही साथ देश के लिए एसेट बनेगा, तो आज वह आशा भी निराशा में बदल गयी है। जब वह ग्रैजुएट हो कर निकलता है तो वह डिफिटिस्ट मैंटेलिटी लेकर आता है और बजाय एसेट के देश पर लाइबिलिटी बन जाता है। अनएम्प्लायमेंट यूथ देश और स्टेट के लिए काफी पोटेशल डेंजर हैं। हम यह भी जानते हैं कि स्टाफ के स्केल्स आफ पे, टर्म्स आफ सर्विस और वहां की मैनेजिंग कमेटीज वगैरह काफी असन्तोषजनक स्थिति में हैं। जब तक इन चीजों की एक ओवरआल पिक्चर नहीं बनायी जावेगी, तब तक हम कोई विशेष सुधार शिक्षा पद्धति में नहीं कर सकेंगे। इसके लिए सभी कमीशनों का निश्चित मत है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन में हम तब तक कोई सुधार नहीं कर सकते जब तक कि प्राइमरी और सेकेन्डरी एजुकेशन में भी सुधार न किया जाय। इसके मानी यह हुए कि एक बड़ा भारी प्रश्न सरकार के सामने है। इतना तो अवश्य है कि हमारी केन्द्रीय और प्रादेशिक दोनों सरकारों को इस पर शीघ्र ही ध्यान देना चाहिए और इन समस्याओं को हल करना चाहिए। लेकिन प्रश्न यह भी है कि कितना इन समस्याओं का सम्बन्ध आगरा विश्वविद्यालय के इस विधेयक से है। एक अर्से से खबर थी कि आगरा यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल आवेगा और लोगों को बड़ी आशायें थीं जिनमें से मैं भी एक था। मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी की शिक्षा-पद्धति में एक नया अध्याय खोला जायगा। लेकिन वह भ्रम मेरा कम से कम दूर हो गया है। उस आशापूर्ण दृष्टिकोण से जब हम इस बिल को देखते हैं, तो मालूम होता है कि पद्धति वही है, परीक्षा का ढंग वही है। मगर श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, जहां तक मैंने इसको समझा, इसके आब्जेक्टिव्ज से दो ही चीजों का पता चलता है। पिछले कुछ वर्षों से आगरा विश्वविद्यालय की इतनी शिकायतें सरकार के पास आयीं और भिन्न-भिन्न मौकों पर भी उनका जिक्र किया जाता रहा है कि, यह महसूस किया गया कि कोई ऐसा कदम उठाया जाय जिससे यह बीमारी खत्म हो। इसका स्कोप, यहीं तक लिमिटेड हो गया है कि आगरा यूनिवर्सिटी की कमियों को दूर करने के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल किये जावें। इस सम्बन्ध में कि आगरा यूनिवर्सिटी

की स्थिति कहां तक गिर चुकी है, श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से एक क्वोटेशन पढ़ना चाहूंगा जो कि सम्पूर्णानन्द जी कमेटी की रिपोर्ट के सफे ३०१ पर है और सिनेट के एक माननीय सदस्य की राय है। वह यह है कि—

"The happenings of the last few years have so besmirched the name of the Agra University and so deeply shaken the confidence of the public in the capacity and the integrity of those responsible for the conduct of its affairs, that nothing short of radical measures can rehabilitate the credit of the University."

यह राय एक की नहीं अन्य कई और भी प्रमुख सिनेट के मेम्बर साहबान की है। आगे जाकर यहां तक कहा है कि यह बीमारी यहीं तक नहीं है, बल्कि और भी विश्वविद्यालयों में है और इसका एक किस्म का पैक्ट सा बन गया है और यह यूनिवर्सिटीज सेंटर आफ इन्ट्रीग्स और क्लीग्स बन गयी हैं। यहां तक चीज गिर चुकी है कि इस यूनिवर्सिटी में ऐसे भी मौके आये, चुनाव के सम्बन्ध में जब सर सीताराम और कुंजरू जैसे महान व्यक्ति भी चुनाव में कामयाब नहीं हुए और उसके मुकाबले में थर्ड रेट दूसरे लोग चुन लिये गये। इस तरह यह एक किस्म का पैक्ट बन गया है और जो लोग इस पैक्ट में हैं उन्हीं को हर तरह की चीजें मिलती हैं। अप्वाइन्टमेंट्स मिलते हैं, डीन बनते हैं और वाइस-चांसलर का चुनाव तक इसी पैक्ट के हाथ में है।

अगर आप देखें, श्रीमन्, तो आप पायेंगे कि जितनी भी बाडीज आफ यूनिवर्सिटी है, उन सब में आप कामन ५, ६ आदमियों के ही नाम पायेंगे और वही व्यक्ति ऐसे हैं जो तमाम यूनिवर्सिटी को कन्ट्रोल करते हैं। मैं उनके नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि मैं उसकी आवश्यकता नहीं समझता। कहने का मतलब यह है कि इतनी इन्ट्रीग्स को और क्लीग्स को देखते हुए और इस बात को देखते हुए कि विश्वविद्यालय एक हाईएस्ट सीट आफ एजुकेशन है, और वहां पर इस तरह की निम्नस्तर की बातें नहीं होनी चाहिए। इस बात की आज जरूरत है कि इन खामियों को खत्म कर दिया जाय। लिहाजा इस बिल में अमेंडमेंट किये गये हैं, अगर हम इस बात को मान लें, जैसा कि हमारे तिवारी जी ने माना है कि वाकई स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी, आगरा यूनिवर्सिटी से मेरा मतलब यह नहीं है कि यहीं यह चीज है बल्कि यह चीज तो लखनऊ में भी है और इलाहाबाद में भी है, लेकिन क्योंकि इस समय हमारा सम्बन्ध आगरा यूनिवर्सिटी से है इस लिए आगरा यूनिवर्सिटी की बात मैं कह रहा हूं कि वहां की स्थिति ऐसी है कि वहां सुधार की आवश्यकता है। फिर यदि सुधार की आवश्यकता है तो श्रीमन्, सवाल यह उठता है कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। जब इसका प्रश्न आता है तो साथ ही साथ प्रश्न पैदा होता है, अटोनामी का। जहां तक इस शब्द का ताल्लुक है यह बहुत ही सेकरेड शब्द है और हम सभी इसकी सैंकटिटी को मेन्टेन करना चाहते हैं।

हमारे मित्र श्री तिवारी जी ने इसके सम्बन्ध में मानचेस्टर, लीड्स और एडिनबरा वगैरह के बहुत से हवाले दिये और बम्बई की बात भी कही। बम्बई में तो यहां तक हुआ कि जब वहां पर वहां की धारा सभा द्वारा नियम बनाये गये तो वाइस-चांसलर ने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने इस सम्बन्ध में मूथम कमेटी की रिपोर्ट का कोटेशन भी दिया था, जो कि रिफ्रेंस टु कान्टेक्स्ट नहीं था। इस सिलसिले में श्रीमन् आपकी आज्ञा से मैं मूथम कमेटी की रिपोर्ट से वह कोटेशन पढ़ना चाहूंगा। माननीय तिवारी जी का कोटेशन यह था :—

"We doubt whether any useful purpose is served by seeking to draw a distinction between academic and administrative or financial autonomy. The University is a single entity and the issue of its academic freedom cannot be considered in isolation."

[श्री नवल किशोर]

यह श्रीमन् कल कोटेशन दिया गया था। इसके नीचे बिलकुल लिखा हुआ है और उसकी हेडिंग है :

"*The impossibility of absolute Universty-autonomy.*"

वह यह है कि—

"No social institution can be a law to itself, any more than an individual can be a law to himself. A University must obviously function within the ambit of the laws of the State. Universities in India of today are institutions of national importance and the State cannot be wholly disinterested in their affairs."

इसके बाद श्रीमन्, इसके बिलकुल नीचे यह लिखा हुआ है कि—

"*The position in Great Britain*—Reference is not infrequently made to the high degree of academic freedom possessed by the Universities in Great Britain. What is sometimes overlooked is (a) that autonomy of the Bititish Universities is not absolute or unconditional, and (b) that the freedom which such Universities now undoubtedly possess has been in part the result of parliamentary legislation following upon the reports of Government Commissions of Enquiry."

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचन राम गुप्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नवल किशोर—अधिष्ठाता महोदय, मैं यूनिवर्सिटी आटोनामी के सिलसिले में एक कोटेशन पढ़ रहा था जो इन्कम्पलीट रह गया था। उसके आगे इस प्रकार है—

"In the case of Oxford and Cambridge that has happened on no less than three occasions. The unreformed Universities were notoriously ill-liberal and Government intervention resulted in their emancipation."

श्रीमन्, इस सिलसिले में राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट से एक कोटेशन पढ़ने के बाद मैं इसको खत्म कर दूंगा। श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से वह कोटेशन पढ़ना चाहता हूं। रिपोर्ट के Vol. II के सफा १२६ पर इस प्रकार लिखा हुआ है :—

"Autonomy is a very good thing in an educational body, provided it caters to the larger interests of education and functions properly. But there comes a time when the interests of the nation are more important than the interests of the supposed autonomy. If the University is misdirected, then it is the right as well as the duty of the Government to interfere in the larger interest of the University education and the public."

श्रीमन्, इन सब से मेरा तात्पर्य यह है कि वह जो आवाज यूनिवर्सिटी आटोनोमी की उठायी जाती है वह एक बहुत ही मिस कन्सीव्ड आवाज है। इस किस्म के लेजिस्लेशन से आटोनोमी पर कोई विशेष असर नहीं पड़ सकता।

और जरूरत पड़े भी तो मेरा मत यह है कि सरकार को यह अधिकार है कि वह उसमें इन्टरफियर करे। दूसरी एक बात श्रीमन् इस सिलसिले में मुझे यह भी अर्ज करनी है कि इस यूनिवर्सिटी को फंक्शन करते हुए २६ साल हो चुके और इन २६ साल के अन्दर पूरी आटोनामी इस यूनिवर्सिटी को थी और उसका जो अंजाम है वह हमने देख लिया। तो इन सब चीजों के बाद हम इस निश्चय पर आते हैं कि सरकार को यह हक है कि वह हस्तक्षेप कर सकती है और साथ साथ यह भी निश्चित हो गया कि स्थिति ऐसी है कि सरकार को

इसमें फौरन हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि सरकार की जो अब तक पालिसी आफ ड्रिफ्ट रही है, उसको यदि उसने और आगे कान्टिन्यू किया तो स्थिति और ज्यादा डेंजरस हो सकती है। इस सिलसिले में बाई दि वे एक सवाल यह भी उठता है कि इस भवन का जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। मैं समझता हूं कि इस इश्यू में जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि वह मसला तो कई बार तय हो चुका है। और उसके बाद इस पर ज्यादा डिस्कशन करना एक किस्म का एकेडेमिक डिस्कशन होगा। मेरा जहां तक विचार है यह इश्यू "लेजिस्लेशन" का उठता ही नहीं है क्योंकि यह सवाल सम्पूर्णानन्द कमेटी के सामने भी आया था और उसकी राय है कि इस भवन को इस सम्बन्ध में पूर्ण अधिकार है तो जब यह सब निश्चित हो गया कि जूरिस्डिक्शन भी है और हस्तक्षेप होना भी चाहिए तब श्रीमन्, अब यह सवाल उठता है कि वह कौन सा तरीका अख्तियार किया जाय जिससे इस करप्शन को बन्द कर दिया जाय। जहां तक कमीशन का ताल्लुक है सब का मत यह है कि एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स में करप्शन का मुख्य कारण वहां का चुनाव पद्धति है। अतः इलेक्शन के आइटम्स जहां तक हो सकें कम से कम हों। चुनाव की एक पद्धति यूनिवर्सिटी के अन्दर चली आती है और अगर आयन्दा के लिए भी एलेक्शन की उतनी ही हद्द रखी जाय तो मैं समझता हूं कि करप्शन कम नहीं हो सकेगा। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए जो सबसे मेन आइटम करप्शन का है, वह एलेक्शन के कारण है, वह पार्टीबन्दी है जो कि एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स में न होना चाहिए। श्रीमन्, सब से पहला प्रश्न वाइस-चांसलर के चुनाव का उठता है। अब तक आगरा यूनिवर्सिटी में जो पद्धति थी वह यह थी कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल सिनेट के लिए तीन नामों की सिफारिश करती थी और सिनेट अपने यहां उन पर वोटिंग कराती थी। और आम तौर से अनुभव यह रहा कि सिनेट के अन्दर जो एक ग्रूप है जो मोनोपलाइज करता है, वह उन तीन आदमियों में से एक आदमी को इतना अधिक वोट दे देता था कि जो बाकी दो थे उनकी पोजीशन ऐसी हो जाती थी कि वह सिर्फ डमीज रह जाते थे और जब वे नाम चांसलर के सामने आते थे तब सिवा इसके कि उसी आदमी को जिसको कि सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, वाइस-चांसलर चुना जाय और कोई आल्टरनेटिव नहीं होता था। यही नहीं, नाम भी वही एक होता था जो उस पद के लिए उपयुक्त हो सकता था। इस सिलसिले में श्रीमन्, कमीशन का जहां तक ताल्लुक है उसमें भिन्न भिन्न ओपिनियन्स हैं। कुछ कमेटी की ओपोनियन यह है कि वाइस-चांसलर का एप्वाइन्टमेंट डाइरेक्टली चांसलर साहब को करना चाहिए लेकिन राधा कृष्णन कमेटी की जो रिपोर्ट में यह है कि वाइस-चांसलर का चुनाव चांसलर "आन दि रिकमेन्डेशन आफ दि एक्जीक्यूटिव कौंसल" करे तो यहां तक तो उस सिफारिश को मानलिया गया है। इस सम्बन्ध में जहां तक कि दूसरे देशों की यूनिवर्सिटियों का सम्बन्ध है, उनके लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगा कि इसमें और जगह भी भिन्न-भिन्न तरीके हैं। आक्सफार्ड यूनिवर्सिटी में वाइस-चांसलर का अप्वाइन्टमेन्ट चांसलर करता है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सिनेट करती है और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियां भी हैं जिनमें उनका अप्वाइंटमेंट क्राउन करता है। तो इतनी पद्धतियां वाइस-चांसलर के अप्वाइन्टमेंट की हमारे सामने हैं। इस करप्शन को रोकने के लिए इस बिल में एक वाया मीडिया अख्तियार किया गया है और वह यह है कि सिनेट को जो वोटिंग का हक था वह हटा दिया गया और यह रख दिया गया है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल तीन नामों की सिफारिश चांसलर को करेगी और चांसलर को अख्तियार होगा कि उनमें से किसी एक को चुन सकता है। इस सिलसिले में मुझे एक जरा सा सुझाव देना है, वह यह कि बजाय तीन नामों के एक्जीक्यूटिव कौंसिल एक ही नाम की सिफारिश चांसलर को करे, यही राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिश भी है और उसके बाद चांसलर को अख्तियार होगा कि वह उस नाम को वापस कर सकता है और एक्जीक्युटिव कौंसिल फिर दूसरा नाम जो ठीक समझे चांसलर को भेज सकती है। इस सिलसिले में एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि अब तक जो तरीका रहा है वाइस-चांसलर के अप्वाइन्टमेंट का उसके अन्दर यह देखा गया कि वाइस-चांसलर्स के जो अप्वाइन्टमेंट हुए, उनमें एकेडेमिक कन्सीडरेशन के अलावा कुछ और कन्सीडरेशन्स को अधिक

[श्री नवल किशोर]

महत्व दिया गया इस सिलसिले में मैं राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट से एक महानुभाव का एविडेंस पढ़ना चाहूंगा :—

Vol. II, P. 129

"The Vice-Chancellors have been appointed mostly due to other considerations than the academic ones and they have mostly been laymen or judges of the High Court. The Vice-Chancellors should be those who have been actively engaged in teaching or administration in connection with University educaton."

श्रीमन्, इस सिलसिले में श्री जोशी जी ने यह कहा है —

Vol. II, P. 183

"It is growingly felt that Vice-Chancellorship should be the crowning reward of a long academic life and should not become a subject of mere political loyalities."

तो मैं यह नहीं समझ सका अभी तक कि कौन सी एकेडेमिक क्वालिफिकेशन्स इसके अन्दर इन्ट्रोडयूस की जायं, लेकिन जो मैंने कोटेशन्स पढ़े, उसका अभिप्राय यह था कि यह जो पिछला अनुभव है इस से थोड़ा सा सतर्क होने की हमको आवश्यकता है। जो वाइस-चांसलर्स हों उनके अप्वाइन्टमेंट में यह बात अवश्य होनी चाहिए कि ज्यादा कन्सीडरेशन इस बात का हो कि उनकी एजुकेशन के लिए क्या सरविसेज हैं और उनका एजुकेशन कैलीबर क्या है और क्या उनकी एकेडेमिक एक्टीविटीज अब तक रही हैं। इसके बाद जो एक दूसरा तरीका इस सम्बन्ध में क्लिक्स को चेक करने के लिए इस विधेयक में रखा गया है, वह यह है कि उनका दोबारा रिएप्वाइन्टमेंट नहीं होगा। क्योंकि यह देखा गया है कि वाइस-चांसलर की नियुक्ति के बाद ही दूसरे के चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है और पैक्ट बनने लगता है। अब इस प्रकार के चांसेज काफी हद तक खत्म हो जायेंगे। क्योंकि जब एक बार कोई वाइस-चांसलर हो जाता है, तो वह एक ग्रुप पैदा करने की चेष्टा करता है, उसकी एक कोशिश सी होती है कि वह ही पुनः चुना जाय, लेकिन जब उसे मालूम हो जायगा कि मुझे तो सिर्फ ५ साल तक ही काम करना है तो मैं समझता हूं कि इसकी सम्भावना बहुत कम हो जायगी अगर बिलकुल खत्म नहीं हो जायगी तो भी वह और अधिक स्वतन्त्रता से काम कर सकेगा। इसी सिलसिले में एक बात और भी है कि वाइस-चांसलर आनरेरी हो या फुलपेड। अब तक तो आनरेरी ही होते थे। जैसा तिवारी जी ने कहा और सम्पूर्णानन्द कमेटी की रिपोर्ट में भी है कि उसे आनरेरी होना चहिए। लेकिन जो मूयम इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है उसमें और जो राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट है उसमें भी यह है कि वाइस-चांसलर फुल-टाइम और पेड होना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि उसकी पे वगैरा क्या हो। इस डिटेल्स में मैं इस समय जाना नहीं चाहूंगा। जहां तक अन्य यूनिवर्सिटी बाडीज की मेम्बरशिप की बात है, उसके लिए भी इस बिल में काफी चेक कर दिया गया है। क्योंकि सभी की संख्या घटा दी गयी है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा चेक यह है कि अब तक तो चुनाव का निर्णय सिम्पुल मेजारिटी से होता था अब वह सिंगिल नान ट्रांसफरेबिल वोट्स से होगा और उससे यह लाभ होगा कि जितने भी ग्रुप वहां होंगे उनको भी उनकी संख्या के अनुपात से उतनी सीटें भिन्न-भिन्न बाडीज के अन्दर मिलने की संभावना हो जायगी।

इसके बाद एक्जामिनरशिप का सवाल आता है। तो जहां तक इस एक्जामिनिरशिप का सवाल है इसके ऊपर मैंने जितनी रिपोर्ट पढ़ी हैं उनका यह मत है कि यह जितनी भी एक्जामिनरशिप होती है वह पैक्ट के अन्तर्गत अपने अपने आदमियों में बांट दी जाती है और कभी कभी तो यह होता है कि जो जूनियर टीचर होते हैं उनको एक्जामिनरशिप मिल जाती है और बहुत से सीनियर्स को या कालेज के हेड्स तक को नहीं मिल पाती है और वह जो एक ग्रुप है वह अपने ही लोगों में सब कुछ बांट देता है। इस वजह से इस चीज को रोकने के लिये यह किया गया है कि उसमें आधे

से ज्यादा इक्जामिनर्स बाहर के होंगे यानी जो अन्य विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में कार्य करते हैं उनको एक्जामिनर बनाया जायगा । इसके अलावा इसके विषय में और भी बहुत सी बातें हैं पर उन सब बातों को कहने के लिये मैं हाउस का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता ।

अब सवाल आता है नियुक्ति का कि वह किस तरह से की जायगी । वहां पर भी फेवरिटिज्म व नेपोटिज्म को रोकने के लिये एक सेलेक्शन कमेटी बनायी जायेगी और उसका एक कांस्टीट्यूशन भी होगा और उसके अनुसार भविष्य में वहां पर नियुक्तियां की जायंगी । इसमें सही तरह से काम होगा और एक नियम के अनुसार नियुक्तियां होंगी। इसके अलावा एक फाइनेंस बोर्ड होगा । मैं यह समझता हूं कि यूनिवर्सिटी एक बड़ी संस्था है और उसकी जो फाइनेंशियल सोलिडरिटी है वह अपनी जगह पर बहुत जरूरी है। इसके ऊपर एक फाइनेंस बोर्ड का होना बहुत जरूरी है और इसको बनाने का जो प्रबंध किया गया है वह एक अच्छा स्टेप उठाया गया है । इससे काफी जो वेस्टेज होता है उसमें काफी चैक होगा। इसके सिलसिले में मैं एक चीज की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और तिवारी जी ने भी उस बात को कहा और राधाकृष्णन रिपोर्ट की भी यह सिफारिश है कि एक ग्राण्ट अलोकेशन कमेटी राज्य सरकार बनाये । कुछ दूसरी कंट्रोज का सिस्टम भी ऐसा है कि जो ग्राण्ट शिक्षालयों को गवर्नमेंट देती है वह एक कमेटी के जरिये से दी जाती है। इस वजह से इस ग्रांट अलोकेशन कमेटी को जरूर बनाया जाय । इसके अलावा जो ग्राण्ट इन्स्टीट्यूशन्स को दी जाती है वह डाइरेक्ट न देकर अगर यूनिवर्सिटी के जरिये दी जाय तो इससे बेहतर कोआर्डिनेशन हो सकता है ।

इसके अलावा मैं कुछ बातें इन बाडीज के सिलसिले में भी कहना चाहता हूं। सबसे बड़ी इम्पार्टेण्ट जो बाडी है वह हमारी सिनेट है । सिनेट में अभी तक करीब ३०० मेम्बर होते थे। इस सिलसिले में राधाकृष्णन रिपोर्ट ने १२० की सिफारिश की है। यहां पर इसमें १२५ की संख्या रखी गयी है तो जहां तक वह सिफारिश है उसको बहुत कुछ मान लिया गया है। इसके विषय में जो तिवारी जी को आपत्ति थी कि एकेडेमिक और नान एकेडेमिक में बैलेन्स होना चाहिये सो नहीं है इस संबंध में आपने राधाकृष्णन कमेटी का हवाला देते हुए कहा था कि १२० के तीन डिवीजन ४०,४० के होने चाहिये तो वह भी स्टैप करीब करीब बहुत कुछ पूरा हो जाता है। उसकी पूरी तरह से तो कापी नहीं की गयी है लेकिन जितनी उनकी बातें थीं और उन्होंने जो अपनी कमेटी में कही थीं उनको स्पिरिट में मान लिया गया है। जो उन्होंने यह बात कही कि ७१ नामजद होंगे और ५४ यूनिवर्सिटी की तरफ से आयेंगे, अतः बैलेंस वही रहेगा तो यह यूनिवर्सिटी और नान यूनिवर्सिटी में डिसपैरिटी पैदा हो जाने की बात तो समझ में आती है और यह बात सही है लेकिन एकेडेमिक और नान एकेडेमिक के लिये अभी से इस बात को कहना कि डिसपैरिटी पैदा हो जाती है प्रिमेच्योर है। क्योंकि अभी यह कैसे समझ लिया जाय कि जो व्यक्ति नामजद किये जायेंगे वे एकेडेमिक नहीं होंगे यह केवल उनकी भ्रांति है और ठीक नहीं है। कम से कम समय से पहले तो है ही। इसके बाद जहां तक उन्होंने एकेडेमिक बोर्ड की बात कही वह मैं नहीं समझा। अब तक जो तरीका यह रहा है और उससे हम कह सकते हैं कि उसका सिर्फ एक एडवाइजरी फंक्शन रहा है और उसके ऊपर सम्पूर्णानन्द कमेटी की डेफिनिट फाइन्डिंग्ज हैं कि इस चीज को खत्म करना चाहिये, इस बिल में उसको इतनी आटोनामी नहीं दी गई है जितनी तिवारी जी चाहते हैं मगर है उसकी पोजीशन को स्ट्रांग कर दिया गया है और जहां तक कि एक्जिक्यूटिव कमेटी का ताल्लुक है वह बिदआउट दि कन्सल्टेशन आफ एकेडेमिक बोर्ड कोई कदम नहीं उठा सकेगी । जहां तक कि कोर्सेज व सिलेबस का संबन्ध है ।

[श्री नवल किशोर]

अब मैं इस बिल की दो तीन खास बातों की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस बिल का ध्येय है कि स्टैण्डर्ड आफ एजूकेशन को भी ऊंचा रखा जाय और यह बिल कितनी ही ऐसी चीजों को पूरा करता है जिससे कि स्तर ऊंचा रह सके। इस बिल में एक नई चीज आटोनामस कालेज की है। इस पर भी तिवारी जी ने काफी टिप्पणी की है। यह आटोनामीस कालेज का आइडिया कोई नया नहीं है। सन् १९ में भी सेडलर कमीशन रिपोर्ट में भी यह आइडिया आया था और उसका यह स्पष्ट मत था कि एफीलियेटेड यूनिवर्सिटी कोई अच्छे किस्म की यूनिवर्सिटी नहीं हैं लेकिन हमारे देश की और हमारे प्रदेश की जो हालत है उसको देखते हुए हम एकदम से एफीलियेटेड यूनिवर्सिटी को हटा भी नहीं सकते और हम अपने यहां तमाम यूनिवर्सिटीज को रेजीडेंशियल या दूसरे प्रकार की यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते। इसीलिये यही तरीका अपनाया गया कि जो कालेज अच्छे हैं जिनका स्टैण्डर्ड अच्छा है उनको यह अधिकार दिया जाय कि वह स्वयं अपना सिलेबस निर्धारित करें और परीक्षा ले लें और यूनिवर्सिटी डिग्रीज दे दें और उसका नाम यूनिवर्सिटी कालेज रखा गया। पंजाब यूनिवर्सिटी रिपोर्ट में भी इसका नाम यूनिवर्सिटी कालेज न रखकर पोटेन्शियल यूनिवर्सिटी के नाम से सिफारिश की है उन्होंने भी उसी आइडिया को एण्डोर्स किया है और वही यहां भी रखी गई है। मैं इस चीज का स्वागत करता हूं और जब मैं देखता हूं कि हमारे यहां मांग है कि मेरठ व कानपुर में विश्वविद्यालय होना चाहिये तब तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यूनीटरी यूनिवर्सिटीज बनाना अच्छी चीज है लेकिन उनके बनाने में बहुत हद्द तक फाइनेन्शियल आसपेक्ट व कठिनाई सामने आती हैं और बहुत बड़ा पैराफरनेलिया बनाना होता है। अगर इन कालेजों को यह एडवाण्टेज मिल जाय तो बहुत अच्छा है।

वर्कमेन्स कालेज का जो नया विचार है उसके बारे में भी तिवारी जी ने संदेह किया कि वह शायद ४–५ साल में बन सकेंगे या नहीं। मैं उनके सन्देह के लिये तो कुछ नहीं कह सकता लेकिन यह कह सकता हूं कि यह एक बहुत अच्छा कदम है और खास तौर से उन लोगों के लिये जो बहुत से दूसरे कामों में लगे हैं और रेग्यूलर तरीके से कालेज ज्वाइन नहीं कर सकते हैं उनके लिये तो बहुत ही लाभदायक चीज है। ऐसे कालेज हमारे यहां अभी तक नहीं हैं हालांकि वह इंगलैण्ड में तो सौ, सवा सौ बरस से काम कर रहे हैं।

तीसरी चीज सेपरेशन आफ इण्टर ऐण्ड डिग्री क्लासेज के बारे में है। यह भी एक बहुत पुरानी इशू है और यह आइडिया भी सैलडर कमीशन का है और उसी के आधार पर हमारे यहां इण्टर कालेज कायम किये गये थे। मगर डिग्री कालेज से उनको अलग करने की बात अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। हमारे डिग्री कालेजेज का काम इण्टर कालेजेज की आमदनी से पूरा होता है इसलिये इसको कार्यान्वित करने में संभावना है कि बहुत सी आर्थिक कठिनाइयां सामने आवें। क्योंकि बहुत से ऐसे कालेज हैं कि जहां अधिकांश संख्या इंटर के विद्यार्थियों की ही है और डिग्री क्लासेज में बहुत कम हैं। लेकिन जिस तरह से भी हो एजूकेशन के इंटरेस्ट में यही मुनासिब होगा कि इन्टर क्लासेज को डिग्री क्लासेज से अलग किया जाय और इस बिल में भी इस कार्य के लिये ४ साल का समय दिया गया है, हो सकता है इस समय को आगे बढ़ाया जाय। लेकिन इस मामले में सब ही कमीशन्स यूनानिमस राय रखते हैं कि इण्टर क्लासेज को डिग्री क्लासेज से अलग रक्खा जाय। इसके बाद एप्वाइंटमेंट्स का सवाल है। उसमें भी काफी धांधली चलती है। पिछले वर्ष हमारे सामने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के संबंध में बहुत सी शिकायतें आईं कि ऐसा होता है कि जिस आदमी की नियुक्ति करनी होती है उसकी जो योग्यतायें होती हैं उन्हीं को ऐडवर्टाइज किया जाता है ताकि अमुक व्यक्ति ही उन योग्यताओं के अधीन नियुक्त हो सके।

बहुत सी जगह पोस्ट क्लासेज ग्रेजुएट के लिये जो स्टाफ है वह बड़ा इल-इक्विप्ड है। इन सब चीजों को रोकने के लिये सेलेक्ट कमेटीज का प्राविजन इसमें किया गया है। मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छी चीज है। इसके बाद में मुझे यह अर्ज कर देना है कि इसमें पहले एक बोर्ड आफ इन्सपेक्शन था वह अब निकाल दिया गया है। उसका काम तो इग्जिक्यूटिव के पास है लेकिन इस सिलसिले में मेरी यह सिफारिश है कि सरकार एक इंस्पेक्शन कमीशन कायम करे और यही सिफारिश राधाकृष्णन कमीशन की भी है। वह श्रीमन् इस प्रकार है:—

"The University may think of an Inspection Commission (which may include some distinguished scholars form other Universities) to visit all the colleges of the University to see whether the institutions have justified their existence and satisfied the needs of higher education of the Community."

जो कालेजेज इस योग्य न पाये जायं उनको डिसएफिलएट कर देना चाहिये।

इसके बाद श्रीमन्, एक चीज जो इस बिल में पार्सिगली इंट्रोड्यूज हो गयी है और जिसकी तरफ माननीय तिवारी जी ने हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया, वह है धार्मिक शिक्षा। खंड २४ की तीसरी लाइन में लिखा है:—

"27—A (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for the matter permitted by this Act or the statutes to be provided for by Ordinances and for any other matter, including the giving of religious instruction, which the.."

इसमें मैं भी कुछ हद तक उनसे इत्तफाक करता हूं। यह एक ऐसी कंट्रोवर्शल ईश्यू है कि जब यह ईश्यू राधाकृष्णन कमीशन के सामने आयी तो उसमें भी बड़ा मतभेद था। कुछ लोगों का कहना यह था कि सेक्युलर गवर्नमेंट के मानी यह नहीं हैं कि उसके धर्म से चिढ़ हो और शिक्षालयों में धार्मिक फंडामेंटल्स भी न सिखाये जायं। दूसरे लोगों का कहना यह था कि यह एक खतरनाक चीज है और इसके जो नतीजे होंगे वे ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। काफी खराबी पैदा हो सकती है। इस सिलसिले में बापूजी का कहना है:—

"The truths that are common to all religions should be taught to all children."

उनका कहना यह था कि जो फंडामेंटल चीजें हैं वह पढ़ायी जा सकती हैं। लेकिन मैं इस सिलसिले में टेलेंग की सिफारिश से सहमत हूं उनका कहना है—

"At all events on this I am quite clear, that our institutions for secular instruction should not be embarrassed by any meddling with religious instruction, for such meddling, among other mischeifs will yield results which on the religious side(will satisfy no body and on the secular side will be distinctly restrograde."

मैं समझता हूं कि अगर इस चीज को इसमें से हटा दिया जाय तो अच्छा है।

इसके बाद एक शब्द मैं इस सिलसिले में भी कहूंगा जो माननीय तिवारी जी ने खंड ३५ के सिलसिले में प्रश्न उठाया था। उनका कहना यह था कि अगर अब भी गवर्नमेंट इस बिल के पास होने और उसके कार्यान्वित होने के बीच में वाइस-चांसलर को पांच साल तक के लिये नियुक्त कर देगी तो इसका परपज काफी हद तक फ्रस्ट्रेट हो जायेगा। तो इस सिलसिले में मैं सिर्फ एक शब्द यह कहूंगा कि यह तो भाषा के मानों में अन्तर है। इसकी मंशा यह है कि ट्रांजिटरी पीरियड में जबकि यह बिल यह हाउस पास कर देगा और जब इस बिल के आधार पर कार्य प्रारंभ होगा तो उसके बीच में जो समय रहेगा वह समय यदि एक साल से कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है और अगर इत्तिफाक से एक वर्ष से अधिक बढ़ जाय तो उतने समय के लिये वाइस-चांसलर की नियुक्ति गवर्नमेंट कर सकती है।

[श्री नवलकिशोर]

इसके बाद मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि बहुत सी जो बातें, जैसे की ऐडमीशन कैसे हो, डिसिप्लिन कैसे मेनटेन हो और स्कोल्स आफ पे क्या हो, ये डिटेल इस बिल का अंग नहीं है यह बिल उसकी एक आउटलाइन है और जो गैप्स होंगे उनको आर्डिनेंस व स्टैट्यूट कवर करेंगे। वह सब आर्डिनेंस व स्टैट्यूटस के अन्दर आजायेगा उसके बाद भी यह संभव है कि कुछ चीजें जो सिद्धांत की हैं उसमें नहीं आ पाई हैं और आ भी नहीं सकती हैं इसका इतना स्कोप भी नहीं है, तो उसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां तक सिद्धांत का सवाल है उनका अपनी जगह पर महत्व है और उनके ऊपर विचार करके सरकार कोई न कोई नीति निर्धारित कर दे और अन्त में इस बिल के सिलसिले में सिर्फ एक दो सिफारिशें करने के बाद मैं अपना भाषण खत्म करूंगा। वह यह है कि जहां तक एग्जिक्युटिव कौंसिल का निर्माण किया गया है तो वह सिर्फ चार डीन आफ फैकल्टीज रखेगये हैं। मेरा अपना ऐसा विचार है कि जो ७ डीन यूनिवर्सिटी के हैं, जैसा मेरा ख्याल है, उन सबको एग्जिक्युटिव कौंसिल का मेम्बर होना चाहिये जहां तक सिनेट का ताल्लुक है, जहां और कैटेगरीज आती हैं उनमें भी दो नाम और बढ़ाना चाहता हूं। चीफ जस्टिस और चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन। इन दोनों को एक्स आफिश्यो मेम्बर बनाना चाहिये। और अन्त में श्रीमन्, मैं यह कह करके खत्म करूंगा कि यदि यह कहा जाय कि इस बिल के पास होने के बाद जितनी इंट्रीग्स और क्लीक्स हैं वह सब ही खत्म हो जायंगी, तब यह मैं नहीं जानता क्योंकि उनका संबंध और बातों से भी होता है जो कि इंसान के नेचर में इनहेरेंट हैं और कुछ हमारे देश में ऐसे फैक्टर्स हैं अनफार्चूनेटली जिनकी वजह से ऐसी इंट्रीग्स फैलती हैं। मगर इतनी अवश्य उम्मीद है कि सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी ने इस शोचनीय स्थिति में जो आज उनके सामने थी एक आनेस्ट एफर्ट किया है और वह उन्होंने तमाम खराबियों को यथासंभव दूर करने की चेष्टा की है। और वह कहां तक सफल होंगे वह तो भविष्य ही बतायेगा, लेकिन इस प्रयत्न के लिये, वह अवश्य ही हमारी बधाई तथा शुभकामना के पात्र हैं।

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर भाषणों के लिये समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—मेरा प्रस्ताव यह है कि चूंकि बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं इसलिये प्रत्येक वक्ता का समय १५ मिनट निर्धारित कर दिया जाय।

अधिष्ठाता—श्री राजनारायण सिंह, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि बिल के सिलसिले में कोई समय नियत किया जाय? और किया जाय तो कितना किया जाय?

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस संबंध में यही कहना चाहता हूं कि जैसा कि मुझे सूचना भी है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और इस पर ट्रेजरी बेंच के लोग भी और दूसरे लोग भी काफी तैयारी किये हुए हैं और वह चाहते हैं कि सेलेक्ट कमेटी के सामने इतनी अच्छी और खासी राय आ जाय कि सिलेक्ट कमेटी उस पर अच्छी तरह विचार करके लावे। और श्रीमन्, जैसा कि आपको भी मालूम होगा कि इस सदन में बहुत से सम्मानित सदस्य बैठे हुए हैं जो कि अपने जजबात को इस समय रोके हुए हैं। मगर समाचारपत्रों को उन्होंने अपनी खासी अच्छी राय भी दे दी है जैसा कि हमारे मित्र श्री परिपूर्णानन्द जी जो यहां वर्तमान हैं, उनकी भी एक खासी राय है और अखबारों को पढ़ने के बाद मैंने यह समझा कि इस बिल को वह रद्दी की टोकरी में फेंकने का ही संकेत करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा समय निर्धारित किया जाय जिससे कि अच्छी तरह से जो

विषय है उस पर वह अपनी राय दे सकें। तो इसमें अगर आधे घंटे से भी कम होता है तब तो मैं समझता हूं कि हमारे और उनके लिये भी यह कम है क्योंकि हमको भी बोलना है और उन्हें भी बोलना है और अगर १५ मिनट रख देंगे तो यह कम होगा। तो आधे घंटे से कम न होना चाहिये।

अधिष्ठाता—तो आप इस बात से सहमत हैं कि इस बिल के सिलसिले में कुछ समय निर्धारित कर दिया जाय।

श्री राजनारायण—ऐसा रीजनेबुल टाइम हो कि.....

अधिष्ठाता—इसकी बात नहीं है। आप चाहते हैं कि टाइम निर्धारित कर दिया जाय।

श्री राजनारायण—मैं चाहता नहीं हूं मगर अगर कोई चाहता है तो हमें आपत्ति नहीं है।

अधिष्ठाता—आपके भाषण से यह मालूम होता है कि आपको कोई आपत्ति नहीं है। आप चाहते हैं कि आधे घंटे समय रख दिया जाय। तो माननीय रामनरेश शुक्ल जी इस सिलसिले में माननीय राजनारायण जी से बात कर लें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री सीता राम शुक्ल (जिला बस्ती)—जब तक ये बात करें तब तक किसी को बोलने का मौका दे दिया जाय।

अधिष्ठाता—नहीं, टाइम के सिलसिले में तय हो जाय तो ज्यादा अच्छा है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव और है कि आज यह बिल पास कर दिया जाय और हाउस का समय दो घंटे और बढ़ा दिया जाय।

अधिष्ठाता—खैर, इसके बारे में देखा जायगा।

श्री शिवनारायण—जब तक वह लोग विचार कर रहे हैं तब तक यह तय हो जाय।

अधिष्ठाता—आप कृपा करके बैठिये, मैंने समझ लिया आपका मतलब।

(कुछ क्षण उपरान्त)

माननीय रामनरेश जी, क्या तय हुआ ?

श्री राम नरेश शुक्ल—माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे नेता विरोधी दल इस बात पर सहमत हैं और मैं तो यह प्रार्थना करूंगा कि नेता विरोधी दल के लिये २५ मिनट और बाकी लोगों के लिये २० मिनट कर दिया जाय।

श्री राजनारायण—मैं अपने मित्र से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक ऐसा विषय है कि जिस पर बोलने के लिये सभी लोग तैयार हैं और यह विधेयक तो बहुत दिनों से वितरित है, सब लोग काफी तैयार हैं। इसलिये किसी दूसरे से अगर कोई ज्यादा समय हमें दे दें तो वह कोई बहुत इनायत नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं कि एक समय आप सबके लिये रख दें और दूसरे यह भी मैं आपकी जानकारी के लिये बताऊं कि पहले से भी इस पर चर्चा हो चुकी है और कल दोपहर तक के लिये इस पर डिस्कशन का समय तय हो चुका है। इसकी बाबत मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से और हमारी तरफ से हमारे डिप्टी लीडर.....

अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि आप कुछ गलतफहमी में हैं। क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे ?

शिक्षामंत्री (श्री हरिगोविन्द सिंह)—हां, इसमें तो मेरा ख्याल है कि नेता महोदय को गलतफहमी है इसलिये कि आपके सामने जो प्रस्ताव है वह ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के लिये है। ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के लिये यह जरूरी होगा कि जब आप यहां से अगर प्रस्ताव पास कर दें तो अपर हाउस में ले जाना होगा और अपर हाउस जब कांकर करे तो वह अपने सदस्यों का नाम भी ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के लिये नियत कर देगा। उसके बाद यह बिल फिर यहां पर लाया जायगा और यहां लाने के बाद तब यहां मेम्बरों का चुनाव ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के लिये होगा। तो अगर कल तक यह बिल यहीं चलता रहा तो उसके बाद यह वहां जाकर और फिर वहां से लौटकर यहां नहीं आ सकता है कि जिसमें ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी बनाई जाय। और अगर ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी नहीं बनती है तो मैं आप को एक स्मरण दिलाऊं कि जो वाइस-चांसलर का समय बढ़ाया गया है वह ३१ दिसम्बर तक है और ३१ दिसम्बर के अन्दह ही इस बिल को दोनों हाउसेज से पास हो करके ला हो जाना चाहिये। तो इस कारण यह आवश्यक है कि यह बिल आज ही यहां से हो जाय चाहे आप जितना समय बढ़ा दें जिससे कल यह बिल उनके सामने प्रस्तुत हो जाय। यह हाउस सिर्फ २८ तक रहेगा।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैज़ाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो ग़लतफ़हमी की बात कही और जो मेरा नाम ले कर के यह बतलाया गया कि मेरा समझौता गवर्नमेंट पार्टी से हुआ था, उसको मैं बतला दूं कि हमारी तरफ से तीन दिन का समय मांगा गया था और माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि दो दिन का समय काफी होगा। इस हिसाब से भी दो दिन कल एक, सवा बजे तक पूरे होते हैं। इसलिये हमें ग़लत-फ़हमी नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा यह चाहती है कि उसकी इच्छानुसार कार्यक्रम को एक दो दिन में खत्म कर दिया जाय। जो समझौता कांग्रेस पार्टी और विरोधी पार्टी से होता है उसकी पाबन्दी सच्चाई के साथ होनी चाहिये। ऐसा मालूम होता है कि माननीय मंत्री जी की कोई बातचीत इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी से नहीं हुई है।

अधिष्ठाता—चाहे जो बातें आप से हुई हों लेकिन अगर इस सिलसि
नारायण जी चाहें तो उनको २५ मिनट का समय दे दिया जाय और बाक़ी वक्ताओं को २० मिनट।

श्री राजनारायण—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह तो आपकी कृपा पर है कि आप जो चाहें वह समय दे दें, तो फिर हम लोगों को राय की विशेष आवश्यकता क्या थी। यह तो आपके पास अधिकार है ही और यह मैं समझता था कि आप अपनी पावर का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो बातचीत हमारे बीच में हुई थी और जो जेंटिलमेंस ऐग्रीमेंट (भद्र पुरुषों का समझौता) हुआ था, उसमें ग़लतफ़हमी न हमें है, न माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी को न माननीय मुख्य मंत्री जी को है, अगर किसी को ग़लतफ़हमी है तो माननीय शिक्षा मंत्री जी को, है। यदि इस बिल पर जैनुइन डिस्कशन होना है, तो २५ मिनट में मेरे लिये इस पर कुछ कहना कठिन है। यह इतना महत्वपूर्ण बिल है, जिस पर पोथी की पोथी लिखी जा चुकी है, जिस पर माननीय परिपूर्णानन्द जी के विचार व्यक्त हुए हैं, उन विचारों को देखते हुए हमें कम से कम दो घंटे का समय मिलना चाहिये। मेरे सामने अन्य जरूरी काम हैं, आजमगढ़ का सत्याग्रह चल रहा है लेकिन इस बिल के लिये मैं यहां बैठा हूं ताकि इस पर अच्छी तरह से विचार विनिमय हो जाय। मैं यह चाहता था कि अगर मेरे कुछ प्वाइंट्स माननीय उपाध्याय जी और दूसरे सदस्य कवर करलें तो मैं अपना समय करदूंगा। लेकिन अगर आप और सदस्यों को २० मिनट में बांधेंगे और मुझे २५ मिनट में बांधेंगे तो मैं समझता हूं कि जितना समय हमको अपने विचारों को व्यक्त करने के लिये मिलना चाहिये उतना नहीं मिलेगा। इस समय मेरा इतना निवेदन आप से है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, मुझे केवल यह निवेदन करना है कि माननीय राजनारायण जी ने मेरा कई बार नाम लिया, परन्तु मुझे कुछ व्यक्त ही नहीं करना है, इसलिये मुझे समय की आवश्यकता नहीं है।

अधिष्ठाता—इस बात को देखते हुए कि माननीय तिवारीजी ने कल का वक्त लिया, आज भी उन्होंने लंच के पहले तक वक्त लिया और बहुत काफी इस विषय पर वे अपनी पार्टी की तरफ़ से बोल चुके हैं, इस लिये मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा यह होगा कि माननीय नेता विरोधी दल ज्यादा से ज्यादा आध घंटा बोल लें और और माननीय सदस्य २० मिनट बोल लें। अब मैं प्रश्न पर वोट लेता हूं।

प्रश्न यह है कि जो बिल आप के सामने है उसके लिये समय निर्धारित किया जाय और वह समय माननीय नेता, विरोधी दल, के लिये आध घंटा और सदस्यों के लिये २० मिनट रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ (क्रमागत)

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री नारायण दत्त तिवारी जी के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं, परन्तु उसमें जो कुछ खोटी बातें हैं, उनका समर्थन करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। प्रश्न यह है कि आया यह आगरा यूनिवर्सिटी बिल जो कि इस सदन के सामने पेश है वह प्रवर समिति में जाय या यह कि जनमत के लिये भेजा जाय। तो मेरी राय में यह बहुत ही आवश्यक है कि इसे जनमत के लिये भेजा जाय क्योंकि आज सारी दुनिया में और हमारे देश में स्वतंत्रता की लहर दौड़ रही है। हर संस्था अपनी स्वतंत्रता चाहती है। तो अब अगर देश को स्वतंत्रता मिलने पर, उसके पश्चात् हमारी सरकार जो कि यह वर्तमान सरकार शासक है, वह इस कोशिश में है कि वह स्वतंत्रता जो सबसे बुनियादी चीज है यानी कि यूनिवर्सिटी को स्वतंत्रता, उसको ले लिया जाय। मैं आप के द्वारा अपने सदस्यगण का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि इस बिल का ध्येय केवल यह है कि कुल सत्ता केवल एक व्यक्ति के हाथ में आ जाय। वह व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति इस बिल के हिसाब से चांसलर है। खंड ६ (१) में लिखा हुआ है—

"The Vice-Chancellor shall be a whole time salaried officer of the University and shall be appointed by the Chancellor from amongst persons recommended by the Executive Council in accordance with sub-section (20)."

आप देखेंगे कि सेक्शन २ में लिखा हुआ है कि तीन नाम भेजे जायंगे। लेकिन चांसलर साहब के दिल में यह आवे कि इन तीनों में से किसी को अप्वाइंट नहीं करना है तो वह रिकंसिड्रेशन के लिये फिर वापिस कर सकते हैं। इसके शब्द यह हैं—

"The Executive Council shall, as far as may be, at least thirty days before the date on which a vacancy is due to occur in the Office of the Vice-Chancellor and also whenever so required by the Chancellor, recommend to the Chancellor the names of persons not exceeding three in number who in its opinion are suitable to hold the office of Vice-Chancellor.

Provided that the Chancellor may before making the appointment return the names recommended by the Executive Council to it for reconsideration and the Council may then make fresh recommendations."

इसके बाद मैं फिर देखता हूं—

"and also whenever so renired by the Chancellor....."

[श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा]

अगर चांसलर साहब किसी समय यह कहें कि हम उनको नहीं चाहते हैं तो फिर उसके अनुसार वे नाम मांग सकते हैं। अब इसके पश्चात् में खंड १४ में १८ (१) की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

"Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Executive Council shall have the following powers and duties."

गोया एक्जीक्यूटिव काउंसिल की जो पावर्स हैं उनको लिमिट कर दिया गया है। अब अप्वाइंटमेंट आफ टीचर्स उसका जिक्र खंड २१ के सेक्शन २५ में दिया हुआ है कि कैसे सेलेक्शन बोर्ड बनेगा। उसके शब्द इस प्रकार हैं—

There shall be a Selection Committee for each subject to study which shall consist of—

(i) The Vice-Chancellor;

(ii) The Dean of the Faculty concerned;"

यानी यह कि अप्वाइंटमेंट सेलेक्शन कमेटी करेगी। २५-ए में, जिन लोगों का अप्वाइंटमेंट नये सिरे से होगा उनका अप्वाइंटमेंट इनके हाथ में होगा और २५-ए और बी में जो पहले से अप्वाइंटेड हैं उनके लिये भी उनके हाथ में होगा। २५-ए इस प्रकार है—

"No teacher recruited after the Commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953, shall be entitled to impart instruction for a postgraduate degree or to guide research unless he is recognised for these purposes by the Chancellor on the advice of the Selection Committee referred to in Sub-section (1) of Section 25."

अप्वाइंटमेंट चांसलर की ही मर्जी पर होगा। दूसरा है —

"No teacher recruited before the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953, shall, with effect from such date not later than one year from the said commencement as the State Government may by notification fix, be entitled to impart instruction for postgraduate degrees or to guide research unless he was recruited to a post carrying."

तो इस तरह से यह भी अख्तियार उन्हीं को होगा।

अब फाइनेंस कमेटी का खंड १६ इस प्रकार है:—

"The Finance Committee shall consist of—

(i) The Vice-Chancellor,;

(11) Two persons nominated by the State Govt.;

(iii) Two persons who are not in the service of the University or of any affiliated college, elected by the Senate, so however, that not more than one is a member of the Executive Council.

अब इस (३) में यह भी है कि Three members of whom at least one shall be a member nominated by the State Government shall form a quorum."

यानी १ वाइस-चांसलर, एक नामीनेटेड मेम्बर और एक दूसरे रहेंगे। तो जो कुछ अधिकार हैं: वे उन्हीं के हाथ में हैं।

अब उनकी ड्यूटीज सेक्शन २० (ए) में हैं और उन्हीं के हाथ में यह भी चीज आवेगी।

खंड २४ की ओर मैं आपका ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं। इसमें है

"Without prejudice to the generality of the power conferred by sub-section (1) the Ordinances shall provide for the following matters, namely,"

और सब-सेक्शन (३) में है कि "Ordinances shall be made by the Executive Council but no Ordinance shall take effect until it has been approved by the Chancellor after consideriing the views of the Senate."

और सब-सेक्शन (६) में लिखा है कि "After the Senate has approved an Ordinance it shall forward its views to the Chancellor who may either allow or disallow it." तो इस तरह से सब पावर चांसलर महोदय को ही दी जा रही है।

अब एग्जामिनर्स के एप्वाइंटमेंट्स के बारे में खंड २७ का पैरा ४ है, जिसमें है कि "The examiners in each subject shall be appionted by rotation from the panel of names prepared in the manner prescribed by the Ordinances."

अब इसके बाद सेक्शन ३५ है जिसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है। तो मैंने आपको दिखलाया कि कुल सत्ता केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में देने के लिये यह सब कुछ हो रहा है। अगर सीधे यह कह दिया जाय कि जो कुछ मैनेजमेंट या कोई कमेटी बनानी है वह सब चांसलर महोदय के हाथ में हो। वर्तमान चांसलर तो बहुत ही अच्छे विचार के हैं। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई जब मैंने उनकी कुछ बातें अखबारों में पढ़ीं कि वह चरित्र निर्माण का प्रयत्न करना चाहते हैं। मगर यह कौन कह सकता है कि किस समय कौन चांसलर होंगे। उसके अलावा चांसलर, जैसे एडाप्शन होता है लड़का एडाप्ट किया जाता है, वैसे ही वह पुरुष इतने लड़कों को एडाप्ट करता है जब कि शायद सारी दुनिया में आज तक इतने लड़कों को कोई एक पुरुष मुक़र्रर नहीं किया गया है। तो वह पुरुष इतने लड़कों की देखभाल कर सकेगा या नहीं? अब हमारे यहां सब से ज्यादा जरूरत चरित्रनिर्माण की है। कोई भी दल हो, मैं किसी कांग्रेस पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी या किसी विशेष दल के लिये नहीं कह रहा हूं। जैसा नवलकिशोर जी ने कहा, हमारे यहां बहुत से फ़ैक्टर्स हैं जैसे कास्ट। मुझ में तो खैर, लेबिल लगा हुआ है हिन्दू महासभा का परन्तु मैं यह समझता हूं कि और पार्टीज के लोग प्योरली सैक्टेरियन बेसिस पर आज काम कर रहे हैं। और सब लोग देखते हैं परन्तु मुमकिन है किसी को साहस हो या न हो। अब मुझे दुख है कि आज माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर मौजूद नहीं हैं वरना उनका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता था कि हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ी संस्था है जिसमें जो वहां का मुख्य कर्ताधर्ता है वह केवल एक ही जाति के आदमियों को नौकरी देता है और वह भी कुछ ही जिले के लोगों को। उदाहरण के लिये जैसे कह दिया जाय कि गोरखपुर का कोई कुरमी किसी संस्था का अध्यक्ष बना दिया जाय या यों कहिये कि किसी संस्था का कर्ताधर्ता बना दिया जाय तो वह गोरखपुर और देवरिया वग़ैरा के कुरमियों को जगह दे और फिर दूसरी जगह के लोगों को जगह दे और जो उस संस्था के सदस्य चुनकर आते हैं वह भी एक दो जाति के ही आते हैं।

ऐसी हालत में मैं यह चीज कभी पसन्द नहीं करता हूं क्योंकि मैं तो ऐसा आदमी हूं कि—

"जातिपांति पूंछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई।"

मैं तो इस धर्म का पालन करने वाला हूं। मेरे लिये हिन्दू, मुसलमान, शिया, सुन्नी, सब लोग एक से हैं.....

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य कहां पर बोल रहे हैं।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा—मैं आगरा यूनिवर्सिटी बिल पर बोल रहा हूं। अगर एक आदमी के हाथ में सत्ता दे दी गई तो आज जो परिणाम हो रहा है उससे भी ज्यादा खराब हो जायगा क्योंकि यूनिवर्सिटी ही सब के करेक्टर्स को मोल्ड करती है और बहुत से हमारे माननीय सदस्य वहीं से यहां आये हैं। हां, यह मुमकिन है कि कुछ सदस्य हमारे विश्वविद्यालयों में न पढ़े हों लेकिन इसके मान यह नहीं है कि पढ़े ही नहीं हैं बल्कि कहीं न कहीं उन्होंने शिक्षा जरूर ग्रहण की होगी क्योंकि सब अपने हस्ताक्षर करते हैं। इसलिये शिक्षा की बहुत जरूरत है और शिक्षा मुख्य चीज है। अगर शिक्षा के मामले में कोई ऐसा आदमी आ जाय जो

[श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा]

जातिपांति के ऊपर काम करे तो आप समझ सकते हैं कि क्या नतीजा होगा। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं। मैंने पहले ही कहा था कि शायद ही कोई ऐसा दल बाक़ी हो जो इस रोग से मुबर्रा होगा। कोई भी दल हो चाहे वह संयुक्त दल हो, रामराज्य परिषद हो, यह रोग हर दल में है। आप सब लोग जानते हैं लेकिन साहस नहीं है कि आप साफ कहें।

इसलिये मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं गो मैं खुद ऐसी जाति का हूं कि लोग मुझसे ज्यादा घृणा करते हैं, इसलिये कि मैं न तो उस जाति का हूं और न उस पांति का ही हूं। मेरी जाति कायस्थ है और पांति की जहां तक बात है मैं वकालत का पेशा करता हूं। वह लोग जो वकालत के पेशे में थे और वहां से वह या तो इस सदन में या और कहीं अच्छी जगह चले गये हैं वह मुझसे घृणा करते हैं। परन्तु मेरे विचार ऐसे हैं कि उनके कारण मैं हिन्दू, मुसलमान, शिया और सुन्नी सब को एक समान समझता हूं। वह सब मुझे मानते हैं और मेरे ही कौम के लोग हैं जो संकुचित विचार के हैं वह मुझसे घृणा करते हैं। लेकिन मुझे यह कहने में प्रसन्नता होती है कि आज भारतवर्ष में जो निष्पक्ष भाव से काम कर रहे हैं तो वह इसी क़ौम के लोग मिलेंगे। मैं नाम गिनाने के लिये तैयार नहीं हूं।

अब इस जमाने में जब कि स्वतंत्रता की लहर हर जगह दौड़ रही है हम किसी की स्वतंत्रता को न छीनें, आप का ध्येय केवल यह होना चाहिये। हमारे शिक्षा मंत्री आज बहुत ही अच्छे आदमी हैं लेकिन इस तरह का कोई शिक्षा मंत्री हो जाय जो इस आदणीय सदन के माननीय सदस्यों के हाथ जोड़ कर प्रणाम करने पर यों भी न करे, यों भी न करें और यों भी न करें (हाथ जोड़कर प्रणाम न करे, हाथ न उठायें और सिर भी न झुकाये) तो क्या आप समझते हैं कि लड़कों की शिक्षा ऐसी दशा में अच्छी होगी? वहां तो चरित्र निर्माण का सवाल है, नैतिक उत्थान का सवाल है और जैसा वह सीखेंगे उसी पर वह चलेंगे। तो मैं आपके सामने यह बहुत ज़ोरों से कहने के लिये तैयार हूं कि इस पर जनमत अवश्य लेना चाहिये। वैसे तो जो कुछ भी आप चाहेंगे वह इस सदन से पास करा ही लेंगे जैसे कि उदाहरण के लिये मैंने बतलाया कि इस तमाम बिल का उद्देश्य केवल यह है कि एक आदमी के हाथ में सत्ता आ जाय। परन्तु यह बहुत ही गम्भीर विषय है क्योंकि जो अच्छे से अच्छा काम करने वाले लोग हैं वे सब विश्वविद्यालयों से ही निकल कर आते हैं। अगर वहां भी इस तरह का रोग आप और ज्यादा फैला देंगे तो वह किसी तरह से अच्छा नहीं होगा। मैं इतना कह कर बैठता हूं।

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं और माननीय नारायण दत्त तिवारी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। अपने भाषण के आरम्भ में नारायण दत्त जी ने यह कहा कि उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इतना छोटा भाषण इस भवन में किया। मुझे यह सुन कर ही आश्चर्य हुआ लेकिन जब ढाई घंटे के भाषण के बाद माननीय नारायण दत्त जी ने अपना स्थान ग्रहण किया तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगा। ऐसी हालत में मुझे यह मालूम होता है कि अपने लम्बे भाषण के लिये वह जस्टिफ़िकेशन खोज रहे थे कि माननीय शिक्षा मंत्री जी भी अगर लम्बा भाषण करते तो ठीक था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि शिक्षा मंत्री जी ने इतना छोटा भाषण क्यों किया। लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि ला पढ़ने और ला प्रैक्टिस करने में बड़ा अन्तर हुआ करता है। यह इस छोटे से उदाहरण से बिलकुल साफ़ मालूम होता है कि आज जो प्रश्न हमारे सदन में उपस्थित है वह वास्तव में बिल नहीं है। अब तक यह हुआ करता है कि माननीय मन्त्री महोदय बिल को विचार के लिये पेश करते हैं और किसी सदस्य की तरफ़ से यह प्रस्ताव होता है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय या पब्लिक ओपीनियन के लिये प्रसारित किया जाय। लेकिन आज जो प्रश्न हमारे सामने उपस्थित है वह शिक्षा मंत्री जी ने यह प्रस्ताव रखा है कि यह बिल संयुक्त समिति के सुपुर्द किया जाय और उसके विरुद्ध संशोधन यह पेश हुआ है कि इसको जनमत के लिये प्रसारित किया जाय। आज जो बिल के ऊपर भाषण करना या उसके डिटेल में जाना

में समझता हूं कि नितांत ही असम्बद्ध था। माननीय अध्यक्ष जी ने भी बार बार टोका और मुझे आश्चर्य मालूम हुआ जब कि एक सब्जेक्ट डिसिप्लिन को लिया गया और डिसिप्लिन का संबंध विद्यार्थियों से है और विद्यार्थियों का संबंध यूनियन से है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यूनियन के प्रश्न पर स्ट्राइक चल रही है चुनान्चे आगरा यूनिवर्सिटी के संबंध में भी इस तरह की बातें आयें और यूनियन के बारे में भी भाषण दिया जाय, इस तरह की इरेलैवैन्सी तो मुझे आज पहले पहल सदन में देखने को मिली। आज तो केवल देखना यह है कि इस बिल को हम संयुक्त समिति के सुपुर्द कर दें या जनमत के लिये प्रसारित करें। तो यह कोई ऐसा विषय तो है नहीं जिसका जनता से रोजमर्रा के कामों में सम्बन्ध रहे। इसके अलावा मैं तो यह जानता हूं कि यह बिल काफी समय से जनता के सामने है और अखबारों में महीनों से आर्टिकिल्स निकलते हैं। यह तो एक गम्भीर विषय है। इस पर तो ज्यादातर विशेषज्ञों की राय जानने की जरूरत है और स्वयं जो संशोधन पेश करने वाले हमारे मित्र हैं उन्होंने ही काफी विस्तारपूर्वक बड़े बड़े विशेषज्ञों की राय और कमीशनों की रिपोर्टें हमारे सामने प्रस्तुत कीं। इससे यह साफ़ मालूम हो जाता है कि इसमें ऐसा कोई विषय नहीं है जो विशेषज्ञों की राय से बाहर हो या जिसमें लोगों की राय मालूम न हो। यह बात जानते हुये मुझे आश्चर्य होता है कि यह कैसे कहा जाता है कि इसको जनमत के लिये प्रसारित कर दिया जाय। इसके अतिरिक्त हमारे विरोधी दल के भाइयों को इस बात की शिकायत है कि यह बिल देर से आया है। ऐसी हालत में हम चाहते हैं कि अब और इसमें देर न हो, और यह कि यह जल्दी पास हो जाय लेकिन उनकी ओर से यह कोशिश की जाती है कि इसमें विलंब हो। उनका कहना है कि जनमत के लिये प्रसारित किया जाय, उसके बाद वह सदन में आये, फिर सेलेक्ट कमेटी में जाय तब कहीं जा कर पास हो। यह सब चीज उनके विचारों के प्रतिकूल मालूम होती है। इसलिये अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बात का समर्थन करना चाहता हूं कि यह बिल जल्द से जल्द सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय।

अब हमें जो २-३ सिद्धांत की बातें हैं उनको देखना है। उन पर हमें गौर करना होगा। यह कहा गया कि इस बिल को पास करने का अधिकार भी है या नहीं। हमें देखना है कि यह बिल हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर तो नहीं पड़ता है। इस संबंध में मैं दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं कि वे ये कि जहां तक इस आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट का ताल्लुक है यह कोई नया बिल इस सदन के सामने नहीं लाया जा रहा है। उसके सामने जो पहला आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट था उसमें ही हमें संशोधन करना है। अब सवाल यह आता है कि उसमें संशोधन करने का अधिकार हमें है या नहीं? इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि जो ऐक्ट इसी लेजिस्लेचर द्वारा पास किया गया है इसको संशोधित करने का अधिकार अगर किसी को हो सकता है तो वह इसी लेजिस्लेचर को हो सकता है। फर्क केवल इतना है कि जहां इस बिल का संबंध दूसरे राज्यों से है वहां क्या उन राज्यों में इस बिल का नियंत्रण हो सकता है? वास्तव में यहां पर जो भी कानून पास होता है उसका नियंत्रण उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं होता लेकिन जब बाहर वाले कालेजेज उस यूनिवर्सिटी के नियमों को मानते हैं और अपने आप को एफिलऐट करते हैं तब वे हमारे कानून के अन्तर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा इस वक्त इस भवन में इस प्रश्न को उठाना बिलकुल इम्प्रेच्योर है। जब वह क्लाज आये उस समय यह प्रश्न उठाया जा सकता है और उस समय विचार किया जा सकता है कि बाहर वाले क्लाजेज इसमें एफलीऐट हों या न हों। उनके ऊपर हमारे इस कानून का क्या असर होगा, उस समय ही विचार किया जा सकता है। उसमें हम कोई भी संशोधन पेश कर सकते हैं।

दूसरा मौलिक प्रश्न इस बिल के संबंध में यह है कि आया हम यूनिवर्सिटी की औटोनामी की हत्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी की फ्रीडम की रक्षा करना प्रजातंत्र के विकास के लिये परमावश्यक है इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। हमें देखना यह है कि आज क्या इस विधेयक के द्वारा उस आटोनौमी को समाप्त किया जा रहा है? हमारे पूर्व वक्ताओं ने इस बात को सिद्ध करने के लिये कि इस बिल में इस क़िस्म की चीज मौजूद है, काफी परिश्रम किया है लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जहां स्लोगन्स के द्वारा सिविल लिबर्टी

[श्री राधामोहन सिंह]

आदि की बात कह कर तरह तरह की बातें की जाती हैं उसी प्रकार आज यूनिवर्सिटी आटोनामी का नाम लेकर कही जा रही हैं। हमें उन स्लोगन्स के फेर में नहीं पड़ना है। जिन बातों को वे यूनिवर्सिटीज की आटोनामी की ढाल कहते हैं वही उसको नष्ट करने वाली हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि एक ओर तो वे जनता के प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं दूसरी ओर वे यह भी नहीं समझ पाते हैं कि जनता की भावना इस संबंध में क्या है? मैं इस संबंध में आप को यह बता देना चाहता हूं कि जनमत इस बात के लिये व्याकुल है कि यूनिवर्सिटीज के स्टैंडर्ड को जल्दी से जल्दी ऊंचा किया जाय।

गवर्नमेंट भी यह चाहती है कि पढ़ाई का स्टैन्डर्ड ऊंचा उठाया जाय। क्योंकि आज पढ़ाई का स्टैन्डर्ड इतना नीचा गिरा हुआ है कि बी० ए० पास करके जो आते हैं वे एक सही ड्राफ्ट भी नहीं लिख सकते हैं। तो क्या यह जनता की सरकार हाथ पर हाथ धरे हुए मुंह देखती रहे और इसके लिए कोई उपाय न करे? ऐसे लोग डिप्लोमा और डिग्री लेकर बाहर आते हैं, जो शुद्ध भाषा का भी व्यवहार नहीं कर सकते हैं, तो फिर उनके ऊपर कोई दायित्व का काम कैसे दिया जा सकता है? ऐसे समय में अगर हमारी जनता की सरकार है तो उसको इस बात का हक है कि वह अपनी यूनिवर्सिटी से निकलने वाले लोगों के स्टैन्डर्ड को जाने कि ऐसे स्टैन्डर्ड वालों को किस दायित्व का काम दिया जा सकता है। मेरे मित्र श्री नारायणदत्त जी ने फाइनेंस कमेटी की बात भी विस्तार से कही, लेकिन आज जो गलती उन्होंने की वही मैं भी नहीं करना चाहता हूं। इस विधेयक के डिटेल में जाने का कोई प्राविजन नहीं है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब उन्होंने फाइनेंस की बात कही तो यह सरकार जो जनता की है और जो जनता के ही वोट पर आयी है और जो जनता से टैक्स वसूल करती है, तो इस रुपये को यूनिवर्सिटी को कर्ज के रूप में दे दिया जाय तो उस कर्ज की जानकारी रखना भी उसका काम है और उसमें वह हस्तक्षेप भी कर सकती है। लड़के जब यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं तो चाहे वह पढ़ने की बात हो, चाहे डिसिप्लिन की बात हो, हर तरह से सरकार को यह जानने का हक है ताकि लड़के ठीक तरह से पढ़ें, और ऐसे आचरण करें कि यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद एक अच्छे नागरिक बन सकें। मैं पूछता हूं कि अगर सरकार इस काम को न करे तो और कौन करे? यह कहा गया है कि इस बिल के जरिये एक आदमी का अधिकार हो जायगा। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। यह ठीक है कि एक व्यक्ति का नाम लेना ही बुरा हुआ करता है। लेकिन वह व्यक्ति और होता है। जो व्यक्ति जनता का चुना हुआ होगा, जो जतना का विश्वासपात्र होगा, जो अपने बल पर नहीं, हिंसा के बल पर नहीं आयेगा बल्कि जनता की वोटिंग के ऊपर ही आयेगा, तो फिर उससे डर किस बात का हो सकता है। यह भी नहीं है कि वाइस-चांसलर बराबर बने रहेंगे, उनका कुछ वर्ष के बाद फिर चुनाव होगा। अगर जनता की इच्छा के अनुसार वह काम नहीं करेंगे, तो फिर जनता को हक है कि वह ऐसे आदमी को हटा सकती है। लेकिन यह रोज बरोज का मामला नहीं है। आगे आने वाले दिनों की बात है। जनता अपने दिये हुए अधिकारों को हस्तगत कर सकती है। आजकल जितने डेमोक्रैटिक इन्स्टीट्यूशन्स हैं, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट बोर्डस के हों, चाहे म्युनिसिपल बोर्डस हों, चाहे कोई भी संस्था हो जब वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगती हैं, तो उस वक्त यह सम्भव ही नहीं बल्कि लाजिमी हो जाता है कि उनके काम में हस्तक्षेप करें, उनको दुरुस्त करें और सही करें। आज ऐसा ही वक्त आ गया है नहीं तो इस विधेयक को लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमें यह देखना है कि यूनिवर्सिटी में जो रकम खर्च की जाती है, वह ठीक तरह से खर्च की जाती है या नहीं की जाती है। अगर इस बात को सरकार नहीं देखेगी तो आखिर वह कौन सी संस्था है जो इसे देखेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जनता को मालूम है और इस भवन के तमाम सदस्यों को भी मालूम है कि आगरा यूनिवर्सिटी में बहुत गड़बड़ी है। वहां पार्टीबन्दी का बड़ा जोर है। ऐसी स्थिति में जनता की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे, यह कैसे सम्भव हो सकता है। आज का समय ऐसा है कि जल्द से जल्द इस आगरा यूनिवर्सिटी बिल को पास करना चाहिए। ज्यादा डिटेल में बातें करने का मौका नहीं है। अभी तो यह विधेयक

सेलेक्ट कमेटी में जायगा, जहां पर विस्तार के साथ विचार होगा। वहां पर सेलेक्ट कमेटी के माननीय सदस्य अपने अपने विचार रखेंगे और जिसको जो भी कहना होगा वह सेलेक्ट कमेटी के अन्दर कह सकेगा। उसके बाद भी अगर कोई त्रुटि रह जायगी तो फिर इस सदन के माननीय सदस्यों को यह पूरा अधिकार है कि वे इस बिल पर अपने विचार रखें, जो गलती है उसमें सुधार करें और समय का दुरुपयोग न करें। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर, ऐसे महत्वपूर्ण बिल पर और अधिक विलम्ब करना मैं उचित नहीं समझता हूं। इसलिए मैं भवन से प्रार्थना करूंगा कि जो माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हों, वे इस बात को अच्छी तरह से सोचें और कम से कम समय लें ताकि अधिक लोगों को बोलने का अवसर मिले। और इस बिल के सिद्धान्तों पर अगर कुछ कहना है तो निवेदन करें, वरना इस सदन का समय व्यर्थ नष्ट न करें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, कल से इस बिल पर विचार हो रहा है और हिन्दुस्तान के ही नहीं, दुनिया की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने वाइस-चांसलर्स हैं और जितने हिन्दुस्तान में आज तक यूनिवर्सिटी कमीशन्स बैठे, जितनी गवाहियां उन कमीशन्स के सामने पेश हुईं, उनके भी नाम हमने सुने, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि अभी तक कोई भी माननीय सदस्य इस बिल के अन्दर नहीं घुसा है। इसलिए अब इस बिल पर मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है। मुझे कुछ मामलों में अपने मित्र माननीय नारायणदत्त तिवारी जी से शायद इत्तिफाक न हो, क्योंकि वे मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन उन्हें मैं कहना चाहता हूं। जहां तक कांस्टीटयूशनल ईशू उठाया गया है, मैं समझता हूं कि उसके उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि आया यह लेजिस्लेचर इस आगरा यूनिवर्सिटी बिल को पास कर सकता है या नहीं, लेकिन उसकी चर्चा माननीय मन्त्री जी ने इस सदन के सामने की और जो पहले की बात थी उसकी सफाई दी। मैं तो यह समझता हूं और चाहता हूं कि हमारे इस सदन को पूर्ण अधिकार इस बिल को पास करने का है और होना चाहिए। कोई बाहर की यूनिवर्सिटी या किसी और प्रदेश की डिग्री कालेज या और कालेज सिर्फ इसलिए कि वे दूसरे प्रदेश के हैं, वे यह कह सकते हैं कि इस मामले में उत्तर प्रदेश कानून नहीं बना सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि वे ठीक नहीं कहते और हमें इसके बनाने का पूरा अधिकार है और अगर किसी प्रदेश के कालेज या डिग्री कालेज हमारे साथ शरीक नहीं होना चाहते, तो वे खुशी से जहां चाहें जा सकते हैं लेकिन जहां तक इस प्रदेश का सवाल है मैं समझता हूं कि इस प्रदेश के लेजिस्लेचर को पूरा अधिकार होना चाहिए और है भी।

इसके बाद माननीय नारायणदत्त जी ने एक साहब की राय कोट करके यह बताया कि यूनिवर्सिटीज की राय जरूर ले लेनी चाहिए। अधिष्ठाता महोदय, मैं तो यह कहूंगा कि अगर यह बिल फिर आगरा यूनिवर्सिटी के पास भेजा जावेगा, तो इससे और रद्दी हालत में, इसपर सजेशन्स होकर आने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो धांधलियां हुई हैं, जिसका इतना बड़ा एजीटेशन अखबारों में हुआ है, अगर उसको दूर करना है, तो उसके लिए यही रास्ता था कि एक बिल इस सदन में आवे और यूनिवर्सिटी में जो खराबियां थीं, उनको दूर किया जावे। यह हो सकता है कि यह बिल जो आया है इसमें बहुत सी गुंजाइश सुधार की हो, और इसको हम और इम्प्रूव भी कर सकते हैं, तो इसके लिए सेलेक्ट कमेटी की बात भी की जा रही है। हम जानते हैं कि हम अल्पमत में हैं और हमारा जनमत को भेजे जाने वाला प्रस्ताव स्वीकृत होने वाला नहीं है, फिर भी हमें अपनी बातें रखनी चाहिए। माननीय नारायण दत्त जी ने जो सिद्धान्त रखे हैं, उनकी सदन कद्र करता है। उन्होंने बड़ी मेहनत की है इसके लिए उनकी सराहना करता हूं। साथ ही साथ हमारे माननीय नारायणदत्त जी की तरह से आज कुछ और किताबों वाले महोदय आये और जिन्होंने काफी अध्ययन किया और कोटेशन्स भी हमें काफी सुनाये। मैं समझता हूं कि इस सदन के सामने अगर हमारे माननीय सदस्य उन कमीशन्स की रिपोर्ट्स का सारांश बतलावें कि उन्होंने क्या तत्व निकाला है, तो हम लोगों को उन रिपोर्ट्स को ज्यादा समझने का मौका मिलता और हम लोग उससे कुछ ज्ञान हासिल कर लेते।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

इसलिए मैं चाहूंगा कि जो कमीशन्स की रिपोर्ट हैं, उसमें ज्यादा न जाया जाय। जिन लोगों के पास समय है, वह उनको पढ़ें, लेकिन हमारे पास तो समय नहीं है। अगर वह यहां पर आकर कुछ पढ़कर बतलाना चाहते हैं, तो उनसे हम सीखना चाहते हैं कि दुनिया की यूनिवर्सिटीज में क्या किस तरह से हो रहा है। कुछ यूनिवर्सिटी बाकी रह गयी हैं। पता नहीं कि होनोलूलु और टिम्बकटू की यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। न्यूयार्क की आक्सफोर्ड की, लक्सम्बर्क की और डेनमार्क की और पता नहीं बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं सब नाम तो मैं नहीं जानता पर बहुतों का यहां पर जिकर किया गया। परन्तु अधिष्ठाता महोदय, हमको तो यह देखना है कि जो बिल हमारे सामने है, इस बिल का हमारे मन्त्री महोदय ने कुछ इम्प्रूव किया है या नहीं। यह बिल पूरा नहीं करता है, उन बातों को जो कि एक आइडियल यूनिवर्सिटी के लिए जरूरी है। हमारे तिवारी जी ने काफी लम्बा चौड़ा भाषण और विद्वत्ता का भरा भाषण दिया और एक एक मिसाल देते हुए सब बातें बतलायीं और इस सदन के किसी भी माननीय सदस्य ने इतना नहीं पढ़ा होगा जितना इस पर हमारे नारायणदत्त जी ने पढ़ा है। उनके पढ़ने की मेहनत का फायदा हमारी सरकार को जरूर उठाना चाहिए। अगर इतने पर भी हमारे माननीय मन्त्री जी की समझ में नहीं आता है तो मुझे ताज्जुब होता है। यह सब तो माननीय मन्त्री जी को पढ़ना चाहिए था न कि नारायण दत्त जी को। माननीय मन्त्री जी ने तो अपने दफ्तर को कह दिया कि एक बिल ऐसा बनादो और उसमें कुछ आचार्य नरेन्द्रदेव और कुछ राधाकृष्णन कमेटी की बातें भी रख दो और उसी को यहां पर पेश कर दिया। मैं आज तक सेलेक्ट कमेटी में नहीं जाता था और डरता था कि अगर वहां पर चला जाऊंगा तो यहां पर बहस करने का मौका नहीं मिलेगा। परन्तु अब अध्यक्ष महोदय की रूलिंग होने के बाद मैं चाहूंगा कि सेलेक्ट कमेटी में जाऊं। अब मैं बहुत सी कमीशन की रिपोर्ट का नाम न लेकर और किसी कोटेशन में न जाकर बिल का जो उद्देश्य है उसके सिद्धान्त पर जाना चाहता हूं।

सब से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि आटोनामी यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए इसकी मैं ताईद करता हूं। मैं यह समझता हूं कि कोई भी सदस्य जो हायर एजुकेशन में बिलीव करता हो, वह कभी भी इस बात का विरोध नहीं करेगा कि यूनिवर्सिटी में किसी किस्म की आटोनामी होना चाहिए। इसलिए यूनिवर्सिटीज को चलाने के लिए आटानोमी की सख्त जरूरत है। इस बिल के अन्दर जो सब से पहले श्रीगणेश होता है, धारा ४ में इस प्रकार से है कि मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"6 (1). The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct of the University and its buildings, and of any affiliated college or hostel, and also of the examinations, teaching and other work conducted or do ne by the University."

मैं यह समझता हूं कि जहां तक यूनिवर्सिटीज के मामले हैं, अगर इनमें स्टेट गवर्नमेंट का शब्द न आये, तो अच्छा है। यह कोई स्कूल तो है नहीं। यह तो यूनिवर्सिटी है, अगर इनमें स्टेट गवर्नमेंट के स्थान पर चांसलर रख दिया जाय और कुछ कन्डीशन भी लगा दी जाय, तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यह यूनिवर्सिटी के मामले हैं और चांसलर भी हमारा गवर्नर ही होता है उसके द्वारा इन्स्पेक्शन कराया जा सकता है। इससे यह होगा कि उसकी आटोनामी पूरी तरह से रहेगी। अगर वैसे असलियत में न हो तो कम से कम यह दिखावटी जरूर हो जायगी। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट के स्थान पर चांसलर रख दिया जाय तो ज्यादा उचित होगा।

दूसरी बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट में जहां पर यह लिखा हुआ है उसके लिए कुछ कन्डीशन्स होनी चाहिए कि अगर चांसलर इन्स्पेक्शन करना चाहता है तो उसका क्या कारण है। क्या कोई वहां पर गबन हो गया है या कोई पालिटिक्स का मामला है। मतलब यह

है कि कोई कारण होना जरूरी है। तब वहां पर जाकर गवर्नर इन्सपेक्शन कर सकता है। इस प्रकार से इन्डिरेक्ट रूप अगर आप उसका देना चाहते हैं, तो वहां पर चांसलर जरूर होना चाहिए।

अब जो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और जिस पर विवाद हुआ है, वह है वाइस-चांसलर की नियुक्ति का कि वाइस-चांसलर को कौन किस प्रकार से नियुक्त करेगा। यह एक बड़े महत्व का प्रश्न है और इस पर देश में अलग-अलग रायें हो सकती हैं लेकिन मैं समझता हूं कि एक इतनी बड़ी, आगरा जैसी युनिवर्सिटी का जिस के पास करीब ६४ एफिलियेटेड कालेज हैं, वाइस-चांसलर पेड होना चाहिए और वह वहां का होल टाइम आदमी होना चाहिए। यह जो संशोधन रखा गया है, इसमें हम सरकार के साथ हैं कि आगरा युनिवर्सिटी का वाइस-चांसलर पेड होना चाहिए लेकिन सवाल यह है कि वह वाइस-चांसलर मुकर्रर कैसे होगा? मैं जानता हूं कि आज जो बिल हमारे सामने है, उसमें तब्दीली हो जायगी, और जो इन्ट्रीग्स और झगड़े वहां सिनेट में चलते थे, वह नहीं रहेंगे, लेकिन देखना यह है कि देश में जो वाइस-चांसलर मुकर्रर करने की पद्धति है, उनमें से सब से अच्छी पद्धति कौन सी है। हमने जो पद्धति रखी है वह बिलकुल बनारस युनिवर्सिटी की सी है, वैसी ही वहां भी होती है। मैं समझता हूं कि इस से भी अच्छी पद्धति इस समय दिल्ली और राजस्थान यूनिवर्सिटीज की है और वहां किसी तरह की पालिटिक्स या इन्ट्रीग्स वगैरा इस एप्वाइन्टमेंट के सम्बन्ध में नहीं चलतीं। वहां का तरीका यह है कि एक्जीक्युटिव कौंसिल २ एमीनेंट ऐकेडेमिक फिगर्स को मुकर्रर करती है और यह लोग युनिवर्सिटी के बाहर के होते हैं जिनका कोई लगाव वहां से नहीं होता, वह वहां के एम्प्लाई या टीचर्स में से नहीं होते, और एक नामिनी चांसलर का होता है, और फिर यह तीनों तीन नाम एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने भेजते हैं और वह एक्जीक्यूटिव कौंसिल उन नामों को चांसलर के पास भेज देती है और फिर चांसलर उन में से एक आदमी को छांट लेता है। जो वहां का तरीका है, मैं आप की आज्ञा से पढ़कर सुनाना चाहता हूं :—

"A Committee of three persons, two of whom shall be persons not connected with the University or any college nominated by the Executive Council and one person nominated by the Chancellor, who shall also appoint one of the three as chairman of the committee, shall select not less than three persons and shall report its select ion to the Executive Council. The Exeuctive Council shall make its recommendations on the persons so selected to the Chancellor, who shall appoint one of such persons as Vice-Chancellor."

यही तरीका राजस्थान में भी रखा गया है, वहां पर आप को यह जानकर खुशी होगी कि राजप्रमुख ही चांसलर रहते हैं, और वाइस-चांसलर उन्हीं का नामिनी होता है, और उसी तरह से हमारी बनारस युनिवर्सिटी में आचार्य नरेन्द्रदेव जी को चांसलर ने मुकर्रर किया है। वाइस-चांसलर जैसी इम्पार्टेंट पोस्ट के लिए अगर देश के बड़े बड़े विद्वान लोगों की एक कमेटी बनायी जाय तो बहुत ही उचित होगा जिसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, पी० सी० एस० के कोई सदस्य या दूसरे टैलेन्टेड लोग रखे जा सकते हैं और अगर हम ने ऐसा कर दिया तो वहां जो झगड़े और इन्ट्रीग्स वगैरा चला करती हैं, वह हमेशा के लिए खत्म हो जायंगी। यह मेरा इसमें सुझाव है।

उसके बाद जहां तक सिनेट का ताल्लुक है, आज तक आगरा युनिवर्सिटी की सिनेट का यह हाल रहा है कि उसका काम चुनाव करना नहीं, था, बल्कि अपने मन से जिस को चाहती थी, उसको इन्स्पेक्टर नियुक्त करती थी और जिसको चाहती थी अफिलिएशन देती थी। यद्यपि अब इस विधेयक के बाद उसकी यह दशा नहीं रहेगी, तथापि जो एक्जीक्युटिव कौंसिल बनी है और जो कि यूनिवर्सिटी की सुप्रीम बाडी है उसमें सुधार की काफी गुंजाइश है और वह यह है कि उसमें हम देखते हैं कि सारे नामनीज चले आये हैं। १९ में सात सीधे तौर से गवर्नमेंट के नामिनी होंगे। इसके अलावा बात यह है कि चांसलर जो होता है, वह हमारे प्रान्त

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

के गवर्नर भी हैं। और वे वहां पर चांसलर की हैसियत से नहीं बल्कि एक गवर्नमेंट के रिप्रेजेन्टेटिव की हैसियत से काम करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जो चार नामिनीज उनके होते हैं, वह चार नामिनीज भी माननीय शिक्षा मन्त्री द्वारा मुकर्रर होंगे। गवर्नर्स रिजीम में जो गवर्नर होता था, वह अपनी स्वतन्त्र राय रखता था और युनिवर्सिटीज के मामले में गवर्नमेंट से राय नहीं लिया करता था। आज हिन्दुस्तान के अन्दर स्वराज्य है। जब आचार्य नरेन्द्रदेव वाइस-चांसलर थे, उस वक्त तक मामला चला। हमारी हुकूमत ने मोदी साहब पर जोर दिया कि गवर्नमेंट के कहने पर चलें। लेकिन शायद उन्होंने असर्ट किया हो। लेकिन मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता। आजकल जहां बहुमत होता है, वहां यह नहीं देखा जाता कि कौन विद्वान है और कौन नहीं। जिसकी मेजारिटी है वही नामजद हो जाता है। इसलिए मैं इस चीज पर जोर देता हूं कि वाइस-चांसलर की यूनिवर्सिटी में जो डिगनिटी है, उसमें गवर्नमेंट को इन्टरफियर नहीं करना चाहिए।

जैसा कि नारायण दत्त जी ने कहा एक्जीक्युटिव कौंसिल में एकैडेमिक काउन्सिल का कोई नुमाइन्दा नहीं है। अगर मेरे पास भी काफी वक्त होता तो मैं भी छान बीन कर बता सकता कि इसमें क्या क्या खामियां हैं। वह बातें सेलेक्ट कमेटी में ही हो जायंगी।

जहां तक प्रिन्सिपल्स छांटने का सवाल है, उस सिलसिले में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि प्रिन्सिपल्स का एक पैनेल बना लिया जाय। और बाई रोटेशन सीनियारिटी के हिसाब से प्रिन्सिपल्स रखे जायं, ताकि हर एक को मौका मिल सके। इसमें किसी को भी शिकायत नहीं होगी।

जहां तक आटोनामस कालेज की बात है मैं इसकी ताईद करता हूं कि स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

मैं एक चीज और भी कह देना चाहता हूं और वह यह कि इस बात का जो सुझाव है कि डिग्री कालेज और इन्टरमीडियेट कालेज साथ-साथ हों, आज जिन डिग्री कालेजेज में इन्टरमीडियेट क्लासेज खोले गये हैं, उन का यह सारा बिजिनेस है। और ऐसे-ऐसे कालिजेज हैं जहां बहुत से टीचर्स क्वालिफाइड भी नहीं हैं।

खैर, बहुत सी बातें हैं जो मैं फिर सिलेक्ट कमेटी के सामने रखूंगा और आशा करता हूं कि गवर्नमेंट उन पर विचार करेगी।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय शिक्षा मन्त्री ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और जो संशोधन इस सदन के सामने रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूं।

आगरा युनिवर्सिटी बिल पहले भी एक रूप में हमारे सामने आया था जिस वक्त कि वाइस-चांसलर की अवधि को बढ़ाने का प्रश्न था और उस सम्बन्ध में जहां तक कि वैधानिक प्रश्न का मामला था उस पर काफी विचार हुआ और यह साफ हो गया कि हमारे सदन को इस पर विचार करने का अधिकार है। मैं ज्यादा गहराई में उसमें नहीं जाऊंगा लेकिन यह प्रश्न यहां रखा गया और इस पर कुछ शक प्रकट किया गया। विधान के अन्दर इस धारा सभा को अधिकार है कि युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में वह कानून पास करे। जहां तक हमारे सूबे के कालिजों का और संस्थाओं का सम्बन्ध है उसके ऊपर तो कुछ कहने सुनने का सवाल नहीं है, लेकिन जो इस सूबे के बाहर हैं, उन के बारे में कहा गया है कि हमारे सदन को अधिकार नहीं है। जो संस्थाएं हमारे सूबे के बाहर हैं, वह अगर आगरा युनिवर्सिटी से अपना सम्बन्ध जोड़ती हैं, तो वह समझौते के रूप में, कन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर अपना सम्बन्ध रखती हैं और उनको अधिकार है कि जब चाहें वह अपने आप को आगरा युनिवर्सिटी से हटा दें। तो इसमें यहां कोई जबरदस्ती का सवाल नहीं है और अगर वह अपनी खुशी से आगरा युनिवर्सिटी के अन्दर

अपनी संस्थाओं को लाती हैं, तो उनको अधिकार है जब वह जाना चाहें, तो वह जा सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां तक कि इस सदन के अधिकार का प्रश्न है, हमको पूरा अधिकार है कि हम इस प्रकार का कानून बनायें।

इस विधेयक की मोटी-मोटी बातों पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। सब से पहले तो वाइस-चांसलर की नियुक्ति का सवाल है। श्रीमन्, मैं स्पष्ट रूप से यह कहूंगा कि जहां तक सिद्धान्त का सम्बन्ध है मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे विश्वविद्यालय अपनी स्वतंत्रता को खोएं। जहां तक युनिवर्सिटी की आटोनोमी का सम्बन्ध है, यह एक बड़े दुख का विषय होगा अगर युनिवर्सिटी की अटोनोमी किसी रूप में छीन ली जाय। युनिवर्सिटी का वातावरण यह मांगता है। युनिवर्सिटी का रूप जो हम देखना चाहते हैं, और जिस रूप में हमारे नौजवान अपने चरित्र का, अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं, उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हमारे विश्वविद्यालय पूर्णरूपेण स्वतंत्र रहें। राधाकृष्णन कमेटी और नरेन्द्रदेव कमेटी में इस मामले पर काफी रोशनी डाली गयी और जहां तक सिद्धांत का सम्बन्ध है, यह साफ तौर से स्वीकार कर लिया गया कि युनिवर्सिटी की आटोनोमी पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। लेकिन उसके साथ-साथ सरकार यह भी नहीं देख सकती कि विश्वविद्यालय जिन उद्देश्यों के लिए बनाये गये हैं, जिस काम के लिए उनकी स्थापना हुई है वह काम न हों, उनमें रुकावटें पड़ें, उनमें वह खराबियां आ जायं, जो उनके उद्देश्यों की पूर्ति में बाधा डालें।

ऐसी स्थिति में राज्य का और शासन का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि उन रुकावटों को दूर किया जाय और इस दूर करने में अगर युनिवर्सिटी की आटोनामी और युनिवर्सिटी की स्वतंत्रता में कुछ कमी आती है तो हमें दुख के साथ उसको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं तो यह चाहता कि बड़ा सुन्दर होता कि वाइस-चांसलर की नियुक्ति सिनेट के ऊपर ही पूरी तरह से रहती लेकिन आज आगरा यूनिवर्सिटी का जो वातावरण है उसके अन्दर यह संभव नहीं है। इसके ऊपर काफी कहा गया है और मैं भी कुछ शब्दों में कहूंगा कि वहां का इतिहास बताता है कि आगरा युनिवर्सिटी में काफी निपोटिज्म, करप्शन, फेवरिटिज्म और आमदनी के सोतों के ऊपर तवज्जह रही है और इन वजहों से वातावरण ऐसा दूषित हो गया कि शासन के लिये मजबूरन उस कदम को उठाना पड़ा जो कि आज हम इस विधेयक के रूप में अपने सामने देख रहे हैं उसको दूर करने के लिये अगर कोई और खूबसूरत तरीका विरोधी दल की तरफ से या माननीय तिवारी जी की तरफ से कोई आये तो यह सदन उसको मंजूर करेगा। लेकिन वह बतायें कि वह कौन सा तरीका है। जब सिनेट के अधिकार में वाइस-चांसलर की नियुक्ति रखी गई तो जो लीलायें पिछले साल हुईं वह सब हमने देखीं। इनको रोकने के लिये उस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये इस विधेयक में कहा गया है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल कुछ नाम चुने और वे नाम चांसलर के पास भेजे जायं। चांसलर को अधिकार होगा कि वह नाम फिर वापस कर दे और एक्जीक्यूटिव कौंसिल को फिर से मौका दे कि वह अच्छे नाम भेजे और कोई वजह नहीं है कि अगर एक्जीक्यूटिव कौंसिल मुनासिब आदमी का नाम तजवीज करे तो चांसलर उसको स्वीकार न करे। चांसलर का हस्तक्षेप तो उसी वक्त आयेगा जब कि वे स्पष्ट देखेंगे कि अच्छे आदमी का नाम एक्जीक्यूटिव कौंसिल नहीं भेज रही है। आगरा युनिवर्सिटी का और और भी कई युनिवर्सिटियों का पिछले कई सालों में यह अनुभव है कि बहुधा यह होता है कि जहां एक्जीक्यूटिव कौंसिल को सिनेट के सामने या कोर्ट के सामने तीन नाम भेजने चाहिये, वहां अक्सर यह देखा गया है कि एक नाम तो वह जिसको चाहती है उसका भेजती है और दो डमी नाम सामने रख देती है ताकि कोर्ट या सिनेट मजबूर होकर उसी नाम को स्वीकार करे। तो ऐसी स्थिति में चांसलर को यह अधिकार दिया गया है कि वह रोकथाम कर सके। मैं इस संबंध में अपना कुछ शक भी प्रकट करना चाहता हूं। आज हमारे यहां तीन यूनिवर्सिटीज हैं और चांसलर गवर्नर है। वही चांसलर के रूप में आता है। अभी इस संबंध में कुछ थोड़ा सा प्रकाश डाला गया।

[श्री शिवनाथ काटजू]

मेरा अपना निजी विचार है कि चांसलर अगर अपने व्यक्तिगत रूप से इसमें कार्य करेंगे तो जो अधिकार मैं इस बिल में देख रहा हूं, मुझे खटका है कि वह स्वयं कंट्रोवर्शियल पालिटिक्स में पड़ेंगे और चूंकि चांसलर गवर्नर भी हैं तो मैं नहीं चाहूंगा कि चांसलर गवर्नर होते हुये किसी कंट्रोवर्शियल मामले में पड़े क्योंकि यदि वह चांसलर के रूप में, किसी रूप में भी किसी पार्टी की ओर झुका तो दूसरी पार्टी को मौका मिलेगा कहा सुनी का और उसमें चांसलर ख्वामख्वाह आ सकता है, चांसलर का नाम आ सकता है, चाहे वह कोर्ट के सामने हो, चाहे सम्भव है कि सदन के सामने हो। तो मैं नहीं चाहूंगा कि चांसलर जो कि गवर्नर है वह कंट्रोवर्शियल पालिटिक्स में आये। लेकिन मुझे इस वक्त जहां तक इस विधेयक का संबंध है और कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। जहां हमें वाइस-चांसलर को चुनने में इतनी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं वहां अगर हम किसी बाहर के आदमी को यूनिवर्सिटी का चांसलर बनायें, तो उसमें और ज्यादा दिक्कतें होंगी। इसलिये इस वक्त यही एक सरल मार्ग है कि जिस तरह से अब तक पद्धति चली आयी है वही रहे। वैसे सिद्धांतन अगर भविष्य में कोई चांसलर भी कोई बाहर का आदमी हो तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसे पसंद करूंगा।

श्रीमन्, जहां तक इस बिल का संबंध है यह कोई क्रांतिकारी चीज नहीं है, बल्कि यह एक रिफार्मेटरी विधेयक है और इसमें कोशिश यह की गयी है कि जहां तक हो सके सिनेट और एक्जीक्युटिव कौन्सिल के बनाने में, उनके कांस्टिट्यूशन में, उनके अधिकारों में ऐसा परिवर्तन किया जाय जिसकी वजह से जो दिक्कतें पिछले दिनों में सामने आयी हैं वे दिक्कतें दूर हो जायं। यह विधेयक अभी ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी के सामने जायगा और जहां तक विशेष बातों का संबंध है, उन पर वहां विचार होगा। मैं उन बातों पर एक-एक करके नहीं जाना चाहता। लेकिन आप देखेंगे कि सिनेट के बनाने में, सिनेट के अधिकारों में, एक्जीक्युटिव कौंसिल के कांस्टिट्यूशन में और उसके अधिकारों में काफी संशोधन किये गये हैं। उसका ध्येय यही रखा गया है कि उसमें वे लोग न आ सकें जो अब तक उसमें आकर पार्टीबाजी करते थे। सिनेट के अधिकारों में कुछ कमी की गयी है और मेरे ख्याल में वह काफी मुनासिब है। जैसे इलाहाबाद युनिवर्सिटी का कोर्ट है उसकी साल में सिर्फ एक दफा या दो दफा बैठक होती है। नारायण जी को शायद मालूम न हो कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी का कोर्ट कनवोकेशन के पहले सिर्फ एक दिन के लिये बैठता है। इसी तरह से आगरा यूनिवर्सिटी के सिनेट की बैठक भी बहुत कम समय के लिये और बहुत कम होती है। तो स्पष्ट रूप से जहां तक शब्दों का संबंध है उसके अधिकारों में अगर कुछ कमी कर दी गयी है तो वह वास्तविक रूप से कमी की गई है, उसमें कोई गहराई की बात नहीं है। असल अधिकार एक्जीक्युटिव कौंसिल के हाथ में पहले भी थे और अब भी हैं। एक्जीक्युटिव कौंसिल में जो परिवर्तन किया गया है वह भी मेरे विचार में मुनासिब परिवर्तन किया गया है। अगर आप देखेंगे कि एक्जीक्युटिव कौंसिल का पहले रूप क्या था और इस वक्त उसका रूप क्या है तो मैं जो निवेदन कर रहा हूं वह प्रकट हो जायगा। पहले एक्जीक्युटिव कौंसिल में इस प्रकार मेम्बर रहा करते थे। वाइस-चांसलर फैकल्टी के सारे डीन्स, छः मेम्बर्स जिनको चांसलर मुकर्रर करते थे, ५ कालेजों के प्रिन्सिपल्स, पांच मेम्बर्स अफिलिएटेड कालेजों के मैनेजिंग कमेटी के और ४ मेम्बर्स सिनेट के जिन को मैनेजिंग कमेटी के सदस्य चुनते थे। अब उसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है। अब वाइस-चांसलर को रखा गया है, डाइरेक्टर आफ एजुकेशन, मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कालेज के प्रिंसिपल और बजाय सब डीनों के चार डीन। इस प्रकार मेम्बर्स की संख्या में बहुत कमी की गयी है। चार उसमें चांसलर के नामिनीज हैं और चार मेम्बर सिनेट चुनेगा उन लोगों को जोकि टीचिंग स्टाफ में नहीं हैं। आप देखेंगे कि इसमें चेष्टा यह की गयी है कि इसमें उन लोगों की संख्या में कमी हो जिनका संबंध

कालेजों और यूनिवर्सिटी से ज्यादा था और जो अब तक उसमें अपना बहुमत बनाकर गड़बड़ी किया करते थे। तो यह एक प्रकार से रोक थाम की गई है और आशा की जाती है कि इस रोक-थाम से आगरा यूनिवर्सिटी में कुछ सुधार होगा। लेकिन जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि यह सुधार करने वाला विधेयक है और अगर फिर भी वे आदमी जिनके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई, जो कि एक्जीक्यूटिव काउन्सिल में हैं और जो सिनेट में होंगे, वे अगर जिम्मेदारी से काम न कर सकें और निष्पक्ष रूप से काम न करें तो मेरे ख्याल में इस आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट से जितने सुधार की हम आशा करते हैं सम्भवतः उतना सुधार नहीं हो सकेगा। यह प्रश्न आयेगा, और मैं श्रीमन्, यह यहां निवेदन करना चाहता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी हमारे सूबे में एक विशेष स्थान रखती है बनारस और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केन्द्र से संबंध है। हमारे प्रयाग की और लखनऊ की यूनिवर्सिटीज टीचिंग यूनिवर्सिटीज हैं परन्तु आगरा यूनिवर्सिटी अभी तक सिर्फ इम्तहान लेने वाली संस्था है लेकिन अब इम्तहान लेने वाली संस्था का समय बीत गया। इसके द्वारा उतनी सुन्दरता से सेवा नहीं की जा सकती है जितनी कि एक टीचिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा की जा सकती है। यह अभी मुमकिन नहीं था कि वह कालेज और संस्थायें जिनकी संख्या इस वक्त ६५ हैं और जिनका संबंध आगरा यूनिवर्सिटी से है उन सब को टीचिंग यूनिवर्सिटी के रूप में बदल दिया जाय लेकिन कुछ थोड़ा सा कदम इसमें बढ़ाया गया है और कालेजों को यह गुन्जायश दी गई है कि वह स्वतंत्र हो सकें और जैसा कि इसके अन्दर रखा गया है कि कुछ कालेज आटोनामस कालेज बन सकते हैं। लेकिन अपना मेरा विचार है कि बहुत जल्दी ही वह समय आने वाला है जबकि हमको विचार करना पड़ेगा कि कब तक हम इस अफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी को रख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि इसमें हमको देखना है कि जल्द से जल्द एक ऐसा विधेयक हम सामने लायें जिसके द्वारा हम आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट में परिवर्तन कर सकें जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि वाइस-चांसलर की अवधि शीघ्र ही समाप्त होने वाली है और यह सब बातें इस विधेयक में नहीं आ सकतीं। यह विधेयक अभी ज्वाइंट कमेटी में जायगा और उसमें भी इसकी जो रूपरेखा है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—अधिष्ठाता महोदय, आगरा यूनिवर्सिटी जिसका संशोधन विधेयक इस भवन के सामने है। सन् १९२६ में इसलिये इसकी स्थापना की गई थी कि यह जरूरत महसूस हुई कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो कुछ कालेजेज़ थे उनको अलग करके आगरा यूनिवर्सिटी में अफीलियेटेड कर दिये जायं जिससे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को यूनिटी और टीचिंग यूनिवर्सिटी बनाने में सुविधा हो। सैडलर कमेटी से लेकर मूथम कमेटी तक जितनी भी कमेटीज या कमीशंस का यहां जिक्र हुआ है उनका हवाला देते हुये माननीय शिक्षा मंत्री ने अपने भाषण में यह कहा कि उन सब रिपोर्टों की सिफारिशों को देखने के बाद यह बिल लाया गया है और यह बिल आ तो पहले जाता परन्तु सरकार ने यह समझा, और उचित ही समझा, कि राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट भी आजाय और उसके बाद एक ऐसा बिल लाया जाय जिससे आगरा यूनिवर्सिटी में सुधार हो सके। इस संशोधन विधेयक के लाने का मुख्य कारण शिक्षा मंत्री जी ने यह बताया कि हमारे विश्वविद्यालय में शिक्षा का स्तर नीचे गिरता चला जा रहा है और खास तौर से आगरा यूनिवर्सिटी में तो शिक्षा का स्तर ही नहीं किन्तु वहां तो वाइस-चांसलर के चुनाव में बहुत दलबंदियां हैं और उनको खत्म करना यदि वहां के शिक्षा के स्तर को ऊंचा नहीं उठाया जा सकता तो कम से कम नीचे गिरने के रास्ते में रोक लगाई जाय। श्रीमन्, जब हम इस विधेयक को इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि आगरा यूनिवर्सिटी में जितनी खराबियां आ गई थीं, जिनकी शिकायतें वर्षों से अखबारों में और प्लेटफार्म पर हो रही थीं, तब यह स्वाभाविक हो जाता है कि हम अपने मन में यह विचार कर लें कि यूनिवर्सिटी की आटोनामी हमें कहां तक कायम रखनी है। जैसा कि एक माननीय

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

सदस्य ने अभी कहा था, एटानामी कोई एबसोल्यूट चीज नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि आटोनामी क्या कोई भी चीज इस संसार में एक्सोल्यूट नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि आटोनामी कोई साध्य नहीं है। वह केवल एक साधन है। परन्तु जब हम यह विचार करें कि हमको युनिवर्सिटीज की आटोनामी को कितना रखना है और कितना सरकार का इंटरफीयरेंस होना चाहिये वहां हमें यह देखना आवश्यक हो जायगा कि वह साध्य क्या है और उस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। मैं यह मानता हूं कि जहां तक आगरा यूनिवर्सिटी का प्रश्न है, जिसके लिये यह विधेयक लाया गया है, उसके लिये हम कहें कि गवर्नमेंट इंटरफियरेंस बिलकुल होना ही नहीं चाहिये यह उचित न होगा, परन्तु मैं यह समझता हूं कि सरकार को भी यह देखना होगा कि कितना गवर्नमेंट इंटर-फीयरेंस हो ताकि युनिवर्सिटी की आटोनामी पूरी गायब न हो जाय। जितनी भी रिपोर्टें या बड़े-बड़े एजुकेशनिस्टों की राय हमारे सामने है, सब सहमत हैं कि युनिवर्सिटी की आटोनामी जरूर सुरक्षित रखी जाय। मैं माननीय सदस्य अल्मोड़ा का भाषण सुनने के बाद बहुत क्वोटेशंस तो नहीं देना चाहता परन्तु राधाकृष्णन कमीशन ने आटोनामी के लिये यह कहा है कि अवर यूनिवर्सिटीज शुड बी रिलीज्ड फ्राम दी कंट्रोल आफ पोलीटिक्स (our universities should be released from the control of politics) सवाल यह है कि जिस स्तर पर हम अपनी यूनिवर्सिटी एजूकेशन पहुंचाना चाहते हैं उस स्तर को.....

अधिष्ठाता—मैं बाबू राजनारायण जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हाउस के अन्दर अखबार नहीं पढ़ा जा सकता।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं इसी के संबंध में पढ़ रहा हूं।

अधिष्ठाता—कुछ भी हो।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—तो हमें यह देखना है कि जिस स्तर पर हम अपने विश्वविद्या-लयों की एजूकेशन को पहुंचाना चाहते हैं। श्रीमन्, उस स्तर पर पहुंचने के लिये हमें कहां तक यूनिव-र्सिटी आटोनामी में इंटरफियरेंस करें और जहां तक यह प्रश्न है मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और यह मानता हूं कि पिछले ऐक्ट से और जो हमारा तजुर्बा रहा है आगरा यूनिवर्सिटी को देखते हुये इस विधेयक में बहुत काफी इम्प्रूवमेंटस हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपका और माननीय सदस्यों का इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट, सम्पूर्णानन्द कमेटी की रिपोर्ट और यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमेटी की रिपोर्ट को देखते हुये, जिनकी ओर संकेत माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी किया था, उनकी ओर देखते हुये मैं आवश्यक समझता हूं कि जितना फायदा इस वक्त इस अवसर से उठाया जा सकता था उतना फायदा उठाने की शायद सरकार ने कोशिश नहीं की है।

हां, यह हो सकता है कि इन कमीशंस की रिपोर्टस और कमेटियों की रिपोर्टस तो अपने देश की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी एजूकेशन के लिये हैं और यहां पर यह विधेयक केवल आगरा यूनिवर्सिटी में जो आब्जेक्शनेबिल फीचर्स, या खराबियां या शिकायतें थीं उनको दूर करने के लिये इस बिल को लाया गया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी समझते हों कि इन रिपोर्टस के आधार पर यदि हम कुछ करेंगे तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ कदम उठाना पड़ेगा या कोई बहुत बड़ा बिल लाना पड़ेगा जिससे हमारे प्रांत की यूनिवर्सिटीज की एजूकेशन के ऊपर, इन रिपोर्टस के आधार पर विचार किया जा सके।

श्रीमन्, यहां पर जितने माननीय सदस्यों ने भाषण दिये सबने अपने भाषण का काफी समय वाइस-चांसलर की नियुक्ति पर ही दिया है। मेरा विचार यह है कि वाइस-चांसलर की नियुक्ति के साधन चाहे जो कुछ भी हों लेकिन हमें यह तय कर लेना चाहिये कि किस प्रकार के वाइस-चांसलर होने चाहिये और वाइस-चांसलर के क्या काम हों। यदि मैं इस संबंध में कोटेशन पढ़ूं तो भवन का समय नष्ट होगा। लेकिन यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमेटी की रिपोर्ट में बहुत लम्बे चौड़े शब्दों में दिया है कि किस प्रकार के वाइस-चांसलर की आवश्यकता है और उनको क्या-क्या काम करने होंगे और इन रिपोर्टों के आधार पर जब मैं विचार करता हूं तो मैं समझता हूं कि जो कुछ हम आगरा यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक के जरिये जो कुछ हम करने जा रहे हैं वह शायद पूरा न हो सके। परन्तु उसके साथ ही साथ मैं इस मुश्किल को भी मानता हूं कि और कोई जरिया अभी हमारी सरकार के सामने नहीं है जो कि वायस-चांसलर की नियुक्ति के लिये रखे। इतना मैं अवश्य कहूंगा कि मेरा विचार है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल जो तीन नाम चांसलर के पास भेजेगी, मैं समझता हूं कि अच्छा हो अगर वह एक ही नाम चांसलर के पास भेजे। जैसा कि अभी माननीय सदस्य इलाहाबाद ने बतलाया कि यह लोग यह करते थे कि जिसको वाइस-चांसलर बनाना चाहते थे वह असली नाम होता था और दो डमी की तरह रहते थे चांसलर को अधिकार दिया गया है कि अगर वह आवश्यक समझे तो और नाम मांगे। मैं समझता हूं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि जब उनको डमी भेजना है तो क्यों कहा जाय कि वह बेईमानी अख्तियार करें। क्यों न वह एक ही नाम जिसे वह पसन्द करते हों उसको चांसलर के पास भेजें और चांसलर उसी की नियुक्ति कर दे। इसमें एक और आपत्ति है कि जिस तरह के हम वायस चांसलर चाहते हैं वह शायद यह पसन्द न करें कि आपस में पार्टी पोलिटिक्स में पड़कर अपना नाम एक्जीक्यूटिव कौंसिल के सामने रखें और जब उनका नाम रख दिया जाय तो तीन नाम के पैनल के साथ वह चांसलर के पास जाय। फिर चांसलर रखे या न रखे और उनकी नियुक्ति वाइस-चांसलर के पद पर हो सके या न हो सके इसलिये श्रीमन्, मैं यह समझता हूं और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमेटी की रिपोर्ट भी यही विचार रखती है कि एक्जीक्युटिव कौंसिल को केवल एक ही नाम भेजना चाहिये।

श्रीमन्, जहां तक माननीय सदस्य नैनीताल की यह आपत्ति है कि इस विधेयक द्वारा सिनेट और एक्जीक्यूटिव कौंसिल में इंटर्नल और एक्सटर्नल मेम्बर्स की पैरिटी नहीं रखी गयी, यह सच है कि ऐसा करना हमारे लिये आवश्यक था और आयन्दा इस पर विचार होना आवश्यक है क्योंकि राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट में यह साफ है कि सिनेट और एक्जीक्युटिव कौंसिल में इंटर्नल और एक्सटर्नल मेम्बर्स का बैलेंस होना चाहिये और क़रीब क़रीब बराबर होना चाहिये। परन्तु श्रीमन्, हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हम यहां पर अपने देश की या अपने प्रदेश की सारी यूनिवर्सिटीज के लिये कोई कानून नहीं बना रहे हैं। हम यहां पर आगरा यूनिवर्सिटी के लिये एक खास कारणवश इस संशोधन विधेयक को बना रहे हैं जिससे कि वहां की खराबियां दूर हों और ऐसे वातावरण में शायद यह कुछ बहुत ग़लत न होगा अगर सिनेट और एक्जीक्यूटिव कौंसिल में बैलेंस थोड़ा एक्सटर्नल मेम्बर्स की ओर जाय और यहां पर एक्सटर्नल मेम्बर्स के माने यह हों कि सरकार की तरफ जाय, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री ने यह साफ कर दिया था कि इस विधेयक द्वारा उनकी आगरा यूनिवर्सिटी में जो खराबियां हैं उनको हटाना है और उसके लिये अगर उसकी आटोनामी पर कुछ आघात भी हो तो उसको दुःख के साथ बर्दाश्त करके सरकार को कुछ हस्तक्षेप करना है। तो इस दृष्टि से यदि यह विधेयक देखा जाता है तो मेरी समझ में कोई इसमें बहुत बड़ी आपत्ति जनक बात नहीं है। आगरा यूनिवर्सिटी की आटोनामी पर थोड़ा बहुत कुठाराघात हो जाय और उससे वहां की खराबियां हम दूर कर सकें तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है।

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

अब श्रीमन्, यहां पर इंटरमीजियेट और डिग्री क्लासेज के लिये माननीय सदस्यों ने कुछ कहा। मेरा यह विचार है कि इंटरमीडियेट और डिग्री क्लासेज साथ-साथ नहीं चलने चाहिये। और इंटरमीडियेट को डिग्री क्लासेज से अलग कर देना चाहिये। परन्तु इस विधेयक में, हालांकि माननीय शिक्षा मंत्री ने इस पर कल आपत्ति जाहिर भी की थी, इंटरमीडियेट और डिग्री क्लासेज को अलग नहीं किया गया, इंटरमीडियेट और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज को अलग किया गया है। शायद वह इस कारण हो कि अगर शुरू ही में इंटरमीडियेट और डिग्री क्लासेज को अलग कर दिया गया तो फ़िनैन्शली डिग्री कालेजेज का चलाना एफ़ीलियेटेड कालेजेज के लिये मुश्किल हो जायगा। परन्तु इस ओर सरकार ने बिल्कुल ठीक क़दम उठाया है कि आगे चल कर कुछ समय बाद डिग्री क्लासेज और इंटरमीडियेट क्लासेज इन एफ़ीलियेटेड कालेजेज में न हों सकें। सरकार कहां तक इसका इंतजाम कर सकेगी कि फ़िनैन्शली ऐसा मुमकिन हो सके, यह मैं नहीं जानता परन्तु चार साल का समय दिया गया है और इस समय में समझता हूं कि सरकार कोई न कोई ऐसा प्रबन्ध अवश्य करेगी कि इन एफ़ीलियेटेड कालेजेज को बग़ैर किसी फ़ानेन्शियल हानि के वह डिग्री क्लासेज को इंटरमिडियेट क्लासेज से अलग कर दें और जो एफ़ीलियेटेड कालेजेज हैं आगरा यूनिवर्सिटी से उनमें केवल डिग्री कोर्सेज के क्लासेज पढ़ाये जायं।

वर्क्स कालेज का इसमें प्राविजन है जिसका मैं स्वागत करता हूं। परन्तु उसके साथ ही साथ आप के द्वारा मैं माननीय शिक्षा मंत्री और सरकार से यह अवश्य निवेदन करूंगा कि वर्क्स कालेजेज की जो आवश्यकता उन्होंने देखी है वह बिलकुल ठीक और सही है। और श्रीमन् यह एक ऐसी डिमांड है जो केवल पेपर पर ही न रह जाय। कम से कम आगरा कालेज के ५५ एफिलिएटेड कालेजेज में से ४,५ कालेजेज में तो जल्द से जल्द वर्क्स कालेजेज का प्रबंध हो ही जाना चाहिये। ऐसे लोग जो कि और कामों में फंसे रहते हैं उनको भी वहां जा कर डिग्री पाने का मौक़ा मिल सके।

इसके अलावा कुछ रिलीजस स्टेडी के बारे में भी कहा गया। माननीय सदस्य नैनीताल की राय है कि सेक्यूलर स्टेट में किसी प्रकार की भी रिलीजस स्टेडी की आवश्यकता नहीं है और यह कि वह हमारे संविधान के खिलाफ़ जाता है, श्रीमन्, मैं उनकी इस राय से सहमत नहीं हूं क्योंकि मेरे विचार में डेमोक्रेसी और सैक्यूरिज्म से रिलीजन कंफ्लिक्ट नहीं करता।

(इस समय ४ बज कर २५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

इसके बारे में यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमेटी की रिपोर्ट में राय दी गई है, उसमें काफी विस्तार-पूर्वक बतलाया गया है। रिलीजन से मतलब एक खास रिलीजन से नहीं है बल्कि सब मजहबों के ब्राड आउटलुक से है। जो हर रिलीजन की अच्छी-अच्छी बातें हैं उनको पढ़ाया जाय। यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमेटी इस संबंध में बहुत साफ है और वह इस बात पर जोर देती है कि ऐसा कोई न कोई प्रबंध जरूर होना चाहिये जिससे रिलीजस एजूकेशन हम दे सकें। एजूकेशन कमेटी की रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है वह इस प्रकार है —

"If this is the basis of our Secular State, to be secular is not to be religiously illiterate. It is to be deeply spiritual and not narrowly religious."

महात्मा गांधी के बारे में कहा गया। वे भी रिलीजस स्टेडी के हामी थे लेकिन उन्होंने वर्धा स्कीम आफ एजूकेशन में उसे क्यों नहीं रखा इसके बारे में उन्होंने कुछ लिखा है वह इस प्रकार है—

"We have left out the teaching of religious from the Wardha Scheme of education because we are afraid that religions as they are taught and practised to day, lead to conflict rather than unity. But on the other hand I hold that the truths that are common to all religions can and should be taught to all children."

इसलिये श्रीमन्, आप के द्वारा मेरा सरकार से यह भी निवेदन है कि रिलीजस स्टेडी को भी सरकार जरूर और जल्दी से जल्दी चालू करें और उसको यह देखना चाहिये कि आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होने वाले कालेजेज में किसी न किसी रूप में, जिसमें किसी को कोई एतराज न हो, रिलीजन की तालीम अवश्य दी जानी चाहिये जिससे हमारे लड़के कुछ न कुछ धर्म की तालीम अवश्य पा सकें ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, कल से जो विधेयक इस विधान सभा के सम्मुख उपस्थित है और जो उसके संबंध में माननीय नारायण दत्त जी ने अपना संशोधन पेश किया है मैं उसके संबंध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं । एक तरफ तो विधेयक के पक्ष में और दूसरी तरफ उस संशोधन के विपक्ष में मुझे अपने विचार रखने हैं जो कि इस समय सदन के सामने विचाराधीन है । तिवारी जी का यह मत है कि सरकार इस विधेयक को जनमत के लिये भेजे । यदि हमारे मित्र तिवारी जी का जनमत से तात्पर्य विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थाओं से सम्बद्ध शिक्षाविशेषज्ञों से है तो निश्चय ही इस विधेयक के निर्माण के पूर्व उनकी सम्मतियां ली जा चुकी हैं और यदि उनका मतलब देश में रहने वाले आम जन साधारण से है तो यह साफ है कि हमारे देश के रहने वाले आम लोगों की शिक्षा का जो आज स्तर है वह इतना ऊंचा नहीं है कि वे अपना मत इस गम्भीर विषय में दे सकें कि यूनिवर्सिटी के संरक्षण और चलाने में कौन-कौन से आर्गन्स किस किस तरह से फंक्शन करें ।

जब हम यह समझें कि विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों के सम्मुख और उनकी राय से हम इस मसविदे पर विचार करें और उसे बनावें तो मैं माननीय नारायण दत्त जी और उन साथियों का ध्यान इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों की तरफ लेजाना चाहता हूं । इस विधेयक के उद्देश्य में जहां पर लिखा हुआ है कि आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट २७ वर्ष पहले पारित हुआ था । इसके अतिरिक्त इस बात की भी आवश्यकता है कि उक्त शिक्षा के स्तर को, जो कि बहुत महत्व-पूर्ण है, यथोचित ढंग से निश्चित किया जाय । हाल ही में उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने इस पर विचार किया है । अतः स्पष्ट है कि सरकार ने इस बिल को बनाने से पहले उस भावना की इज्जत की जिस भावना से प्रेरित होकर हमारे बहुत सारे दोस्तों ने यह चाहा है कि और खास कर जिनका यूनिवर्सिटी शिक्षा से संबंध है, जो उसके चलाने वाले हैं, उनकी राय के लिये इसे अवश्य रखना चाहिये । राधा कृष्णन कमीशन की उस मान्यता के सिद्धान्तों को मद्देनजर रखते हुये हमारे शिक्षा मंत्री जी ने और सरकार ने पहले ही नैनीताल में पिछली गर्मियों में हमारी यूनिवर्सिटीज के वाइस-चांसलरों की एक कांफ्रेंस बुलाई थी और इन सारे सवालों पर वहां विचार विनिमय किया गया । एक तरफ सरकार के सामने यह प्रश्न आया है कि इस तरह के बिल की आवश्यकता है, तब इसकी रचना हुई और यह भी स्पष्ट ही है कि इस भवन के सभी सदस्य चाहे वे इधर के हों या उधर के हों एक बात को मानते हैं कि शिक्षा प्रणाली में ऐसा आमूल परिवर्तन होना चाहिये ताकि हम क्लर्क बाबू न पैदा कर के देश के मुनासिब और सही नागरिक पैदा कर सकें जो कि स्वावलम्बी हों और देश के उद्धार के काम में हिस्सा ले सकें। लेकिन जब हम इस सवाल को इस बिल के साथ उठावें तो समझ लें कि यह इस बिल के दायरे के अन्दर है या नहीं । यह मैं मानता हूं कि शिक्षा प्रणाली में इस बिल से न तो कोई आमूल परिवर्तन होने की आशा है और न इससे किया ही जा सकता है । इसकी जरूरत है ऐसा मैं मानता हूं, देश के सभी लोग मानते हैं, सभी कमीशनों ने भी यही कहा है । हमें इसकी आशा भी करनी चाहिये और बार-बार सरकार से कहना चाहिये कि वह कोई ऐसा क़दम उठावे जिससे हमारी वर्तमान शिक्षा का स्तर ऐसा हो जाय कि जिसमें सचमुच एक नये रूप से, एक नये ढंग से ऐसी शिक्षा दे सकें, जो कल्याणकारी राज्य के युग में मिलनी चाहिये ।

आगरा विश्वविद्यालय की हाल में काफी चर्चा सदन के अन्दर और बाहर होती रही है । आज जो मूल ख़राबी आगरा यूनिवर्सिटी में है वह सर्वमान्य है और वह है पदाधिकारियों के चुनाव के संबंध में । हमारे माननीय मंत्री जी ने और सरकार ने भी इस बात पर विचार किया कि आरगन

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुना]

आफ दि यूनिवर्सिटी जितने भी हैं चाहे वाइस-चांसलर हों, चाहे एक्जीक्यूटिव कौंसिल हो, चाहे सिनेट हो, चाहे एकेडेमिक बोर्ड हो, चाहे फाइनेंस कमेटी हो इन के इस विधेयक में दिये रूप का अगर हम मूल अधिनियम का मुक़ाबला करें और दूसरी यूनिवर्सिटियों के भी जो तत्संबंधी नियम हैं उनसे मुक़ाबला किया जाय तो स्पष्ट ही है कि तौल में भले ही फर्क हो लेकिन उसूलन कोई विशेष या मौलिक अन्तर इस विधेयक का उनसे नहीं दिखलाई देता है। कहीं पर एक्जीक्यूटिव कौंसिल से कोर्ट के सामने तीन नाम भेजे जाते हैं, कहीं पर दो नाम भेजे जाते हैं, कहीं पर एक नाम चांसलर के सामने ही भेजा जाता है तो इन सब में वही चुनाव का ही प्रश्न मुख्य है।

कहीं-कहीं पर यह भी कहा जाता है कि विश्वविद्यालयों की आटोनामी के सिद्धांत का हनन हो रहा है क्योंकि चांसलर की परसनालिटी को गवर्नर की परसनालिटी से मिक्सड् अप किया जा रहा है। क्योंकि हमारे सूबे का गवर्नर इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं और रहेंगे। अतः जब कभी भी वह कोई काम करेंगे तो यह हो सकता है कि कांस्टिट्यूशनली गवर्नर की हैसियत से वे अपनी सरकार की राय से काम करें। लेकिन इस बिल को देख कर और इस बिल में इस्तेमाल किये हुये शब्द "चांसलर" को देख कर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस सूबे की सवा छः करोड़ जनता के बहुत सारे हितों को देखने के लिये प्रेसीडेंट द्वारा नियुक्त किया हुआ वह व्यक्ति उस स्तर का आदमी होगा जो अपनी बुद्धि को इस्तेमाल कर के जब कभी नियुक्तियां करेगा तो सरकार के दायरे और इन्फ्लुयेंस को बढ़ाने की गरज से करेगा ऐसा मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि गवर्नर अपने चांसलर की हैसियत से होने वाले कार्यों में गवर्नमेंट की राय से बंधा न होगा। हां, यदि मंत्रियों से पूछे तो मंजे हुये और प्रतिष्ठित सलाहकारों की हैसियत से वह पूछ सकता है लेकिन वह सरकार की किसी बात को मानने के लिये बाध्य नहीं है। वह इसके लिये भी बाध्य नहीं है कि हमारे मंत्री महोदय जब जिसे उपयुक्त कहें चांसलर उसी आदमी का नाम सिनेट के लिये या एक्जीक्यूटिव कौंसिल के लिये भेजेगा या वाइस-चान्सलर की नियुक्ति में केवल उसी राय के ऊपर ध्यान देकर फ़ैसला देगा। लेकिन मैं मानता हूं कि सरकार की राय मानने में उसे कोई परहेज भी नहीं होगा और जब वह वाइस-चांसलर की नियुक्ति करेगा तो अपने मंत्रियों से सलाह भी करेगा। और वे मंत्री कौन हैं? जो सवा छः करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं? और जिन पर जनता के चार पांच सौ प्रतिनिधि अपना विश्वास रखते हैं उनसे शायद राय भी लेगा कि किन्हीं विश्वविद्यालय की भलाई के लिये कौन आदमी उपयुक्त हो सकता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर यह बात उठाई जाती कि गवर्नर और चांसलर एक ही व्यक्ति न हो जो कि इस बिल में की जा रही है तो मैं समझता हूं कि उस बात से मेरा ऐक्य हो सकता है क्योंकि चांसलर और गवर्नर दोनों का काम ठीक ठीक कर सकना एक तो आदमी के लिये शायद सम्भव न हो और फिर एक से ज्यादा यूनिवर्सिटियां हमारे प्रदेश में मौजूद हैं। अगर उस बुनियाद पर हम चलें तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जब कोई विशाल परिवर्तन शिक्षा के संबंध में हो यह उन सभी ऐक्ट्स में तरमीम जब हो जिनके आधार पर हमारी सभी यूनिवर्सिटीज आज फंक्शन कर रही हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि चांसलर गवर्नर न हो कर कोई तीसरा आदमी बाहर का हो जिसका सरकार से संबंध न हो।

एक और बहुत ही सैद्धान्तिक सवाल यह है जिसको कल से आज तक सदन में दोहराया भी जा रहा है कि क्या सरकार यूनिवर्सिटीज के लिये अछूत है या नहीं है? उधर से सवाल उठा है कि सरकार यूनिवर्सिटीज के लिये अछूत या अनटचेबिल है। सरकार से शिकायत की जाती है कि यूनिवर्सिटीज ग़लत काम करती हैं, तब मान लीजिये फाइनेंस का सवाल आये और अगर उसके लिये सरकार कोई नुमाइन्दा रखना जरूरी समझती है जैसा कि इस विधेयक द्वारा आगरा यूनिवर्सिटी के फाइनेंसज कमेटी का एक आवश्यक अंग है तो वह बात आप को आब्जेक्शनेबिल हो जाती है। मैं समझता हूं कि इस तरह से इस बिल को पास करने पर तो सरकार का जो आदमी वहां होगा उसको विश्वविद्यालय की आर्थिक हालत का स्वयं का ज्ञान होगा और उसको यूनिवर्सिटीज के फाइनेंसेज को देखने का मौक़ा भी मिलेगा और वह सरकार को उस सिलसिले

में मशविरा देने में सचेष्ट भी रहेगा और उसके फाइनेंसेज के बारे में ज्ञान कराता रहेगा और फिर जो आज फाइनेंशल एड के लिये बारबार सरकार के पास मसविदा पेश करती है यूनिवर्सिटी, उस दौड़ भाग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरह देखें तो स्पष्ट है कि इसमें सरकार की नीयत साफ है और वह है कि हमें हर क़दम पर विश्वविद्यालयों की आर्थिक ढांचे की जानकारी रहे। आज हमारे यूनिवर्सिटियों को धन का अभाव तो है ही और अगर ऐसी बात है तो मैं समझता हूं कि सरकार का वहां पर क़दम रखना कोई ग़लत नहीं है।

अब रहा, एकेडेमिक और ऐडमिनिस्ट्रेटिव अटानामी का प्रश्न। इस नाम पर बहुत सारी बातें की गईं और कुछ इशारे से कहा गया कि जो लोग सरकार से नामजद जायेंगे वे शायद ऐसे भी होंगे जो शिक्षा से संबंधित न हों। पर सरकारी जो नामिनीज रक्खे गये हैं, वह है, डाइरेक्टर आफ पब्लिक एजूकेशन, प्रिन्सिपल आफ दि आगरा मेडिकल कालेज और तीसरे प्रिन्सिपल ऐग्रीकल्चरल कालेज, कानपुर। जिस आदमी के हाथ में आपने सारे प्रदेश के इंटरमीडियेट तक की शिक्षा का पूरा तथा तत्संबंधी सभी काम सौंपा है अगर उसी आदमी के यूनिवर्सिटी की इक्जीक्यूटिव कौंसिल में बैठने से हम दुःखी होते हैं या घबराते हैं या यह कहते हैं कि वह आदमी अपनी मुनासिब नहीं है तो यह दलील ठीक नहीं मालूम होती। तो यह भी न्यायसंगत नहीं मालूम होता है कि मेडिकल कालेज के प्रिन्सिपल या कानपुर ऐग्रीकलचर कालेज के प्रिन्सिपल जैसे टेक्नीकली वैल इक्विप्ड लोग वहां उचित सिद्ध न होंगें। जब कभी आगरा यूनिवर्सिटी को टेक्नीकल राय की जरूरत पड़े भी तो स्पष्ट है कि वह उनको मिल सकेगी बिना किसी दिक्कत के। एक बात पर मैं अवश्य कहना चाहता हूं कहा गया है कि इस विधेयक में बहुत सारी बातें ऐसी छूट गयी हैं जो शिड्यूल के रूप में नहीं आयी हैं। जैसा कि नारायण दत्त जी तिवारी समझते थे कि वह आनी चाहिये थीं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने उनका रूप अपने हाथ में नहीं रक्खा है। एक्जिक्यूटिव कौंसिल का राइट है स्टैचूट आर्डिनेंन्स बनाने का, रेगुलेशन बनाने का। यह कार्य उनके अधिकार क्षेत्र में ही दिया गया है। उस एक्जिक्यूटिव कौंसिल में १९ आदमी होंगे और उसमें जो सरकार की तरफ से भी जो नुमायन्दे रहेंगे वह डिक्लेयर्ड एजुकेशनिस्ट ही होंगे जो शिक्षा पद्धति से पूरी जानकारी रखते हैं। तब वह शिक्षा संबंधी उन कार्यों में अपना पूरा सहयोग दे सकेंगे। अतः यह दलील भी विश्वविद्यालयों की आटोनामी के लिये लाभप्रद नहीं है।

जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो एक धारा में रिलीजस स्टेडी की बात भी उठाई गयी है इसके द्वारा उन सभी कालेजेज में जो एफिलियेटेड हैं वहां रिलीजस स्टडी भी चला सकते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि यह विचार करने की बात है। हमारे देश में जगह जगह पर बहुत सारी मिशनरी संस्थायें हैं जो यह काम करती हैं। उन संस्थाओं ने धार्मिक प्रवृत्ति को लेकर जो ग़लत काम किये हैं वह सब जानते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह अवश्य निवेदन करूंगा कि इस रिलीजस शिक्षा शब्द को हटा कर उसकी जगह 'स्प्रिचुअल एजूकेशन' शब्द रख दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा और इस तरह हमारे बहुत से उन लोगों का सहयोग भी हमें मिलेगा जो यह समझते हैं कि नैतिकता के विषय संबंधी बातें शिक्षा की प्रणाली में होना आवश्यक ही है।

मैं एक बात इस विधेयक के संबंध में यह भी कहना चाहता हूं कि यह जगह-जगह आपत्ति उठायी गयी कि इस बिल के अन्दर न तो विद्यार्थियों के जीवन के संबंध में बातें कही गयी हैं, न अध्यापकों के वेतन के संबंध में और न उनके भत्ते के संबंध में। जहां तक विद्यार्थियों का ताल्लुक़ है। विद्यार्थी कैसे यूनियन में होंगे और अगर उस यूनियन तथा विद्यार्थियों के सहयोग को लेने के क्या तरीक़े होंगे इस बात को भी यह सदन तय करेगा तो मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय की एक्जिक्यूटिव कौंसिल के काम में जिसको यूनिवर्सिटी का काम चलाना है दिक्क़त हो जायगी। इसलिये एक्जीक्यूटिव कौंसिल और दूसरी अथारिटीज को इस विधेयक में पूर्णतया यह हक़ दिया गया है कि उनको अपने वह नियम बनाने का अधिकार है जिनसे विद्यार्थियों से कितना कार्य लेना है और उनका क्या सहयोग लेना है और कितना और कैसा कार्य उन विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी के लिये करना है। यह सभी सवाल हल करने का ढंग निकालना है। तो यह बात

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना]

यूनिवर्सिटी के ऊपर छोड़ कर सरकार ने विश्वविद्यालय को आटोनामी दे रक्खी है । सन् १९४५–४६ में जब मैं भी प्रयाग में स्टूडेंट था और नारायण दत्त जी भी वैसे ही थे तो हम लोगों की ओर से भी इस तरह की बात कही गयी थी कि वाइस-चांसलर का चुनाव विद्यार्थियों के जरिये से होना चाहिये । लेकिन जो संसार भरमें चालू तरीका है वह यही है कि सर्वत्र यूनिवर्सिटीज का वह पद शिक्षा के धुरन्धर लोगों के हाथ में ही रहना चाहिये और रहता है और हर जनसाधारण को उसका चुनाव नहीं करना है बल्कि चन्द आदमियों अर्थात् विशेषज्ञों को ही उसके चुनाव में अपनी क़लम उठानी है । जहां तक इसका संबंध है कि स्टूडेंट की हालत क्या रहेगी यह तो आख़िरी बात है जो कि एक्जिक्यूटिव कौंसिल, वाइस-चांसलर और स्टुडेंट के बीच में ही तय होना चाहिये और वह बात समय समय पर बदलती भी चली जायगी ।

एक सवाल और उठाया गया वह है टीचरों के वेतन का और भत्ते का । मैं यह समझता हूं कि इस सवाल पर आगरा यूनिवर्सिटी के लिये कोई अलग से बिल लाकर बांधना मुनासिब नहीं है इस लिए कि प्रान्त के अन्दर जितने भी अन्य विश्वविद्यालय हैं और उन विश्वविद्यालयों में जितने भी अध्यापक हैं उन सभी अध्यापकों के वेतन की दर निश्चित की जाय और भत्ता भी निश्चित किया जाय और सब के लिये कोई स्टैंडर्डाइज्ड फार्म हो तो बेहतर होगा। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इस बिल के संबंध में आगरा यूनिवर्सिटी के अध्यापकों के ही संबंध में या उससे ऐफिलियेटेड कालेजेज के अध्यापकों के संबंध में वेतन की दर इस समय नियत नहीं कर सकते हैं लेकिन जो अलग चीज होगी उसको जल्द से जल्द करने की जरूरत है जो सब विश्वविद्यालय के लिये बराबर लागू की जा सके । इस सवाल को श्री नारायण दत्त जी ने उठाया और दूसरे लोगों ने भी उठाया और कहा कि यह डर है कि अगर गवर्नमेंट का प्रभाव विश्वविद्यालयों में पड़ा तो उससे बहुत सी बुराइयां आ सकती हैं और वह एक बुरी बात होगी और जिसका मुक़ाबला वे न केवल जनता से बल्कि एजूकेशनिस्ट्स से भी करायेंगे । मैं समझता हूं कि इस प्रान्त के ऐजूकेशनीस्ट्स ने अपने विचार अब तक बैठाई हुई सरकारी भिन्न-भिन्न कमेटियों के सामने दिये हैं और उनकी जो मुख्य-मुख्य बातें हैं वह सरकार और सेलेक्ट कमेटी के सामने रहेंगी । इसलिये जब यह बिल सेलेक्ट कमेटी के सामने आख़िरी रूप में आये उस वक्त जिसको उसके सामने विचार रखने हों वह रखें लेकिन आज जैसा यह बिल है उनमें आटोनामी का सिद्धांत ख़त्म नहीं हो रहा है और उसका कोई हनन भी नहीं हो रहा है, वह एक भ्रम मात्र है और उसको जितनी जल्दी दूर किया जा सके उतना ही अच्छा है और उतना ही सब का मंगल होगा क्योंकि जब हम स्वयं भ्रम में रहेंगे तो ऐसे लोगों को भी मौका मिलता है जो ऐसी चीजों को लेकर आड़ बनाते हैं और जो अलग अलग स्वार्थों के लिये इन संस्थाओं में आज बोझा बन कर बैठे हैं । मुझे विश्वास है कि हम सब मिल कर आगरा यूनिवर्सिटी के अन्दर से इस नये प्रयास द्वारा काफ़ी मात्रा में बुराइयों को दूर करने में सफल होंगे ।

२७ अगस्त, १९५३ को ११ बजे के बजाय १० बजे से बैठक करने का प्रस्ताव

श्री राम नरेश शुक्ल (ज़िला प्रतापगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कल सदन की बैठक ११ बजे के स्थान पर १० बजे से आरम्भ हो और आगरा यूनिवर्सिटी बिल पर वादविवाद १२ बजे तक चलता रहे क्योंकि यहां से समाप्त होने के बाद इस बिल को कौंसिल में जाना है जिससे वह वहां से २८ को फिर यहां आ सके ।

श्री अध्यक्ष---इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (ज़िला फैज़ाबाद)---कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---तो क्या मैं यह समझूं कि सदन की राय है कि कल १० बजे से सदन बैठे और इस विधेयक पर १२ बजे तक वादविवाद हो कर वह ख़त्म हो जाय और यह भी मंजूर है कि सवालात के लिये समय न दिया जायगा और क्वेश्चन आवर नहीं होगा ?

श्री राम नारायण त्रिपाठी--क्वश्चन आवर होने में क्या रुकावट है वह होना तो आवश्यक है। २ घंटे इस पर बहस होने के बाद १२ के बाद क्वेश्चन आवर हो सकता है।

श्री अध्यक्ष--अगर आप चाहते ही हैं तो वह होगा तो पहले ही होगा और अगर थोड़े से क्वेश्चन्स होंगे तो १५ मिनट में खत्म भी हो जायंगे, तो यह रहा कि क्वेश्चन भी होंगे और क्वेश्चन आवर भी उसी समय में शामिल होगा।

आगरा यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक, १९५३ (क्रमागत)

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--अध्यक्ष महोदय, बहुत गहराई से विरोधी पार्टी के नेता साहब के व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुना लेकिन आप की बातों का जवाब देने से पहले, मैं अपने माननीय शिक्षा मन्त्री जी को धन्यबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा सुन्दर बिल पेश किया है। उन्होंने इस विभाग का चार्ज लेते हुए सब से पहला काम यह किया कि पहले जो हर साल किताबें बदली जाती थीं, उस तरीके को खत्म किया, जिस से विद्यार्थियों को पचासों लाख रुपयों की बचत हुई। उससे हमें बड़ी खुशी हुई और उन्होंने दूसरा कदम यह उठाया है जिससे शिक्षा की उन्नति में काफी सहायता मिलेगी, इस के लिए तहेदिल से आप का शुक्रिया अदा करने के बाद मैं अपने लरनेड मित्र, माननीय श्री नारायण दत्त जी की भी तारीफ करता हूं, कि उन्होंने जिस तरह से पढ़ने, मनन करने, तैयारी करने में और अपना फर्ज अदा करने में काफी मेहनत की है और तैयारी की है और जिस खूबी और लियाकत से उन्होंने अपने केस को यहां पर रखा है उसको सुनकर बड़ी खुशी हुई और उनके तर्क को सुनकर दिल को प्रसन्नता हुई। हमें मेजारिटी पार्टी वालों को विरोधी पार्टी की बातें ध्यान से सुनना चाहिए। गौर करना चाहिए, और अगर मुमकिन हो तो उनको मान भी लेना चाहिए क्योंकि बड़े की उदारता ही बड़प्पन है। वरना हमारे पास वोट ज्यादा हैं। कोई बात आये। उसे आसानी से हरा भी सकते हैं। मगर वह बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज यह है कि उधर वोट कम हैं, लेकिन अगर बात रीजनेबिल है तो हम मान जायं।

लेकिन एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि यह बात पुरानी हो गयी जब कि लम्बी तकरीरों की तारीफ हुआ करती थी, फलां साहब एक दिन बोले, अमुक नेता दो दिन, मिस्टर फलां तीन दिन बोले, अतः बहुत उत्तम भाषण था, वह जमाना बदल गया है। अब उस स्पीच की तारीफ होती है जिसमें थोड़े समय में ज्यादा बातें कही जायं। श्रोता जिसको सुनें। वक्ता वह वक्ता नहीं है कि जिस वक्त बोल रहा है उस वक्त लोग आपस में बातें कर रहे हों।

आपकी लम्बी स्पीच का लुबोलबाब सिर्फ यह है कि सरकार के हाथ में शक्ति जा रही है। यह अच्छा नहीं है। इसमें कोई शक शुबहा नहीं कि अनुशासन कायम रहना चाहिए लेकिन विद्यार्थियों की आजादी और विश्वविद्यालयों की स्वतन्त्रता भी कायम रहनी चाहिए। इस लिए उनकी राय में बिल में दो दोष हैं। लिहाजा जनमत संग्रह को भेज दिया जाय। उन्होंने यह भी फरमाया था कि धार्मिकता इसमें कैसे आ गयी। आप धार्मिक शिक्षा पर चौंके। इन लफ्जों में पोशीदा मेरी बहस की कहानी है।" लुबोलवाब स्पीच का यही है। मेरी प्रार्थना यह है कि आप विरोधी पार्टी में हैं। आप चाहेंगे कि सरकार को अख्तियार कम आये। मुझे कोई शिकायत नहीं। मगर मुश्किल यह है कि अगर बात मान ली जाती है तो मुल्क का नुकसान होता है। यह दिक्कत पड़ती है। आप का जो व्याख्यान हुआ, वह कालेज की भलाई और बच्चों की भलाई से ज्यादा इस दृष्टि से हुआ कि हमारी पार्टी की ताकत कैसे बढ़े, हम कल पावर में कैसे आ जायं। देहाती मसला है, "होय तेली, लेई सरसों, खोजत बा भैली।" मैं अर्ज करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि अनुशासन कायम रहे, आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटियों में हड़तालें हो रही हैं, पिकेटिंग होती हैं, भूख हड़तालें होती हैं। कैसे होती हैं, क्यों होती हैं? उसका कारण इस लाल टोपी का प्रभाव है। वहां ट्रेनिंग होती है। क्लास लगता है। प्रोपैगेन्डा होता है। अध्यक्ष महोदय, विरोधी वृन्द का आजकल प्रोग्राम है विद्यार्थियों, मजदूरों

[श्री सीताराम शुक्ल]

और किसानों के पास जाओ, प्रोफेसर्स के पास जाना पसन्द नहीं करते। वहां जायं, तो अगर मगर हो जाय। वकीलों के पास जायं, तो बहस हो जाय। मगर जहां पर भोलापन है, और बुद्धि परिपक्व नहीं है वहां जाते हैं। एक भाषण दिया और उन्होंने कहा हां, ठीक है। विद्यार्थी वृन्द का एक तरफ तो सवाल यह है कि हमारे काम में दखल न दो, मगर दूसरी तरफ यह भी कहते हैं यूनियन का जबरन चन्दा वसूल कर दो। अब अगर हमारे मन्त्री महोदय कन्ट्रोल करने के लिए अपने हाथ में शक्ति लेना चाहते हैं तो क्या बुरा करते हैं। हमारे दोस्त जानते हैं कि हम मुखालिफत करके इस बिल को फेल नहीं करा सकते। इस लिए होशियारी के साथ कह देते हैं कि प्रवर समिति में न जाय बल्कि जनमत जानने के लिए भेजा जाय। तात्पर्य यह है कि यदि फेल नहीं करा सकते तो विलम्ब ही करें। जनमत जानना कोई बुरी चीज नहीं है। मगर तब भेजा जाय जब उसमें कोई डाउट हो थोड़े से मेम्बर विरोधी पार्टी में हैं। ज्यादा मेम्बर कांग्रेस में हैं। उनके सामने गौर हुआ। मैंने कल पार्टी में कहा था। कि जनाब वाला,

"वह दुनिया थी जहां तुम बन्द करते थे, जबां मेरी,
यह महशर है यहां सुननी पड़ेगी दास्तां मेरी।"

गरज यह कि वहां विस्तारपूर्वक विचार किया गया, यहां भी हाउस के बहुत ज्यादा मेम्बर इत्तिफाक करते हैं कि इसको पास करना चाहिए, यदि विरोधियों की संख्या एक तिहाई होती तब तो यह सवाल पैदा होता कि जनमत जानने के लिए भेजा जाय या नहीं। लेकिन जब हम जोकि जनता के चुने हुए लोग हैं, जनता के विचारों को जानते हैं, और समझते हैं कि वह इसे पसन्द करती है फिर भी जनमत जानने के लिए भेजना कहां की बुद्धिमानी है ?

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--बिल पर भी जरा रोशनी डालिए।

श्री सीताराम शुक्ल--जरा लाउड स्पीकर से बोलिए। आवाज नहीं सुनाई पड़ी।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य आपस में बात न करें, मुझसे सम्बोधन करें।

श्री सीताराम शुक्ल--अच्छा महाराज, बड़ी मेहरबानी हुई। मैं यह अर्ज करता हूं कि कोशिश यह हो रही है कि जरा देरी लगे। वह लड़के जो आजादी के लिए अपनी जान पर खेल गये, अपने खून से जिन्होंने जमीन को रंगा, वही लड़के, जिनमें मन्त्री साहबान और मेम्बर साहबान के भी बच्चे शामिल हैं। क्या हमारी कभी यह कोशिश होगी कि उनकी तरक्की न हो, उनका उत्थान न हो ? क्या मंत्रियों को उन बच्चों से दुश्मनी है, उन बच्चों से जिन्होंने आजादी दिलाने के लिए अपने खून से जमीन को रंगा। क्या उनको उन बच्चों से कम मुहब्बत है। हम उनकी तरक्की और उत्थान चाहते हैं किन्तु उसके लिए जरूरी है कि यूनिवर्सिटी का अख्तियार गवर्नमेंट के हाथ में हो। गवर्नमेंट पब्लिक की है। विदेशी सरकार अगर होती तो उसके हाथ में शक्ति जाने की मैं आप से ज्यादा मुखालिफत करता। अगर अंग्रेज राज होता तो मैं कहता कि कम से कम उसको अख्तियार दिया जाय, क्योंकि खजाना दुश्मन के हाथ में बुरी चीज है मगर हमारे हाथ में है, अथवा हमारे मित्र के हाथ में है तो बहुत अच्छी चीज है। यह तो अपनी सरकार है, उन्हीं किसानों की चुनी हुई गवर्नमेंट है, उन्हीं मजदूरों की चुनी हुई गवर्नमेंट है। उनके हाथ में शक्ति आने में कोई हर्ज नहीं है। किसी गैर के हाथ में शक्ति नहीं जाती। इसके अतिरिक्त कहा गया है कि युनिवर्सिटी से वाइस-चांसलर के लिए तीन नाम आयेंगे। जो उपयुक्त होगा वही नाम रखा जायगा। उसमें अमेंडमेंट का भी अधिकार है और यूनिवर्सिटी की राय भी ली जायगी। तो यह तो अच्छी चीज है।

इसके बाद फरमाया बड़े जोरदार शब्दों में कि धार्मिक चीजों को नहीं आना चाहिए। अफसोस है, यह विदेशी शिक्षा का प्रभाव है। अगर देशी शिक्षा का अध्ययन किया होता तो ऐसी बात कभी न कहते। धार्मिकता से राजनीति का कहीं कलेश नहीं होता। राजनीति में तो धर्म सहायक होता है, अड़ंगा नहीं डालता। हां, धर्म का अर्थ समझने वाले गलती कर सकते हैं, लेकिन अगर वह ठीक धर्म का अर्थ समझते हैं, तो गलती नहीं होती। माननीय मौलना आजाद कट्टर मुसलमान हैं, पांचों वक्त नमाज पढ़ते हैं, महात्मा गांधी कट्टर हिन्दू थे, माननीय पन्त जी कट्टर हिन्दू हैं, किन्तु एक साथ मिलकर काम करते हैं और करते हैं तो फिर याद रखिए कि धर्म कहीं बाधक नहीं होता है, सहायक होता है, सहायता प्रदान करता है। और एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि धर्म की मुखालफत करना बहुत आसान है, लेकिन जब जरमनी से लड़ाई हो गयी और घमासान का युद्ध हुआ तो रूस में भी प्रार्थना और नमाज होने लगी थी कि हे भगवान् हमको बचाओ, बचाओ। मेरे कहने का मतलब यह है कि धर्म से बाधा नहीं पहुंचती :—

धृतिक्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकंधर्मलक्षणम्॥

धर्म का लक्षण यह है, क्षमा करना, दया, चोरी न करना, सफाई, इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना।

श्री अध्यक्ष—माननीय शुक्ल जी कुछ और समय लेना चाहते हैं?

श्री सीताराम शुक्ल—जी हां।

श्री अध्यक्ष—तो कल आप अपना भाषण जारी रखें। अब पांच बजे के बाद का कार्य आरम्भ होगा।

श्री दलभृंगार दुबे पर आक्रमण के सम्बन्ध में श्री रामनारायण त्रिपाठी द्वारा १० अगस्त, १९५३ को पूछे गये प्रश्नों के विषय पर वाद-विवाद

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)—मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आइटम नम्बर ९ और १० जो अल्प सूचित प्रश्नों के बारे में हैं, उनमें ९ नम्बर को अगले शुक्रवार को ले लिया जाय और नम्बर १० को आज ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है।

गृह मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी नहीं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—तो आप १० नम्बर को ले लीजिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, जिस प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में वाद-विवाद हो रहा है, वह गाजीपुर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मन्त्री श्री दलभृंगार दुबे से सम्बन्ध रखता है। दल भृंगार दुबेजी को २८ जुलाई, की शाम को सआदत स्टेशन के करीब . . .

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय गृह मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह अदालत के सिपुर्द कार्यवाही तो नहीं है, सबजुडिस मामला तो नहीं है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, सबजुडिस नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—इस सम्बन्ध में पत्रों में भी काफी प्रकाश हो चुका है। गवर्नमेंट की तरफ से वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बयान में और माननीय गृह मन्त्री के बयान में दो बातों पर ज्यादा जोर दिया जाता है—शतानन्द सोत्री नामक एक आदमी ने जिस

[श्री रामनारायण] ठीपा

समय उस मामले की रिपोर्ट लिखवाई उस समय उसने पुलिस कर्मचारियों का कोई जिक्र नहीं किया था। दूसरी बात यह थी कि दल शृंगार दुबे के साथ सिद्धेश्वर राय नाम के एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उन्होंने जो अपना टेलीग्राम दिया, उसमें पुलिस वालों का नाम नहीं था। तो ऐसी सूरत में यह कहना कि पुलिस वालों का उसमें हाथ था, यह गलत बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं बता देना चाहता हूं कि शतानन्द सोत्री नाम का जो व्यक्ति था वह असल में पुलिस वालों का दलाल था। उसने इस बात की कोशिश की कि इसमें पुलिस वालों के ऊपर कुछ न आये और घटना इस प्रकार से है कि शतानन्द सोत्री ने ही उन बदमाशों से कहा कि दुबे जी इस समय यहां हैं। तो उसके फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट लिखाने से कोई केस बनता नहीं। अब रहा यह कि सिद्धेश्वर राय जी ने अपने टेलीग्राम में सब इन्स्पेक्टर पुलिस का जिक्र क्यों नहीं किया। तो सिद्धेश्वर राय जी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वह गाजीपुर के तमाम सब इन्स्पेक्टर्स पुलिस को पहचानते हों। वह एक अच्छे वकील हैं और वकालत का पेशा करते हैं। उन्हें इसकी पहचान कैसे हो सकती थी। दुबे जी को काफी वाकफियत थी इसलिए कि वे काफी दिनों से गाजीपुर की पुलिस के आदमियों के खिलाफ एक जेहाद बोले हुए थे। जिस समय यह घटना हुई थी, उस समय भी वह ऐसे कई कार्यों में हाथ लगाये हुए थे। अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकारी तो होगी कि एक मर्तबा कुछ प्रतिष्ठित लोग गाजीपुर के एस० पी० से मिल रहे थे, तो एस० पी० ने उनसे कहा कि अगर आप लोग श्री दलशृंगार दुबे जी मुंह नहीं बन्द करते हैं तो मैं उनका मुंह बन्द कर देने की कोशिश करूंगा। तो ऐसी सूरत में यह हमला होता है और हमारा शक है कि तीन पुलिस इन्स्पेक्टर भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि उनमें से दो सब इन्स्पेक्टर्स के खिलाफ तो दुबे जी ने अदालत में मुकदमा भी दाखिल करा रखा है। ९ जून को जब कि मौजूदा थानेदार एक दूसरे थाने में थे तो वहां एक सभा में दुबे जी का भाषण था। उस समय सब इन्स्पेक्टर साहब मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में दो तीन गुन्डे बराबर दुबे जी की सभा में कनस्टर बजाते रहे। लेकिन दुबे जी भी अड़ गये और रात को ९ बजे उनका भाषण खत्म हुआ। तो इसके पीछे एक बैकग्राउण्ड था। माननीय गृह मन्त्री जी ने उस दिन कहा था कि हम एक गजेटेड अफसर से इसकी इन्क्वायरी करा रहे हैं। गजेटेड अफसर वह जहां तक मेरी जानकारी है, वह डी० वाई० एस० पी० था। तो शतानन्द की एफ० आई० आर० से लेकर देखा जाय और जब कि एस० पी० ने ऐसा कहा था तो ऐसी परिस्थिति में हमें इस बात का पूरा अन्देशा है कि जिले के जो अधिकारी हैं उन्होंने इन तीनों सब इन्स्पेक्टर्स को शील्ड किया है। तो अध्यक्ष महोदय, प्रान्तीय सरकार ने इस घटना को मामूली समझकर लिया। अध्यक्ष महोदय, यह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मन्त्री के ऊपर हमले की बात नहीं है, अगर ऐसा ही होता रहा और सरकार पुलिस अधिकारियों को प्रोत्साहन देती रही, तो कांग्रेस कार्यकर्त्ता की भी पारी आ सकती है और ऐसे केसेज हैं। १०९ में आपको याद होगा कि एक माननीय सदस्य इसी विधान सभा के हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिसकी कि घोषणा हुई थी। तो अगर इस तरह से पुलिस का आगे रवैया रहा और ऐसे कर्मठ और योग्य मन्त्री जी के जमाने में तो मुझे बड़ा ताज्जुब है। कम से कम ऐसे मामले में जुडिशल इन्क्वायरी होनी चाहिए थी और अगर जुडिशल इन्क्वायरी नहीं हुई, तो कम से कम ऐसे आदमियों से इन्क्वायरी करानी चाहिए थी जो कि एस० पी० और जिले के अधिकारियों के मातहत में न हों।

प्रान्तीय स्तर के किसी अधिकारी से इन्क्वायरी होनी चाहिए, लेकिन वह बातें नहीं हुईं। अध्यक्ष महोदय, हमें बड़ा दुख है कि इस तरह से सरकार ऐसी घटनाओं पर पर्दा डालती है और माननीय गृह मन्त्री जी, जिन पर हमें बड़ी श्रद्धा है, इस तरह से उपेक्षा कर जाते हैं। आज एक डी० वाई० एस० पी० इन्क्वायरी कर रहे हैं, और इसके बावजूद भी वह थानेदार अपनी जगह पर मौजूद है। हमें इस बात की पूरी जानकारी है कि उन बदमाशों में से जो लोग अपना बयान देना चाहते हैं, वे आगे नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उनको डराया जाता है। इस बात को माननीय गृह मन्त्री जी कैसे जस्टिफाइड समझते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, जो घटना है वह तो निर्विवाद है। यह सही है कि २८ तारीख को कुछ लोगों ने श्री दल श्रृंगार दुबे पर आक्रमण किया, उनको चोट आयी, और इस प्रकार की चोट आयी कि उनको अस्पताल जाना पड़ा, यह तो निर्विवाद बात है। खाली बहस इस बात की है कि लोग कौन थे जिन्होंने उनके ऊपर आक्रमण किया, जो आक्रमणकारी हैं, उनका पता लगना चाहिए, और उनको दण्ड मिलना चाहिए, इस सम्बन्ध में भी कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं। अभी माननीय श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने कहा कि हम इस बात पर बार-बार जोर देते हैं कि जो फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट लिखायी गयी, शतानन्द श्रोत्रीय ने जो लिखायी, उसमें किसी का नाम नहीं दिया गया, और उनका कहना यह है कि वे पुलिस के एजेंट थे, उन्होंने ही लोगों को उकसाया कि तुम लोग उनके ऊपर आक्रमण करो। इसका कोई प्रमाण तो है नहीं कि उन्होंने ही लोगों को उकसाया बल्कि एक दूसरा प्रमाण यह हमारे पास है कि सादियाबाद स्टेशन के स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और सारे स्टाफ का एक लिखित बयान है। उस लिखित बयान में उन्होंने यह कहा है कि स्टेशन पर जब दुबे जी लाये गये तो उन्होंने खुद शतानन्द से कहा कि तुम जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवा दो। अगर वे विश्वास के लायक आदमी नहीं थे, तो दुबे जी ने क्यों उनसे कहा कि तुम जाकर रिपोर्ट लिखवा दो। जब हमारे पास उनका दस्तखती बयान मौजूद है तो कोई वजह नहीं है कि हम इस बात को मान लें कि वे सब लोग झूठ बोलते हैं।

जहां तक सिद्धेश्वर राय जी के टेलीग्राम की बात है मैं इस बात को मानता हूं कि इस बात की आशा नहीं की जाती कि गाजीपुर जिले में जितने थानेदार हैं उनको वे पहचानते होंगे। लेकिन जहां तक सिद्धेश्वर राय जी की बात है, वे इस सदन के सदस्य रह चुके हैं, और वे जो कुछ भी कहें, उसका हमें पूरा-पूरा विश्वास है कि वे किसी हालत में कोई गलत बयान नहीं करेंगे। अगर उन्होंने किसी आदमी का नाम नहीं बतलाया तो उसका मुख्य कारण यह है और मुझे इस बात का विश्वास है कि अगर माननीय रामनारायण जी पता लगाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें मालूम हो जायगा कि अगर सिद्धेश्वर जी ने किसी का नाम नहीं बतलाया तो उसका कारण यह है कि वे किसी का नाम नहीं जानते थे। तो यह बात यहां खत्म हो जाती है।

अब जो तीन थानेदारों का सवाल आता है, उसमें खाली एक चीज है कि श्री दल श्रृंगार दुबे ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने तीन पुलिस अफसरों का नाम लिया। उन पर जो आक्रमण हुआ, वह एक आध घंटे में खत्म हुआ और दुबे जी के शिर में चोट आयी, ऐसी हालत में कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि जिस आदमी के ऊपर इस तरह से लाठी चल रही हो, जिसके शिर में चोट आयी हो, उससे पहचानने में गलती हो जाय। इसके सिवा मैं और क्या कह सकता हूं जब तक कोई और प्रूफ न मिल जाय।

इस मामले की जांच के लिए मैंने एक गजेटेड आफिसर, डी० वाई० एस० पी० को मुकर्रर किया। यह कह देना कि गाजीपुर की पुलिस में कोई भी आफिसर विश्वास के लायक नहीं है और सब को हटा देना चाहिए, इससे तो कहीं का भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकता है। महज इस वास्ते कि कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि दुबे जी की पुलिस से पटती नहीं थी, इस वजह से पुलिस उनसे खिलाफ हो गयी थी और सारी पुलिस को वहां से बदल देना चाहिए, इस से तो काम नहीं चल सकता है। गाजीपुर के एक वकील साहब का मेरे पास एक टेलीग्राम आया कि वहां का पूरा पुलिस ऐडमिनिस्ट्रेशन बदल दिया जाय नहीं तो वहां गड़बड़ हो जायगा। आज सवेरे इसी सदन में माधव शाही के मर्डर का किस्सा आया। अगर वहां से डिमांड आती कि हमारा देवरिया जिले की पुलिस पर भरोसा नहीं है, सारी पुलिस बदल दी जाय, तो ऐसा करना सम्भव नहीं है। इस तरह से अगर कोई घटना हो जाय, और जो लोग उसमें सम्मिलित हों, उनका सम्बन्ध किसी पोलिटिकल पार्टी से हो और वह पोलिटिकल पार्टी यह कहे कि हम को पुलिस पर विश्वास नहीं है और सारी पुलिस बदल दी जाय, तो फिर ऐडमिनिस्ट्रेशन चलना असम्भव हो जायगा।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

मैं इस बात की वकालत नहीं करता कि हमारी पुलिस गलती नहीं करती। जहां तक हमको पता लगता है हम पकड़ते हैं लेकिन ख्वाहमख्वाह जब तक कि किसी किस्म का कोई प्रमाण न हो, यह कहना कि पुलिस जो जांच करती है, वह सब गलत होती है, इसको मान लेने का कोई कारण नहीं है। इन्सीडेंटली मैं जिक्र करूं जैसा कि त्रिपाठी जी ने जिक्र किया कि किसी एम० एल० ए० साहब के ऊपर १०९ में मुकदमा चला दिया गया था। वह मुकदमा सी० पी० सी० के मातहत नहीं था, बल्कि आई० पी० सी० में था, महज किसी क्राइम का अबेटमेंट। बहर-हाल चूंकि बहुत ज्यादा वर्णन तो किया नहीं गया, इस लिए मैं इसमें ज्यादा नहीं जाता। मैं एक ही बात कह सकता हूं कि हमने जांच कराने की कोशिश की लेकिन हमको किसी खास जिम्मेदार आदमी से मदद नहीं मिली। इस वजह से क्योंकि लोगों ने किसी को पहचाना नहीं और कोई स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं हैं। इसमें केवल एक आधार है जो कि दुबे जी का बयान है, उसमें तीन आदमियों के नाम हैं। उनकी बाबत मैंने जांच कराने की कोशिश की। लेकिन जब तक कि कोई प्रूफ न मिल जाय और पता न लग जाय तब तक हम किसी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। वैसे तो हम जांच करा ही रहे हैं, अगर कोई पता हो तो वह हमको दिया जाय तो हम फरदर जांच कराने के लिए तैयार हैं। किसी को शील्ड करने का हमारा ज़रा भी इरादा नहीं है।

श्री अध्यक्ष (श्री राजनारायण से)—क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—कुछ राय व्यक्त करना चाहता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने श्री राम नारायण त्रिपाठी जी की बात का जो उत्तर दिया उस सम्बन्ध में मुझे निवेदन यह करना है कि जहां तक श्री श्रोत्री जी की बात है, और जहां तक कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि स्टेशन मास्टर ने भी कुछ लिखित बयान दिये हैं उस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अभी-अभी ८ तारीख को एक घटना हुई। ८ तारीख को मैं आजमगढ़ स्टेशन पर था और वहां पर श्रीमन् एक पुलिस के आदमी ने मुझे बुलाया। पहले तो मुझे कुछ शक हुआ कि आखिर मुझे यह क्यों बुला रहा है, इस लिए मैं नहीं गया। लेकिन उसने जब फिर कहा कि सुन लीजिये तो फिर मैं गया। उसने कहा कि सादात में कुछ रेलवे तार कटे हुए हैं, जिसमें कि एस० पी० साहब आये हुए हैं, वे रेलवे पुलिस से कहते हैं कि तुम यह लिख दो कि एक्सीडेंट करने के लिए यह घटना की गयी है और वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के तीन मेम्बरों को कहते हैं। लेकिन रेलवे पुलिस के आफिसर जो कि इसकी जांच कर रहे हैं, इसके लिए इन्कार करते हैं और कहते हैं कि एक्सीडेंट करने की वजह से यह घटना नहीं की गयी है। तो मैं माननीय मन्त्री जी की खिदमत में जो वहां का रुख है, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं और चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी गवर्नमेंट के एक उच्च अफसर के सी० आई० डी० आफिसर को वहां पर भेजें, और जांच करायें, तो सारी घटनाओं का रहस्य खुल करके रहेगा और यह बात साबित हो करके रहेगी कि वहां की पुलिस के षडयन्त्र से ही दुबे जी पर आक्रमण हुआ है। श्रीमन्, इस घटना के होने के पांच दिन पहले श्री त्रिवेणी पांडे जो कि आगापुर सानी के रहने वाले हैं, उनसे श्री श्रोत्रीजी ने कहा कि जरा आप जाकरके दुबे जी से पूछिये और अगर दुबे जी की राय हो तो वेंकटेश राव को ठीक कर दिया जाय और उनको जान से मार डाला जाय। संम्भवतः वह दुबे जी के दिमाग का पता लगाना चाहते थे। श्री त्रिवेणी पांडे ने कहा कि हमारा काम नहीं है, तुम जो चाहो सो करो और न हम इतना घृणित काम करने के लिए सलाह ही दे सकते हैं। तो श्रीमन् मैं यह पूछना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी को ऐण्टी करप्शन कमेटी की मीटिंग में जो वर्तमान एस० पी० महोदय ने दुबे जी के सम्बन्ध में अपने जवाबात व्यक्त किये उसकी उन्हें इन्फार्मेशन और जानकारी नहीं है। जिन सिद्धेश्वर जी की बात के लिये माननीय मंत्री जी कहते हैं कि वह इस सदन के सदस्य रह चुके हैं और वे किसी भी दशा में झूठ नहीं बोलेंगे और मैं भी मानता हूं कि वे अन्त

तक भी झूठ बोलने के लिये तैयार नहीं होंगे मैं वहां मीटिंग में उपस्थित था जबकि डी० वाई० एस० पी० का आदमी आया था और उन्होंने कहा कि सिद्धेश्वर जी का बयान लेने के लिये डिप्टी साहेब आये हैं। सिद्धेश्वर जी ने कहा कि मैं यहां के डी० वाई० एस० पी० के सामने अपना बयान देना पसन्द नहीं करता जबकि उन्हीं के अफसर एस० पी० के खिलाफ दुबे जी ने आरोप लगाये हैं। मैं माननीय मंत्री जी को गाजीपुर की घटना की याद दिलाना चाहता हूं। उनके सामने करीमुद्दीन पुर का मामला था। इन्क्वायरी हुई।

श्री अध्यक्ष—दूसरा मामला मत लीजिये।

श्री राजनारायण—मैं यही दिखाना चाहता हूं कि वही एस० पी० किस तरह से वहां की दुर्घटनाओं में, किस तरह से उन्हीं की मातहती में ये तीनों दरोगा काम कर रहे हैं। करीमुद्दीनपुर के मामले में मैजिस्ट्रेट की इन्क्वायरी हुई और मामले को असत्य बताया गया मगर जब आग्रह किया गया और अच्छी तरह छानबीन हुई तो मामला ठीक पाया गया तो जब ऐंटी करप्शन की मीटिंग में एस० पी० सिद्धेश्वर जी से कहते हैं कि दुबे जी की जबान बहुत बढ़ती जा रही है, तो सिद्धेश्वर जी ने कहा कि आप लोग जब अपनी चोरी बन्द करेंगे तो दूबे जी की जबान बन्द होगी और अगर आपकी चोरी जारी रहेगी तो दुबे जी की जबान भी जारी रहेगी। तो सिद्धेश्वर जी की इस बात को क्यों नहीं माना जाता? सिद्धेश्वर जी इस समय उन लोगों के नाम तो नहीं जानते थे। वह कहते हैं कि उनके नामों की जानकारी नहीं थी। तो दिल को टटोल कर देखने से यह मालूम होगा कि बिना एस० पी० और इन दरोगाओं के षडयंत्र के यह काम नहीं किया जा सकता था। उसके लिये हमारे पास काफी प्रमाण है। मैं एक-एक करके अपन द्वारा माननीय मंत्री जी की खिदमत में पेश करना चाहता हूं। यही वेंकटेश्वर पर एक मुकद्दमा चल रहा है। उससे जब सुलह के लिये कहा गया तो उसने कहा कि दुबे जी से सलाह कर लो। उन्होंने दुबेजी से कहलवाया कि दुबे जी हमारे पीछे क्यों पड़े हुये हैं उनके भी पीछे पड़ा जा सकता है। यही वेन्केश राव जी हैं जबकि सियोराई के एक पासी का मामला है कि जमींदारी उन्मूलन पर जब उसका अर्ध्या लगान की सूरत में हो गया तो दरोगा जी ने कहा था कि तुम को अर्ध्या देना होगा जिस पर दुबे जी ने कहा था कि तुम्हारी कोई ताकत नहीं है कि तुम अर्ध्या इससे जमींदार को दिला सको तो क्या यह मामला वहां के डी० एम० के सामने नहीं गया था? माननीय मंत्री जी देखेंगे कि यह दरोगा दुबे जी के पीछे पड़ गये थे। गाजीपुर के एक-एक आदमी का यही कहना है कि तीनों दरोगाओं के षड़यंत्र से यह कांड हुआ है। २८ तारीख को जब मैं गोरखपुर से अपने केस के बाद २९ तारीख को बनारस गया तो दुबे जी का बयान हो चुका था। उस समय हमें यह बताया गया कि दुबे जी ने तीन दरोगाओं के नाम बताये हैं। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि तीन-तीन दरोगा एक साथ आकर कैसे मारेंगे। मगर जब मैं गहराई में गया तो मालूम हुआ कि यह सत्य था और मैं आपको प्रमाण पेश करने के लिये तैयार हूं कि यह बात सत्य होकर रहेगी कि इन दरोगाओं ने षडयंत्र किया है। क्या उस दिन यह मिश्रा साहब वहां नहीं गये हुये थे।

श्री अध्यक्ष—आप थोड़े से शब्दों में खत्म कर दीजिये।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं बहुत जल्दी ही खत्म करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि मिश्रा साहब सादात स्टेशन पर जिस ट्रेन से कि दुबे जी आये थे, उस वक्त वहां नहीं गये थे और थोड़ी ही दूर पर वेंकटेश राव वहां नहीं थे? अगर इन सब बातों का पता लगाया जाय तो यह सब बातें सही निकल कर रहेंगी और षडयंत्र साबित होकर रहेगा। वेंकटेश राव के ही हल्के में एक ऐसा गांव है जहां पर लठैत रहते हैं। वेंकटेश राव वहां गये थे और उन्होंने कहा था कि तुमको हमारे साथ चलना है यह बात श्रोत्री जी ने दुबे

[श्री राजनारायण]

जी से कही थी कि ३०–४० लठैत थाने के पास एकत्रित हैं। यह पूरी जानकारी उनको थी। मैं बनारस में आज प्रेस में बैठा था वहां श्रोत्रिय जी से जो बातचीत हुई, अगर माननीय मंत्री जी पता लगाना चाहें तो पता लग सकता है। इसके अतिरिक्त बनारस से एक अखबार 'बनारस' नाम का निकलता है उसमें इस बारे में कोई टीका टिप्पणी निकली थी। यदि माननीय मंत्री जी उसकी जानकारी चाहेंगे तो उनको सारी बातें पता चल जायेंगी। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि जो नीति माननीय मंत्री जी इस समय अपना रहे यदि वही नीति उनकी आगे रही तो दुबे जी क्या हम सब लोगों की बारी अवश्य आयेगी। बनारस में मिरजा मुरादाखान थाने में मीटिंग हुई और उसमें यह कहा गया कि जिस तरह से दुबे जी के साथ हुआ वैसा राजनारायण के साथ क्यों नहीं होता। माननीय मंत्री जी की जो नीति है उसके संबंध में मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह ठीक है वह अपनी पुलिस को न बदलें और उसको प्रोत्साहित करें, मगर आखिर यह तो देखना ही है कि किसी की जिन्दगी का सवाल होता है और जनतंत्र का सवाल है, न्याय की मांग पर मैं कहना चाहता हूं कि उनको कोई न कोई सख्त कार्यवाही करनी चाहिये और किसी न किसी उच्च सी० आई० डी० आफिसर को वहां भेजना चाहिये। दूबे जी का मारा जाना सत्य है, उनको जिन्दगी से मारने के लिये ही लोग वहां गये हुये थे। जिस तरह की चोटें उनको लगी हैं वे उनकी जान लेने के लिये ही थीं। इसके साथ मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस मामले की गहराई में जाने की कोशिश करें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी––क्या माननीय गृह मंत्री जी आज के वादविवाद के फलस्वरूप इन तीनों थानेदारों को और एस० पी० के बदलने के प्रश्न पर विचार करेंगे?

श्री अध्यक्ष––आप सवाल नहीं करेंगे बल्कि आप जवाब देंगे। मैंने आपको जवाब देने के लिये बुलाया था। मैं नियमानुसार आध घंटे में ही यह विवाद खत्म करना चाहूंगा और अभी माननीय मंत्री जी को जवाब देना है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)––अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। गाजीपुर में बावजूद इसके कि डी० वाई० एस० पी० के जिम्मे यह इंक्वायरी की गई है लेकिन अभी तक कोई भी अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हो सका है। देवरिया में २० आदमी माधोसाही के कत्ल के मामले में गिरफ्तार किये जा चुके हैं जिस प्रकार से देवरिया कांग्रेस कमेटी माधोसाही के मामले में जिनको फसाना चाहती है .....

श्री अध्यक्ष––आप तो प्रश्न कर रहे थे? गृह मंत्री जी इस प्रश्न का जवाब देकर बहस पर अपना जवाब देना शुरू कर दें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––अध्यक्ष महोदय, जहां तक श्री गेंदा सिंह जी के प्रश्न का सवाल है यह माधोसिंह का कांड अप्रैल के महीने में हुआ था इसको काफी अरसा बीत चुका है लेकिन यह चीज २८ जुलाई की है देखते रहिये कितनी सवेरे और कितने शामें बीतती हैं और क्या-क्या होता है? श्री राजनारायण जी बहुत सी बातें कहीं। कहीं किसी जगह पर स्टेशन पर जा रहे थे किसी अज्ञात नाम वाले पुलिस कांस्टेबिल ने उनके कान में कुछ कह दिया न उनको नाम मालूम, न पता मालूम और अगर मालूम है तो उन्होंने बतलाया नहीं। आंख खुलने के बाद क्या हुआ, स्वप्न में उन्होंने क्या देखा, तो स्वप्न का तो कोई बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने बहुत से पुराने किस्से बयान किये। बड़ी रोचक घटनायें हैं, उन पर गौर करना चाहिये। लेकिन उन सबों को प्रमाण रूप से माना जा सकता है, ऐसा तो मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। खासतौर से उन्होंने अपनी स्पीच में, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, उन तीनों पुलिस अफसरों का जिक्र भी कर दिया और उन्होंने एक तरह से कह भी दिया कि वे तीनों पुलिस आफिसर शामिल थे उस हमले में।

इसलिये मैं उस चीज का जिक्र करता हूं । जैसा कि मैंने पहले संकेत किया था कि हमारे पास तो इस वक्त जांच द्वारा जो कुछ प्राप्त हुआ है उससे मालूम होता है कि वे किसी तरह से भी शरीक नहीं थे । पहला जिक्र आया श्री वेंकटेश राव का । उनसे झगड़ा हुआ होगा दूबे जी का । उन्होंने कोई मुकद्दमा दायर किया होगा दूबे जी के खिलाफ और दूबेजी ने कोई उनके खिलाफ दायर किया होगा । जो कुछ भी हो, पुरानी दुश्मनी चली आती है, इससे कोई मतलब नहीं । सवाल तो उस जांच का है । उस जांच की रिपोर्ट हमारे पास यह है कि बिलहरी और तराव नाम के गांव में एक श्री शिव मूरत सिंह नाम के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के वर्कर थे उनके साथ एक जांच के सिलसिले में ? वहां से वह ७ बजे के करीब लौटे सईदपुर के थाने में बहुत देर से । इसके कई प्रमाण हैं । उसके बाद औड़िहार स्टेशन गये और उनके साथ श्री फारुखी सब-इंस्पेक्टर थे । इस बात का काफी सबूत है । इसलिये जिस वक्त मार पीट हुई उनके लिये फिजिकली असम्भव था वहां पर मौजूद रहना । दूसरे श्री ईश्वर दयाल ओझा जो सैदपुर के स्टेशन आफिसर थे उनकी बाबत यह बात है कि वह बनारस गये थे एक ३७९ दफा के मुकदमें के सिलसिले में । बनारस से लौटने पर वह घोड़े पर सवार होकर पौने ६ बजे वह वहां गये और उसके बाद बड़ा गांव एक गांव है वहां श्रीमती मनकेश्वरी नाम की एक स्त्री की हत्या हो गई थी । वहां से वह दूसरे दिन साढ़े ११ बजे लौटे । इसके सब सबूत हैं कि वह साढ़े तीन बजे दिन को दूसरे दिन लौटे । तीसरी बात जगदीश मिश्र की बाबत जिक्र किया गया सादियाबाद से गाजीपुर उनको आना था । सड़क खराब हो गई थी इस वजह से गाजीपुर जाने का एक ही रास्ता हो सकता था कि वह औड़िहार जाते और वहां से गाजीपुर जाते । वह सादियाबाद के स्टेशन पर आये और वहां के स्टेशन स्टाफ का बयान है कि जब से वह स्टेशन पर आये तब से लेकर शाम तक बराबर स्टेशन पर मौजूद रहे । शाम को जिस गाड़ी से दूबे जी बनारस गये उसी गाड़ी से वह औड़िहार गये और फिर बनारस गये । तो जब वह स्टेशन पर पहुंचे और जब तक गाड़ी नहीं छूटी तब तक के लिये स्टेशन स्टाफ का कहना है कि वह बराबर बैठे रहे । तो इस वक्त जो जांच की रिपोर्ट है वह तो यह है । अब अगर कोई नये फैक्ट्स हमारे सामने लाये जायेंगे तो जरूर हम उनकी जांच करेंगे। राजनारायण जी ने बहुत सी बातों का जिक्र किया । बड़े आश्चर्य की बात है कि आज तक इन दी इंटरेस्ट आफ जस्टिस किसी आदमी ने इस सदन में बयान करने के पहले कभी किसी ने इस बात का जिक्र नहीं किया । अगर कोई लिख कर इस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो तो जैसा मैंने कहा, हमको किसी को शील्ड करने में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन सिर्फ सुनी सुनाई बात के ऊपर न किसी को सजा दी जा सकती है और न आसानी से एडमिनिस्ट्रेशन चौपट करने के लिये किसी को बदला जा सकता है ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन १० बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ;
२६ अगस्त, १९५३

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६ पर।)

सरकारी गजट उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, शनिवार, २० सितम्बर, १९५२

नगरपालिका विभाग

प्रस्ताव—१७ सितम्बर, १९५२ ई०

सं० ९५७३ (२) /११—६४९—४८.....पिछले कुछ समय से अलीगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड के प्रबंध की बराबर गिरती हुई दशा सरकार के लिये अत्यन्त चिन्ता का विषय हो रही थी। सरकार को जनता से गम्भीर शिकायतें मिली हैं जिनसे प्रकट होता है उक्त बोर्ड ने कानून द्वारा निर्धारित कर्त्तव्यों के पालन करने में बराबर अवहेलना की है।

आर्थिक प्रबंध बहुत ही असंतोषजनक रहा है और चुंगी की आय को भी बहुत क्षति पहुंची है। उन व्यक्तियों के विरुद्ध जिन्होंने कोई बोर्ड की भूमि पर अनुचित रूप से अधिकार जमाया अथवा अनधिकृत रूप से उसे इमारत के लिये प्रयोग किया उचित कार्रवाई करने में बोर्ड असफल रहा। बोर्ड प्रोजेक्शन टैक्स तथा इस प्रकार के अन्य करों के वसूल करने में भी असफल रहा। नगर की सफाई की ओर अवहेलना की गयी और बोर्ड के कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उन्हें दंड देने के विषय में भी कई प्रकार की अनियमिततायें की गईं।

उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों का बोर्ड द्वारा दिया गया उत्तर जिसमें वर्तमान दुर्व्यवस्था को न्यायसंगत सिद्ध करने की चेष्टा की गयी है, अत्यन्त असंतोषजनक है। सरकार ने उक्त उत्तर पर बहुत ही सावधानी से विचार किया है और वह इस बात से संतुष्ट है कि बोर्ड, अपने कर्त्तव्यों के पालन न करने का निरन्तर दोषी रहा है और वह नगर की सफाई की दुर्व्यवस्था को दूर करने अथवा सुधार की कोई योजना कार्यान्वित करने में असमर्थ है।

अतएव गवर्नर महोदय यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज (सप्लीमेंटरी ऐण्ड वैलिडेशन) ऐक्ट, १९५१ की अनुसूची के मद संख्या १२ के साथ पठित यू० पी० म्युनिसिपलटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ३० के अधीन आदेश देते हैं कि अलीगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड २२ सितम्बर, १९५२ से २ वर्ष के लिये अवक्रान्त (Superseded) रहेगा। तदनुसार उक्त बोर्ड के चेयरमैन तथा सभी सदस्य उपर्युक्त ऐक्ट की धारा ३१ (ए) के अधीन उस तारीख को अपने पद रिक्त कर देंगे।

उक्त ऐक्ट की धारा ३१ (बी) के अधीन गवर्नर महोदय ने उक्त तारीख से बोर्ड के अधिकारों का प्रयोग एवं कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये श्री राधाकृष्ण तिवारी को नियुक्त किया है।

आज्ञा से,

फूलदीप नारायण सिंह,

सेक्रेटरी।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—७४ एल० ए०—१९५३—८५०।